महानगर नई दिल्ली गुरुवार 28 नवंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण | आयोजन में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी | तीनों दलों के कुछ मंत्री भी लेंगे शपथ

आज शपथ लेंगे उद्धव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित सार्वजनिक समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मध्य मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 20 साल बाद पार्टी के पास यह पद होगा। 59 साल के उद्धव ठाकरे उसी शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां पर उनके पिता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे अपनी दशहरा रैली को संबोधित किया करते थे। इस आयोजन में विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा। विपक्ष के सभी नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को समारोह का आमंत्रण भेजा गया है। आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी भेजा गया है।

आदित्य ठाकरे ने दिल्ली आकर सोनिया व मनमोहन को सौंपा आमंत्रण पत्र

शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी, शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा नेताओं को भी भिजवाया न्योता

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली आकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण बाकी पेज 8 पर

महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्नी रश्मि के साथ बुधवार को मुंबई में राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ।

सुरक्षा को लेकर बंबई हाई कोर्ट ने चिंता जताई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित करने को लेकर बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को सुरक्षा संबंधी चिंता जताई और कहा कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का यह नियमित सिलसिला नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई छागला के खंडपीठ ने कहा कि हर कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैदान को इस्तेमाल करना चाहेगा।

ठाकरे गुरुवार शाम को 6:40 बजे शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जजों ने साफ किया कि वह गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में कुछ बाकी पेज 8 पर

उप मुख्यमंत्री राकांपा से, विस अध्यक्ष कांग्रेस से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) की बुधवार की शाम को बैठक हुई। बैठक के बाद राकांपा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि तीनों दलों ने साझा रूप से यह फैसला किया है कि महाराष्ट्र में एक ही उपमुख्यमंत्री होगा जो कि राकांपा से होगा। विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस को उपाध्यक्ष का पद राकांपा को दिया जाएगा।

मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में हुई इस बैठक में कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना से उद्धव ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार शामिल हुए।

मनोनीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ गुरुवार को एमवीए में शामिल तीनों पार्टियों से दो-दो मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उद्धव मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची पर देर रात फैसले पर नेताओं के पहुंचने की संभावना है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे सरकार में शिवसेना के 15 मंत्री, राकांपा के उप मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्री और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष और 13 मंत्री पद मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री का पद पूरे पांच साल के लिए शिवसेना के पास रहेगा।

इस बीच, हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास अघाडी (बीवीए) ने बुधवार को बाकी पेज 8 पर

राकांपा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि तीनों दलों ने साझा रूप से यह फैसला किया है कि महाराष्ट्र में एक ही उपमुख्यमंत्री होगा जो कि राकांपा से होगा। विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस को उपाध्यक्ष का पद राकांपा को दिया जाएगा।

मंत्री बनाने का फैसला उद्धव करेंगे : अजित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

राकांपा नेता अजित पवार ने बुधवार को कहा कि वह अपनी पार्टी में बने रहेंगे और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला मनोनीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे।

अजित पवार ने कहा कि उनके राकांपा में बने रहने के बारे में भ्रम पैदा करने की कोई वजह नहीं है। बुधवार को अजित पवार ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और पार्टी विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। अजित पवार ने मुंबई विधान भवन परिसर में कहा, 'अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं सही समय आने पर बोलूंगा।

मैंने पहले भी कहा था कि मैं राकांपा में हूं और मैं राकांपा में ही रहूंगा। मंत्रिमंडल में मुझे शामिल करने का फैसला मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे को लेना है।' उन्होंने कहा, ''मैं किसी से भी नाखुश नहीं हूं। मेरी बाकी पेज 8 पर

सुप्रिया सुले ने भाई अजित पवार को गले लगाया खबर पेज 2

ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लोकसभा में मंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

ई सिगरेट पर प्रतिबंध को युवाओं व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण कदम बताते हुए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने बुधवार को कहा कि दुनिया की कई तंबाकू कंपनियां भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करना चाहती थीं, ऐसे में एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है।

'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य व बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता : शाह

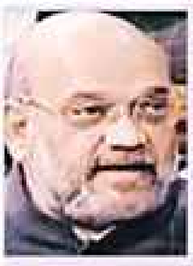

एसपीजी संशोधन विधेयक लोकसभा में पास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

कांग्रेस के वाकआउट के बीच विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम संशोधन विधेयक को बुधवार को लोकसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी।

विधेयक में प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले उनके करीबी परिवार के सदस्यों को ही एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

साथ ही इसमें पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को पद छोड़ने के बाद पांच साल तक एसपीजी सुरक्षा देना शामिल है।लोक सभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित बाकी पेज 8 पर

वृद्धि धीमी जरूर लेकिन मंदी नहीं : सीतारमण

बजट बाद कदमों के सकारात्मक परिणाम आने लगे है

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का बचाव किया। उन्होंने इसके लिए पूर्व कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान वृहत आर्थिक आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि जरूर धीमी हुई है लेकिन अर्थव्यस्था कभी मंदी में नहीं गई।

राज्यसभा में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालीन चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अपने पहले बजट के बाद जो कदम उठाए बाकी पेज 8 पर

प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बताया, कांग्रेस ने विरोध जताया

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का हवाला देशभक्त के तौर पर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस बाकी पेज 8 पर

बालाकोट में आतंकी शिविर फिर से शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमले के नौ महीने बाद वहां आतंकियों के शिविर दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। जैश-ए-मोहम्मद ने वहां प्रशिक्षण शिविर चालू कर दिए हैं। वहां के शिविरों को बाकी पेज 8 पर

गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वायुसेना ने जिन शिविरों को नष्ट किया था, वहां फिर से आतंकियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

कश्मीरी पंडितों से इजराइल को जोड़ने पर छिड़ा विवाद

न्यूयार्क, 27 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका में भारत के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी लौट सकते हैं क्योंकि 'अगर इजराइली लोग यह कर सकते हैं तो हम भी यह कर सकते हैं।' उनके इजराइली 'मॉडल' का जिक्र करने से विवाद हो गया है। न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्य बाकी पेज 8 पर

कामयाबी | कार्टोसेट-3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

पृथ्वी पर निगाह रखेगा इसरो का उपग्रह

श्रीहरिकोटा, 27 नवंबर (भाषा)।

इसरो ने पृथ्वी पर नजर रखने वाले और मानचित्रण उपग्रह कार्टोसेट-3 और अमेरिका के 13 व्यावसायिक नैनो उपग्रहों को बुधवार को सफलापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। कार्टोसेट-3 तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है। इसरो प्रमुख के सिवन ने बुधवार को इसकी सफलता को 'शानदार' बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि अत्याधुनिक कार्टोसेट-3 से चित्र लेने की हमारी उच्च क्षमता और बेहतर होगी। उन्होंने ट्वीट किया- 'मैं इसरो की पूरी टीम को पीएसएलवी-सी47 के जरिए स्वदेशी कार्टोसेट-3 और अमेरिका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर हृदय से बधाई देता हूं। इसरो ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है।' इसके प्रक्षेपण के बाद इसरो की बाकी पेज 8 पर

इसरो ने इसके साथ अमेरिका के 13 नैनो व्यावसायिक उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा। कार्टोसेट-3 का वजन 1625 किलो और मिशन पांच साल का है। भारत के अब तक के सबसे जटिल और पृथ्वी की बेहद स्पष्ट तस्वीर लेने वाला उन्नत उपग्रह है। यह व्यापक पैमाने पर शहरी योजना, ग्रामीण संसाधन और आधारभूत ढांचे का विकास, तटीय भूमि उपयोग आदि की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा। इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that,I Lilamchand U Jain Son of Uttam Chand S Jain Residing at H-227,Phase-I,Ashok Vihar,Delhi-110052, declare that name of my wife and my minor daughter Aaradhya Jain aged 2 years has been wrongly written as Lakshmi and Aaradhya in her Birth Certificate.The actual name of my wife and my minor daughter are Lakshmi L Jain and Aaradhya Jain respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040522091-5

I,Sonika Bajaj W/O Rajender Bajaj R/O-F-5/5, IInd Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Changed My Name To Neelam Bajaj. 0040522101-5

I,Satish Chand S/o Shri Parkash Chand R/o House No.162, Sector-15A,Noida (U.P) have changed my name to Satish Agarwal. 0040522091-3

I,Satish Aggarwal S/o Shri Parkash Chand R/o House No.162, Sector-15A,Noida(U.P) have changed my name to Satish Agarwal. 0040522091-1

I,Rajender Singh S/o Gainda Singh R/o Village-Chhalera, Sector-37,Noida (U.P.) have changed my name to Rajendra Singh for all purposes. 0040522091-2

I, hitherto known as Mohd Ashif@Mohammad Ashif@Mohd. Asif S/o Jaan Mohd. R/o-H.No.E-7, Bheem Gali No.2, Jagjeet-Nagar, Ghonda, North/East Delhi-110053. Have changed my name and shall hereafter be known as Mohd Asif. 0040522126-3

I, hitherto known as Abdul Khaliq@Abdul Khaliq Malik S/o Zahooruddin R/o-H.No.D-40, Street No.3, Shastri-Park, Delhi-110053.have changed my name and shall here-afterbe known as Abdul Khaliq Malik. 0040522126-4

I, Teje Krishan Bhat S/o Arjan Nath Bhat R/o-B-574 MIG DDA-Flats East of Loni-Road Shahdara Delhi-110093, changed my name to Tej Krishan Bhat. 0040522138-4

I, Tariq S/o Mohammad Arshad R/o 1077 First Floor, DDA Janta flats, GTB Enclave, Dilshad garden, Delhi-110093 have changed my name to Mohammad Tariq Siddiqui. 0040522129-8

I, Sureshi D/o Kausal Singh R/o H.No.243, Sector-7, R.K Puram, Delhi-110022 have changed my name to Sureshi Rawat. 0040522129-5

I, Sunil Tyagi S/o Surender Singh R/o H.No-151, Sector-5, Mohan Makins Society, Vasundhara Ghaziabad, U.P-201012, have changed my name to Sunil Kumar. 0040522060-1

I, Sunil S/O Ramashray R/O B-237, Laxmi Park, Nangloi Delhi-110041 changed My Name To Sunil Saroj. 0040522138-7

I, Suman Lata W/O Harish Jolly H.No-1, New Colony Gurgaon. Have Changed My Name To Suman Jolly. 0040522101-10

I, Sneha D/o kamlesh Chand Sharma R/o-F-317 A/1 Pratap Vihar Ghaziabad Sector-11, UP-201009, have changed my name to Sneha Sharma. 0040522126-7

I, Shalu W/o Arpit Taneja R/o 32/24, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 have changed my name to Shalu Kashyap. 0040522094-1

I, Shahin Fatma D/o Aqeel Ahemad W/o Bahare Alam R/o-S-45/B, Joga Bai Extn., Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025, have changed my name to Shaheen Fatima for all future purposes. 0040522129-3

I, Seema Sumanraj W/o Suman Raj R/o 1157/1A, Main Hanuman Road, Opp. Greatway Tailors, West Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi-110032 have changed my name to Seema Sharma. 0040522129-4

I, Sayeeda Begum, W/o-Shuaib Ahmed R/o-H.No.A-6/25, Gali No.3, Chauhan Banger, Delhi-110053,have changed my name to Saeeda Begum for all purposes. 0040522138-3

I, Satish Chandra S/o Sripati Prasad Kashyap R/o C-3/223, Gali No.2, Nangli Vihar, Extn. Delhi-110043 have changed the name of my minor daughter from Aakriti to Aakriti Chandra. 0040522129-6

I, Neha Jain, W/o Abhinav Jain, R/o B-18, Guru Ram Das Nagar, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my minor Son's name from Arham Jain aged 10 years to Devansh Jain forever. 0070685593-1

I, Prince Sidhu, S/o Ved Masih, R/o House No-01, Ward No-02, Mohalla Sheikhan Ishaia, Sujanpur (Rural), Pathankot, Sujanpur, Punjab-145023, that name of my Father has been wrongly written as Ved Masih Sidhu in my Passport : K4239751. The actual name of my Father is Ved Masih. 0070685583-1

व्यक्तिगत

I, Sanjay Sharma S/o Kundan Lal Sharma R/o-WZ-25, D/2 Krishna-Park Tilak-Nagar Delhi-110018, have changed my name to Sanjay Bhardwaj. 0040522126-1

I, Saira Begum W/O Mohammad Rafi R/O Wz-43, D/11 Possangipur Janakpuri Delhi 110058, changed My Name To Saira. 0040522138-5

I, Roop Kali W/O Suresh Kumar R/O H.No-582, Rajokri New Delhi-110038, changed my name to Roopali. 0040522126-5

I, Rishi Kumar S/o Kamleshwari Prasad Mehta R/o Flat No-C1/1204 Olive County, Sector-5 Vasundhara, Ghaziabad, U.P-201012, have changed my minor daughter's name from Veda to Arya Rishi. 0040522061-1

I, Ravi Alias Ravi Kumar Alias Ravi Kumar Mahaver S/o Suresh Kumar Alias Suresh Chand R/o Rzg-290, Rajnagar-2, Palam Colony, New Delhi-110077, have changed my name to Ravi Mahavar for all purposes. 0040521811-1

I, Ramdutta Sharma S/o Raghuveer Prasad Sharma, R/o 331 Gali No.6 Extn.2D Nangloi New Delhi-110041, I have changed my name from Ramdutta Sharma to Ramdutt Sharma by affidavit sworn before the Notary Public, at New Delhi on 27.11.2019. Henceforth, I shall be known as Ramdutt Sharma for all future purposes. 0040522078-1

I, Rajesh Chola S/o Faqir Chand R/o 239, Ground Floor, Behra Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110087, have changed my name to Rajesh Kumar permanently. 0040522059-2

I, Raj Rani, W/o Shri.Ramesh Kumar Virmani, R/o-C-32,1st-Floor, Jangpura-B, Near-Rajdoot-Hotel, New Delhi-110014,changed my name from Raj Rani to Rita Rani,for all purposes. 0040522123-4

I, Sukhvindra Kaur W/o Late Kehar SIngh H.No. 39,Block-D, Shyam-Park Extension, Sahibabad, Ghaziabad, have changed my name to Sukhvinder Kaur. 0040522101-3

I, Pradeep Kumar S/o Pritam Singh H.No.150, RM-2, Sector-2, Rajinder Nagar, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Pradeep Kumar Rana. 0040522101-2

I, Pooja Sharma, W/o-Lalit Shukla R/o-C-13/4,Ground-Floor, Tulip-Garden, Ardee City,Sector-52,Gurgaon, Haryana-122003,have changed my Daughter name from Gauri Sirohi to Gauri Sharma. 0040522138-1

I, Narender S/o. Rameshwar Dass R/o 33, Naya Bazar Najafgarh New Delhi-110043. Have Changed My Name to Narender Rohilla For All Purposes. 0040522069-1

I, Namit Tyagi S/o P.K.Tyagi R/o-C-5/39, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, that name of mine has been wrongly written as Namit Kumar Tyagi in my 10th-Class certificate.The actual name of mine is Namit Tyagi. 0040522138-9

I, Mohit Kumar S/O Dilraj Kumar.H.No.B-70, Sector-15, Noida, Gautambuddh-Nagar, U.P-201301. Have Changed My Name To Mohit Kumar Sharma. 0040522126-6

I, Mohd Faiq S/o Mohd Firoz Khan R/o-G-7, Bagichi-Bhargave, Lane Bulward-Road, CivilLines, Delhi-110054, have changed my name to Faiq Khan. 0040522094-2

I, Mohammad Rafiq S/O Mehtab Khan H.No-174 Gali No.10 Bhagat Vihar Karawal Nagar Delhi-110094, changed My Name To Mohammad Rafik. 0040522138-6

I, Mohammad Aslam S/o Late Kareem Baksh R/o H.No. 1578, Gali Pipal Wali, Pahari Bhojla, Jama Masjid, Delhi-110006, inform that the correct name of my Late Father is Kareem Baksh, not Karim Bux. 0040522063-1

I, Manpreet Kaur Is Legal Wedded Spouse Of Sh. Mangat Singh R/O-Shiv-Colony, Barara, Ambala, Haryana-133201. Have Changed My Name, From Manpreet Kaur To Kulwinder Kaur. Date: 26th November-2019. 0040522101-6

I, Manoj Kumar S/O Kundan Lal R/O C-5/18a, First Floor, Keshav Puram, Delhi-110035. Have Changed My Name To Manoj Dhingra. 0040522094-10

I, MANJU RESIDENT VPO DICHAON KALAN , DELHI have declared that my father's name has been wrongly written as ANOOP SINGH in my Cast Certificate instead of ANUP SINGH which is Correct name, forever. 0050159089-1

I, Supreeti Adwani, R/o B-7, Ordinance Apartment, H-Block, Vikas puri, Delhi-110018, have changed my name to Supreeti Advani. 0070685597-1

I, Areej Maqbool, D/o Maqbool Ahmed, R/o 8, Bisat Khana, Jhansi, UP-284002, have changed my name to Areej Jilah Maqbool. 0070685580-1

I, Sukhjit Singh, S/o Mohan Singh, R/o H. No-131, Vill Rasoolpur, Ropar, Punjab-140101, that name of my Mother has been wrongly written as Ramesh Kaur in my Passport : J6614277. The actual name of my Mother is Harmesh Kaur. 0070685589-1

I, Love Kumar S/O Late Ravi Kant Bindra residing at 138, New Layal Pur Krishna Nagar Delhi 110051 have changed my name to Love Kumar Bindra vide affidavit dated 22-11-2019. 0050159086-1

I, Lakshmi W/o Late.Ramesh Patel R/o-Qtr. No.7/9 Railway-Colony Daya Basti Sarai-Rohilla Delhi-110035.changed my name to Lakshmi Patel. 0040522101-7

I, Kshma Gupta W/o Neeraj Gupta, R/o S-454, Greater Kailash-2, New Delhi-48, have change my name to Chandini Gupta for all purposes. 0040522141-1

I, Km.Shasista Jahan alias Shaaista Jahan, W/o Aftab Ahmad R/o-F-57/A, 1st-Floor, Shaheen Bagh, Abul-Fazal-Enclave, Part-2, New Delhi-110025,have changed my name from Km.Shasista Jahan alias Shaaista Jahan to Shaista Jahan,for all purposes. 0040522123-2

I, Kiran Bhatia W/o Late Madan Lal Bhatia R/o C-101, Kirti-Nagar, N.Delhi-110015 have changed my name to Kiran Bala Bhatia. 0040522094-3

I Nitish S/o Gopal Krishna R/o 790 Sector-55 Faridabad Haryana have Changed my Name to Nitish Varshney 0040522056-2

I, Keshav s/o Rajesh Kumar r/o 239, Ground Floor, Behra Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110087, have changed my name to Keshav Kumar permanently. 0040522059-1

I, Jyoti R Taware & DOB 03 Jul 85 D/O, Maruti R/o Old Aps Colony, Delhi Cantt-110010, have changed my name to Jyoti Ramdas Taware and DOB 03 Jun 87 for all purposes. 0040522135-1

I, Harshita D/O, Ajay Singh Chauhan R/o Flat No-26, Gaur Galaxy Apartments, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Pin: 201010, have changed my name to Harshita Chauhan. 0040522139-1

I, Habib Ahmad S/o Rafiq Ahmed Qureshi R/o-56-B, Habib-Compound, Jassipura, Ghaziabad, have changed my name to Habib Ahmed Qureshi 0040522101-4

I, Firasat Khan, R/o-H.No.A-10/5,Gali.No.6,Chauhan-Bangar, Seelampur, Delhi-110053,have changed the name of my minor daughter from Muskan to Muskan Khan for all purposes. 0040522138-2

I, Dr. Karishma Arora W/o Dr. Ankush Bhatia R/o H.No. 433-34, Gali No.-14, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, do hereby informs that after my marriage, I have changed my name from Dr. Karishma Arora to Karishma Bhatia for all future purposes. 0040522058-1

I, Dharam Devi D/o Late Shri.Ved Singh W/o Shri.Birender Singh R/o-RZ-12, SukhiRam-Park, Hanuman Mandir Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Krishna for all future purposes. 0040522094-5

I, Daljit Singh Tajeja S/O Gulab Singh Taneja R/O-C-97 Fateh-Nagar, Rajouri Garden, Delhi-110018 Have Changed My Name To Daljeet Singh Taneja. 0040522094-7

I, Chatarvir Kaur W/o Balbir Singh R/o WZ-410-B, Gali No.22, ShivNagar, Janakpuri, New Delhi-110058. Have changed my name to Charanpreet Kaur for all purposes. 0040522126-2

I, Bilal Ahmad S/0-Mohd Yusuf R/0-B-8/57 Block-B DDA-Flats Inderlok Delhi-110035. CHANGED My Name To Mohd.Bilal Malik. 0040522101-9

I, Bharat Singh S/o Late Shiv Singh R/o-B-302, Clement City, Crossing Republic, Ghaziabad have changed my name to Bharat Singh Rajput. 0040522101-1

I, Babli D/o Inder Singh R/o 3/533, Dakshinpuri, New Delhi–110062, have changed my name from Babli to Rajni for all future purposes. 0040522052-1

I, Arvind Kumar Kuchhal S/o Shiv Prakash Kuchhal R/o-A-171, Derawal Nagar, Dr.Mukherjee Nagar Delhi-110009 changed my name to Arvind Kuchhal. 0040522094-4

I, Ankit Vini Thukral S/O Pritpal Singh Thukral R/O-J/44 Gulshan Vivante Sector-137 Noida. Changed My Name To Ankit Thukral. 0040522138-8

I, Anita Malwa W/O Shyam Sunder, Address- 368/22 Durga Colony Rohtak Haryana-124001, Changed My Name To Gunjan. 0040522094-8

I, Ananya Tomar D/0-Naveen Tomar R/0-31/77 West Punjabi Bagh Delhi-110026. CHANGED My Name To Ananya Singh. 0040522101-8

I Charu Gupta W/o Nitish Varshney R/o 790 Sector-55 Faridabad Haryana have Changed my Name to Charu Varshney 0040522056-3

I Chanderkalla W/o Braham Singh R/o H.No. 878/34/2 Ward No. 6 Mahrauli New Delhi-110030 have Changed my Name to Sheela 0040522056-1

I Jaikishan Harang S/O Yog Raj, Ho.No-551 Ward No-19 Green Road Rohtak Haryana 124001. Changed My Name To Jaikishan. 0040522094-9

व्यक्तिगत

I, Anam W/o Mohd Abid Ali R/o-H.No-723 Sui-Walan, Daryaganj, Delhi-110002. changed my name to Anam Ali Khan for all purpose. 0040522123-3

I, Amit Kumar S/o-Naresh Kumar Bansal R/o-C-152, First Floor, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi-34, have changed my name to Amit Bansal for all purposes. 0040522084-1

I, Jatin Kumar S/O Lalit Mohan R/o 5/110A, Shivaji Nagar, Gurgaon, have changed my name to Jatin Kukkar for all purposes. 0040522132-1

I, A Shaji S/o Aravindakshan Pillai R/o Flat No.115, DG-3, Vikaspuri, New Delhi-110018 have changed my name as Shaji Aravindakshan Pillai for all record and future purposes. A Shaji and Shaji Aravindakshan Pillai is one and same person. 0040522067-1

I hitherto known as B.B.Sahu S/O Shri B.Sahu R/O D-275/1 Krishna Park Devli Road Khan pur Delhi-110062 have changed the name of my minor daughter Lavika age 17years and she shall here-after be known as Lavika Sahu. 0040522129-7

I am Pranjal Dunga S/O Shri Rakesh Kumar Dunga R/O D-675, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi-110034, My School documents my father name mentioned as Mr. Rakesh Dunga and Mr. R.K.Dunga instead of Mr. Rakesh Kumar Dunga. My father true and correct name is Mr. Rakesh Kumar Dunga. 0040522071-1

I Shammi kumar S/o Sikander lal Gulati R/O.WZ-45c, Uggrasain-Market, Ashok Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-110018. have changed my name to Shammi Gulati, for all purposes. 0040522094-6

I Raghvendra Kumar S/o Kamla Prasad Srivastav R/O Plot No.2 Khasra No.619 Upper Ground-Floor Gali No.8 Sabzi-Mandi Kailash Puri New Delhi-110045, Have Changed My Name To Raghvendra Kumar Srivastav. 0040522129-2

I Kamla Prasad S/o Sri Kuldeep Lal Srivastav R/O Plot No.2 Khasra No.619 Upper Ground-Floor Gali No.8 Sabzi-Mandi Kailash Puri New Delhi-110045, Have Changed My Name To Kamla Prasad Srivastav. 0040522129-1

I Faraz S/O Jawed Akhtar., H.NO-3240 Farhat Ullah Khan Kucha Pandit Lal Kuan Delhi-110006.Have Change My Name To Faraz Javed. 0040522129-9

I, Menakashi Devi, W/o Rakesh Kumar, R/o H.No-109, Subhash Nagar-02, Model Town Thana, Talwara, Township, Hoshiarpur, Punjab-144216, have changed my name to Meenakshi. 0070685591-1

I, Anthony Rajan Jolly, S/o Sarabjit Singh Jolly, R/o B-32, Jangpura 'B', 1st Floor, Delhi-110014, have changed my name to Raj Jolly. 0070685577-1

I, Roopa, W/o Ravinder Chaudhary, R/o 9199, Street No. 4 B, Multani Dhanda Paharganj, New Delhi, have changed my name to Roopa Chaudhary for all purposes. 0070685609-1

I, Shama Khan, W/O Sunny Sorabh Gupta, R/O D18, SF Eldeco Residency Green, Greater Noida, U.P 201308, have changed my name to Kshama Gupta. 0070685595-1

CHANGE OF NAME

I, HIMANSHU MALIK, S/o RANVIR MALIK, permanent resident of H. NO. 3853, URBAN ESTATE, D-Block JIND, Haryana, 126102, India, and employed as Medical Officer, Army Medical Corps at 433 Field Hospital, Hisar Cantt, C/O 56 APO, Pin-903433, India, changed my name from HIMANSHU to **HIMANSHU MALIK** vide deed dated 23.11.2019.

CHANGE OF NAME

I, TAMMANA BANSAL, W/o SAHIL BANSAL, residing at, Flat No.1001, Block-5B, Suncity Parikarma, Sector 20, Panchkula, Haryana, 134116, India, changed my name from ANKU BALA to TAMMANA BANSAL vide affidavit dated 19.11.2019 sworn before Notary **A.K. Ahluwalia at Panchkula.** Henceforth, I shall be known as TAMMANA BANSAL for all purposes.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे मुवक्किल श्री हरकिशन बैरागी पुत्र स्व. केशु राम एवं उनकी पत्नी श्रीमती उषा बैरागी दोनों निवासी मकान नं. 170, खसरा नं. 670/57, 691/574, ग्राउंड फ्लोर, प्रजापत कॉलोनी, मैदानगढ़ी नजदीक शिव मंदिर, नई दिल्ली–110068 ने अपने बच्चों (1) संजय कुमार बैरागी (पुत्र), उसकी पत्नी श्रीमती सुनीता बैरागी एवं उनके बच्चे निकिता बैरागी, भविश्का बैरागी, (2) सोनू बाला (पुत्री), उसके पति श्री राजेश चुघ एवं उनका बेटा मधुर चुघ और (3) रवि बैरागी (पुत्र), उसकी पत्नी श्रीमती शिवानी बैरागी एवं उनके बच्चे रिधिमा बैरागी, युक्ता बैरागी को उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने तमाम रिश्ते नाते व सम्बन्ध विच्छेद कर लिए है। अगर भविष्य में कोई व्यक्ति इनसे किसी भी प्रकार का लेन देन इत्यादि करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसमें मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Sd/-
RAHUL RAI (Advocate)
L-30-B LGF Malviya Nagar
New Delhi

PUBLIC NOTICE

I, hitherto known as SURENDER KUMAR ALIAS SURENDER KUMAR SRIVASTAVA S/O LATE SH. H.N LALL SRIVASTAVA Employed As Senior Accountant In The Evacuee Property Cell, Land And Building Department Govt. Of Nct Of Delhi, Vikas Bhawan, New Delhi residing at H.NO-44/D, Gali No-1, Sarvodaya Nagar, Ghaziabad (UP)-201009, have change my name and shall hereafter be known as SURENDER KUMAR SRIVASTAVA.

खोया+पाया

I, SIKANDER Singh S/o Shrichand man R/o-Village and post-office. Lowa-Kalan, Tehsil-Bahadurgarh, District-Jhajjar, Haryana-124507. Have lost my original-certificate/marksheet class-10th(1990) Rollno-447766 class-12th(1992) Rollno-6617452 CBSE-Delhi. 0040522126-10

It is notified for the information that my Original Degree Certificate and all 4 years Marksheets of Bachelor's of Physiotherapy Batch 2010-14 Roll No.-8353020 and Enrollment No.-M1013546 pass out from CCS University, Meerut has been actually lost. Name of the Candidate: Rubeena Usman, Mobile No. 8178346487. Full Address: A-5, Near Gas Godam, Street No-9, Shastri Park, Delhi 110053. 0070685584-1

I, Raj Sharma s/o Sukhpal Sharma r/o 1/9544 Behl gali Corner Babarpur Road partap pura Shahdara Delhi-32 have lost my original property documents bearing no. Plot no.2 , sector C-2 , Tronica city , Ghaziabad UP and LR no.UP Police Lost Report Application - Lost Report Registered Vide LA Report No is. 695844/2019 0040521972-3

LOST&FOUND

I,H.O.S of RPVV Link Road Karol Bagh, Delhi-05 Have Lost Misplaced Booklet Railway Concession form C-124 A Account No. R-11,issued date 25-12-2006 from our school premises If found Please return at below Address.

RPVV LINK,ROAD PLOT NO.-1,KAROL BAGH DELHI-110005

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल [illegible] जमील अहमद (अधिवक्ता) चै.न. [illegible] कोर्ट, दिल्ली–[illegible]

सार्वजनिक सूचना

[illegible] जमील अहमद (अधिवक्ता) चै.न. [illegible] कोर्ट, दिल्ली–[illegible]

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला गायत्री देवी पत्नी स्व श्री शम्भू प्रसाद पता–खसरा नं. 38/4, रोड नम्बर–5, निया मोहन डेरी, संगम विहार, वजीराबाद नार्थ दिल्ली, दिल्ली–110084 ने अपने पुत्र अमित कुमार को गलत आचरण एवं नियंत्रण में न रहने के कारण अपने सारे सम्बन्ध विच्छेद कर दिये हैं एवं अपनी तमाम चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। आज के बाद इसके द्वारा किये गये किसी भी गलत कार्यों के लिए मेरी मुवक्किला व उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

हस्ता./–
फिरोज हैदर
अधिवक्ता

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Pramod Jain and his wife Surbhi Jain R/o D-15/62-63, Sector-3, Rohini, Delhi-85 have severed all their relations with their brother Vinod Jain his wife Baby Jain and their children Palak Jain and Nikhil all R/o B-8/102 Sector-5, Rohini Delhi-85 with immediate effect due to their deeds and misconducts. My clients shall not be responsible for any acts and deeds done by them in future.

Sanjay Padam Jain (Advocate)
Chamber No 403 A & B, Western Wings Tis Hazari, Delhi-54.

PUBLIC NOTICE

"My clients Rajwanti W/o Lt. Sh. Attar Singh R/o H.No. 161, Gali No. 4, Khera Garhi (Colony), Delhi-110082; has severed all relations, whatsoever with her daughter Sushma, and has disowned/debarred her and the future legal heirs of her daughter from all the movable and immovable properties, for all times to come, with immediate effect.
My clients shall not be responsible for the acts, deeds and things, if any done by her daughter namely Sushma, as my clients have nothing to do with her businesses, liabilities, deeds and acts what so ever. And any persons dealing with them will be responsible and accountable and will do at their own risk, cost and consequences for the same".

Sd/-
KULDIP SINGH (Advocate)
En. No. D/1105/2018

PUBLIC NOTICE

It is general information that my clients Sh. Om Prakesh S/o Late Sh. Chotu Ram and Smt. Rajwanti W/o Sh Om Prakash Both R/o H. No 193, V&PO - Dichoan Kalan, Delhi have debarred, disowned and deprived their son Rajender Singh S/o Sh. Om Prakesh and his wife Smt. Meena W/o Sh. Rajender Singh D/o Naresh Lamba both R/o H.No 407 V&PO- Dichoan Kalan, Delhi from their all moveable and immoveable properties due to their disrespectful behavior towards my clients. My clients as well as their elder son Devender R/o Sonepat Haryana and married daughter Manita have also served all their relation with them. If anybody deals with them will do so at their own risk, costs and consequences. My clients and their elder son Devender and daughter Manita shall not be held responsible for any act and omissions on the part of above disowned persons.

Sd/-
ASHOK AHLAWAT (ADVOCATE)
Ch. No. : 805,
Lawyers' Chamber Block,
Dwarka Court Complex, New Delhi-75

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

जनसूचना/सूचना

मेरे मुवक्किलान सुलतान अहमद पुत्री सुहैल अहमद, नसरतुल अहमद व सलमानुल अहमद, बेटे पुत्र सुहैल अहमद एवं सुलेमान अहमद पुत्रे सुहैल अहमद सकी निवासी म. न. [illegible], जैसे, [illegible], सन्नी पारपुर, मोती नगर, नई दिल्ली110015 ने अपनी पति/पिता सुहैल अहमद एवं अब्दुल कयूम को उनके पत्नी आचरण व दुर्व्यवहार के कारण दिनांक 26.11.2019 से अपने सभी समस्त जायज हक, अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, भविष्य में मेरे मुवक्किलान व परिवार से अलग सकल पत्नी सुहैल अहमद के किसी भी कार्यों एवं व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

JASWANT SINGH - ADVOCATE
N-14A, Near Gate No-2,
Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Sharvan S/o Sh. Darela & Smt. Raj Kumari W/o Sh. Sharvan R/o C-18, Gautam Colony, Nareta, Delhi have debarred & disowned their son Satpal & his wife Laxmi from their all movable and immovable properties and severed all their relations from them due to their disobedient and ill-behavior towards my clients. Anyone dealing with them may do so at his/her own risk and my clients shall not be responsible for that.

SURENDER NAGPAL (Advocate)
Ch.No. 45, III Wing Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

My clients Trilok Chand son of late Kure Ram and his wife Smt. Sheela, both R/o. 16/406-E, Padam Singh Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005, hereby disown their son Himmat Singh, his wife Smt. Ritu and their children, R/o. Flat No. 802, L & T, Sector 18-B, Dwarka, New Delhi from all their immovable and movable properties and severe their relations from them for ever because their acts, deeds, things and antecedents are prejudice to the rights and interest of my clients, injuring and hurting their natural feelings and sentiments.

Sd/-
SAURAJ SINGH TAWRA (Advocate)
(M) 9711762543

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Shamim Ahamad S/o Late Abdul Hamid R/o K-9, III Floor, Street No. 5, Old Gobind Pura Ext., East Delhi, Delhi-110051 declare that my name has been wrongly written as Shammi Khan in my minor son Kabir Khan aged 15 years 10th class marksheet and certificate. The actual name of mine is Shamim Ahamad, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public that my client Sh. Vinay Kumar Bansal S/o Sh. Ramesh Bansal intend to sell the property bearing No. WZ-654/3C, which hence forth be known as WZ-654 / 3C, on land measuring 200 sq.yds. (167.22 sq.mtr) Sagar Nagar, Palam Colony, New Delhi which my client has bought from Akash Sharma S/o Chandra Prakash Sharma.
Any person or persons having any right, title and interest in the said property by any means, should send their claims in writing to the undersigned within 7 days of publication of this said Notice, failing which claims if any shall be deemed to have been waived.

SAHIL GOEL (Advocate)
R-135, Model Town 3, Delhi-110009

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed on behalf of my client Sh. Ramesh Chand Sharma S/o Sh. Ram Ram & Smt. Ramesh Sharma W/o Ramesh Chand Sharma both R/o D-93, Amar Colony, Nangloi, New Delhi, do hereby disown & debar, their son Dinesh Sharma and daughter-in-law Smt. Neha, from all their movable & immovable properties & severed all relations because they out of control and adamant behavior towards my clients. Anybody dealing with them, shall be doing so at his/ her own risk, cost & responsibilities my clients will not be held responsible for any act, deed & things done by them. G.L. Nimroth (Rawl) (Advocate), Off. UG-26, Suncity Tower-I, Distt Centre Janakpuri, Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt. Kamaljeet Kaur w/o Late S.Paramjeet Singh R/o B-1/193, New Moti Nagar, New Delhi-110015, have disowned/debarred her daughter Annu Passi & her grand-dughter Tarushi (maternal) from her all moveable and immovable assets/ properties located at anywhere & also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her/their own risk.

Pawan Kr. Tyagi (Advocate), WZ-97A, Village Badhela, Vikaspuri, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client SHRIMATI SUDESH KUMARI WIFE OF SHRI SATISH KUMAR NISCHAL RESIDENT OF HOUSE NO A-49 BLOCK- A JITAR NAGAR KRISHNA NAGAR DELHI-110051, have disowned her son namely VIPIN KUMAR NISCHAL and his wife namely SUMAN NISCHAL and their children and they shall have no right or concern with me or my moveable and immovable properties in future. I shall not be held liable and responsible for the acts and deeds of said VIPIN KUMAR NISCHAL and his wife and children.

Sd/-
TARUN BABBAR (ADVOCATE)
B4, MANU APARTMENTS,
MAYUR VIHAR, PHASE-I,
DELHI-110091

पहाड़ों पर हुई बर्फबारी मैदान में भी बदला मौसम

दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार को सुधार आया और बारिश और हवा की गति अनुकूल रहने के चलते यह 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई। शहर की वायु गुणवत्ता शाम सात बजे 133 दर्ज की गई जो कि 'मध्यम' श्रेणी में आती है। दिल्ली के 37 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई जबकि लोधी गार्डन, पुसा, अरबिंदो मार्ग और बुराड़ी क्रॉसिंग पर गुणवत्ता स्तर संतोषजनक तक पहुंचा जो कि लोगों के लिए राहत की बात है।

बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी और इसके आस–पास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पिछले दो महीने में पहली बार हरियाणा और पंजाब में वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' या 'अच्छी' श्रेणी में दर्ज हुई है।

भारतीय मौसमविज्ञान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हरियाणा में मंगलवार और बुधवार को व्यापक तौर पर बारिश हुई। पंजाब में भी मध्यम बारिश हुई।' वहीं दिल्ली में हवा की गति भी ऐसी थी जिसने प्रदूषक तत्वों के तेजी से छितरा दिया।

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बुधवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी और दिल्ली में बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों को मुताबिक इस विक्षोभ की सक्रियता का पहले से ही अनुमान था। दिल्ली व एनसीआर में सुबह से ही खिली धूप थी और देर शाम एकाएक बादलों की सक्रियता बढ़ी। इसके बाद कई इलाकों में बारिश व ओले भी पाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर गुरुवार को भी बना रहेगा और इसके बाद मौसम सामान्य होगा।

यह पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के पास बना है और उत्तरी राजस्थान व आसपास के राज्यों में भी चक्रवाती हवाओं का असर देखा जा रहा है। इस कारण ही एकाएक मौसम में बदलाव देखने को मिला है।

रिजीजू ने केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ मनाया फिट इंडिया सप्ताह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने बुधवार को केंद्रीय विद्यालय एंड्रजगंज के विद्यार्थियों के साथ फिट इंडिया सप्ताह में भाग लिया। उन्होंने फिट इंडिया अभियान में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने केवीएस को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर 2019 को सबसे बड़ा 'प्लॉगिंग' कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सम्मानित भी किया, जिसमें देश भर के 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों से 7.5 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लेकर विद्यालय के आसपास से 48,000 किलो कचरा एकत्रित किया था। एक ही स्कूल चेन द्वारा एक ही दिन में यह सबसे बड़ा 'प्लॉगिंग' अभियान चलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और अधिकारियों द्वारा कुल 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई।

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर फिट इंडिया का संदेश देते हुए बच्चों के साथ कुछ खेल खेले। उन्होंने बच्चों के साथ तीरंदाजी भी की और गिल्ली डंडा और पिट्ठू गरम जैसे परंपरागत खेल भी खेले। फिटनेस और खेलों के प्रति केवीएस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपिक के मंच पर भारत को एक सशक्त दावेदार के रूप में उभरना है और हमने अगले 2020 ओलंपिक के लिए दहाई अंक में पदक जीतने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की सबसे बड़ी जनसंख्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आती है, चाहे वह स्कूल हों या फिर कॉलेज। अगर हमारे स्कूल और कॉलेज फिट होते जाते हैं, तो देश स्वतः फिट हो जाएगा।

सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों में इन दिनों फिट इंडिया सप्ताह बनाया जा रहा

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**
अधिकतम–26.5 डि.से. सूर्योदय– 6:54
न्यूनतम– 14.9 डि.से. सूर्यास्त– 17:24

कच्ची कॉलोनियों के मुद्दे पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सरकार के दबाव में शुरू हुआ काम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की फाइल को केंद्र सरकार ने चार साल तक दबाकर रखा। इन कॉलोनियों को नियमित करने लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और अब जाकर इन कॉलोनियों में थोड़ा काम शुरू हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार को इन कॉलोनियों में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जानकारियां सामने आ रही हैं कि चुनाव के पहले 100 लोगों को रजिस्ट्री दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा सभी लोगों के लिए शुरू की जाए। उन्होंने मांग की कि इस बाबत कानून बनने के तीन दिन के अंदर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि इन कॉलोनियों के दिल्ली सरकार ने सैटेलाइट नक्शे भेज दिए थे और केंद्र सरकार ने इनके फिजिकल नक्शे मांगे थे। लेकिन अब उन्हीं सैटेलाइट नक्शे के

चार साल तक कच्ची कॉलोनी के मसविदे पर बैठी रही केंद्र सरकार

सरकार का दावा कच्ची कॉलोनी में काम हुआ, अब केंद्र सरकार देगी रजिस्ट्री

आधार पर नियमित करने की बात कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 1797 कॉलोनियां हैं। 2009–14 में केवल 309 कॉलोनियों के अंदर सड़क और नालियां बनी और सरकार ने 811 करोड़ खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पांच साल में 1281 कॉलोनियों में सड़कें और नालियां बनवाई हैं। इस पर 4312 करोड़ खर्च किए हैं। इसी प्रकार इन कॉलोनियों में 2002–09 तक केवल 45 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डाली गई। इसी प्रकार 2009–14 तक 245 पाइपलाइन डाली गई। अब तक कुल 1554 कॉलोनियों में पाइपलाइन डाली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 250 कॉलोनियां बची हैं और इनमें 50 कॉलोनी में यह काम नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉलोनी वन क्षेत्र में आती हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले पांच साल में इन कॉलोनियों में 8,147 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए जबकि पहली सरकारों के शासन में महज 1,186 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा में अचानक कच्ची कॉलोनियों के लिए प्यार उमड़ा है जो सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव काम के आधार पर लड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कच्ची कॉलोनियों के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोग व्यवसाय ढूढ़ने आते हैं और पिछले कई सालों में काफी संख्या में लोग दिल्ली आए हैं। लोगों को घर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की थी। प्राधिकरण यह काम नहीं कर पाया। इस वजह से कच्ची कॉलोनियां बन गईं और पुरानी सरकारें विकास नहीं कर पाईं। इन सरकारों ने लोगों को वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें पक्का कराने और विकास के लिए बहुत काम किया।

दिल्लीवालों की प्याज रोकी केंद्र सरकार ने

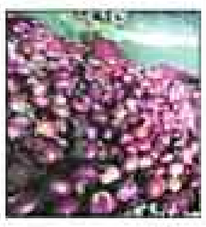

केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों के लिए प्याज रोक दी है। इस वजह से एकाएक प्याज के दामों में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने दिल्ली सरकार को नियंत्रित दाम वाले प्याज की आपूर्ति रोक दी है। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने बीते दो–तीन दिन से शहर में प्याज की आपूर्ति रोक दी है। इसका असर दिल्ली के बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है।

घर से कूड़े को अलग करने की आदत डालें लोग : उपराज्यपाल

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के हरित प्रयासों से पर्यावरण अनुकूल समाधान से जैविक कूड़े का निपटान कूड़े से एक प्रकार संपत्ति अर्जित करने के समान हैं। इस प्रयास में नागरिकों को अपने घरों से ही कूड़े को अलग–अलग करने की आदत डालकर इसमें सहयोग करना होगा। ये बातें उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खाद बनाने वाले संयंत्र के उद्घाटन पर कहीं। (जसं)

झूठ की मशीन हैं केजरीवाल, आम जनता का मोहभंग हुआ : मनोज तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को कहा कि भाजपा दिसंबर से कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू होने की सभी अड़चनें दूर हुई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को झूठ की मशीन बताया। उन्होंने कहा कि अब जनता का भी अरविंद केजरीवाल से मोह भंग हो गया है।

तिवारी ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में भाजपा की जांच में दिल्ली सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि 'आप' अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाई है, इस वजह से दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता स्वच्छ पानी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। दूषित पानी के चलते लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आज भी आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआइएस नौ दिसंबर को सभी राज्य सरकारों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है जिसमें जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ खुद मुख्यमंत्री भी भाग जरूर लें। क्योंकि यह दिल्ली की जनता से जुड़ा संवेदनशील मामला है। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि जनता स्वस्थ रहेगी तभी तो वो राजनीति कर पाएंगे।

कच्ची कॉलोनी नियमित होने में रोड़ा लगाया था दिल्ली सरकार ने

भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में विकास कार्यों में दिल्ली सरकार ने रोड़ा अटकाया था। इसके बाद भी केंद्र सरकार की वजह से इन कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में विकास कार्यों को लेकर अब तक दिल्ली सरकार से किए गए तमाम दावे खोखले हैं। उन्होंने कहा कि अगर काम के आधार पर आम जनता ने वोट किया तो दिल्ली में 'आप' के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में 40 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। इस वजह से ही खुद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में गंभीर टिप्पणी करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सच बात यह है कि ये कच्ची कॉलोनी पहले नियमित हो जातीं लेकिन दिल्ली सरकार ने इनकी सीमा के लेआउट प्लान बना कर नहीं दिए।

आइजीडीटीयूडब्लू की 408 छात्राओं को दी गई उपाधि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

इंदिरा गांधी दिल्ली प्रौद्योगिकी महिला विश्वविद्यालय (आइजीडीटीयूडब्लू) ने बुधवार को अपने दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इसमें चार पीएचडी सहित कुल 408 उपाधियां छात्राओं को प्रदान की गईं। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) के चेयरमैन प्रोफेसर केके काले समारोह के मुख्य अतिथि थे जबकि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अमिता देव ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रूपरेखा पेश की।

रिश्वत मांगने गए थे निगम अधिकारी, फैक्ट्री मालिकों ने कान पकड़वाए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

दिल्ली के नरेला औद्योगिक इलाके में बुधवार को निगम अधिकारियों की ओर से प्रदूषण के नाम पर कथित तौर पर रिश्वत मांगने का एक मामला सामने है। जिसमें चरों निगम अधिकारियों को फैक्ट्री मालिकों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले बंधक बनाया फिर बालकनी पर ले जाकर कान पकड़वाए और बिना नोटिस भेजे फैक्ट्री सील करने जैसी कोई कार्रवाई भविष्य में नहीं करने का आश्वासन लेकर छोड़ा। इन अधिकारियों का वीडियो बनाकर फैक्ट्री मालिकों ने वायरल कर दियाा। आनन–फानन में मामला संज्ञान में आते ही निगम आयुक्त ने इन सभी कर्मचारी और अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश जारी कर दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कमरे में उत्तरी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के चार अधिकारियों को कुछ लोग घेरे नजर आ रहे हैं। ये सभी निगम कर्मचारी फैक्ट्री में प्रदूषण जांच के नाम पर रिश्वत मांगने गए थे। बिना नोटिस के आए इन अधिकारियों की इस हरकत से लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि पहले तो इन्हें एक कमरे में बैठाया गया और फिर कमरे का दरबाजा बंदकर इनसे फैक्ट्री की जांच करने का नोटिस मांगा गया।

कमरा बंद होने के बाद वहां मौजूद भीड़ को देखकर अधिकारी सहम गए और कारखाना मालिकों से गलती मानते हुए आगे से ऐसी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन देकर किसी तरह भाग गए। इस बीच फैक्ट्री मालिकों ने बालकनी पर इन्हें खड़ा कर कान पकड़कर सबके सामने मांफी भी मंगवाई। मामला बीते सप्ताह का है।

क्लर्क का सहायक पांच हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के राजौरी गार्डन निगम कार्यालय में तैनात बिल क्लर्क के हेल्पर मनीष लाल को पांच हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने पटेल नगर के पांडव नगर के रहने वाले विजेंद्र की शिकायत पर यह कार्रवाई की।

व्यापार मेला : अंतिम दिन उमड़े लोग, बिहार को मिला स्वर्ण पदक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

प्रगति मैदान में चल रहे 39वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतिम दिन बुधवार को समापन सत्र में केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे और हंस ध्वनी थियेटर में आयोजित पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। बिहार मंडप को इस साल का स्वर्ण पदक दिया गया। अंतिम दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग मेले में खरीदारी करने पहुंचे।

समापन समारोह में गोयल ने कहा कि व्यापार से व्यापार और व्यापार से ग्राहक के बीच के रिश्तों को व्यापार मेला लगातार मजबूत कर रहा है। इस साल व्यापार मेले में करीब चार लाख दर्शक पहुंचे और अगले साल यह संख्या 15 लाख तक पहुंच सकती है क्योंकि 2020 में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र (आइईसीसी) का एक बड़ा भाग शुरू हो जाएगा। अगले साल होने वाले व्यापार मेले का विषय 'आसान जीवन' तय किया गया है। मंत्री ने कहा कि युवाओं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें 'स्टैंडअप' और 'स्टार्टअप' योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्कयता है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापार प्रोत्साहन के लिए भारत के अलग–अलग शहरों में चार बड़े कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन (आइटीपीओ) को दी गई है। व्यापार मेले के अंतिम दिन विभिन्न उत्पादों पर भारी छूट के चलते बड़ी संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी भी की।

SRF LIMITED
Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Vihar Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase-I Extn, Delhi – 110091
Tel. No (Regd office) : (+91-11) 49482570 Fax : (+91-11) 49482590
E-mail: info@srf.com, Website: www.srf.com; CIN: L18101DL1970PLC005197

NOTICE

Notice is hereby given that Certificates pertaining to Shares of the Company detailed below have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company :

Sl. No.	Folio No.	Name of the Share Holder / Legal Heir (Claimant)	Cert-No.	Dist-No.	Lost Shares
1	K 0003517	KRISHAN LAL (DECEASED)	125595	5258721-36	16
		RANJANA KOCHAR (CLAIMANT)	975931	18570291-323	33
2	S 0008296	SHAMJI RUGHNATH SHAH	146899	5853754-764	11
		RASHMI NALIN SHAH (CLAIMANT)	977127	18887201-22	22
3	SRF0025587	N N DUGGAL NEEILAM SAREEN (CLAIMANT)	90087182	8437894-933	40
4	SRF0129964	ABDUL SAMI	610087-09	42777524-64	41
5	SRF0128230	SURINDER KAUR	605432-34	42729453-68	16
6	SRF0128229	SUKHDIP SINGH	605429-31	42729437-52	16
7	SRF0148042	CHITRA PALEKAR	417835	18043847-96	50
		SHAKUNTALA R KULKARNI	566835	26063639-88	50
8	D 0002034	DHARAMPAL	51527	2743926-50	25
			60078	2898095-105	11
			102118	4276716-733	18
9	SRF0027411	MADAN LAL OBEROI	362850-51	16938253-56	4
			511850-51	24958045-48	4
10	SRF0118640	ARJUN DEV KATHURIA	424358-59	18223262-76	25
		AMEETA KATHURIA	424848	18238273-322	50
			573358	26243044-68	25
11	SRF0148378	SANJAY SINGH	4284	1260221-70	50
			15603	1742476-525	50
			102700	4294631-80	50
			426508	18303048-97	50
			555965	25807717-66	50
			557032	25834555-604	50
			788751	62006092-141	50
			828141	50241050-99	50
			828148	50241400-49	50
			828149	50241450-99	50
			878223	2067701-25	25
			878223	2170376-400	25
			878225	8961231-245	15
			878225	8966306-25	20
			878225	14943520-34	15
			90004388	3839402-51	50
			90107832	6810192-241	50
			90107858	6382984-033	50
			90116245	9505250-99	50
			90159901	12115335-384	50
			90196706	15184120-69	50
			90248910	9247830-49	20
			90248910	15063276-304	30
			90253695	2645863-875	14
			90253695	2672626-650	25
			90253695	2714026-36	11

Any person having any claim /objection in respect of the above requests should lodge such claim/objection with the company at its Registered Office within 15 days of the publication of this notice, failing which the company will consider to give effect to the above requests.

for SRF LIMITED
Sd/-
RAJAT LAKHANPAL
Vice President (Corporate Compliance) & Company Secretary

Place : Gurugram
Date : 27.11.2019

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U67190MH2007PTC168303,
पंजी. कार्यालयः दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वां तल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (ई), मुंबई-400098,
टेली.: 022-67412314, फैक्सः 022-67412313,
ई-मेलः info@phoenixarc.co.in, वेबसाईटः www.phoenixarc.co.in

परिसम्पत्ति की ऑनलाईन ई-नीलामी बिक्री

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान) अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा किया गया है जो बाद में एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 8.4.2019 के माध्यम से फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई-20-1 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) को सौंप दिया गया, की मै. रुचिका ऑटोलिंक्स (पी) लिमिटेड (''ऋणधारक''), श्री विनोद उपाध्याय एवं श्री विवेक उपाध्याय (''गारन्टरों'') तथा श्रीमती सरोज उपाध्याय (''मार्टगैजर/गारन्टर'') से फीनिक्स एआरसी प्रा.लि. अर्थात् प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये सम्पूर्ण भुगतान तक लागतों तथा चार्जेज के साथ 5.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ 4.4.2019 को बकाया रु. 14,83,69,846.07/- (रुपये चौदह करोड़ तिड़ासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ छियालिस तथा पैसे सात मात्र) की वसूली के लिये 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 30 दिसम्बर, 2019 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. के बीच ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। **आरक्षित मूल्य रु.**: 5,76,90,000/- (रुपये पांच करोड़ छियत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान 57,69,000/- (रुपये सत्तावन लाख उन्हत्तर हजार मात्र) होगी।

ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो, के साथ अचल सम्पत्ति का विवरणः प्लॉट नं 71, ब्लॉक-सी, सेक्टर-44, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., प्लॉट का क्षेत्रफल 350 वर्ग मी. है।

चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. सी- 86, पश्चिमः रोड, दक्षिण, प्लॉट नं. सी-70, उत्तरः प्लॉट नं. सी-7, धरोहर राशि का भुगतान ''फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 20-1'' के पक्ष में देय नई दिल्ली में भुगतान योग्य डीडी अथवा चालू खाताः 8612762927; कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखाः कलीना, मुम्बई, आईएफएससी कोडः KKBK0000631में एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।

बिक्री के अधीन सम्पत्तियों से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण / आवश्यकता के लिये बोलीदाता सुश्री अंकिता शर्मा (+91-09999868258), सुश्री अनीशा शिन्दे (022-64710442), श्री कुलदीप गुप्ता (+91 8588870051) एवं श्री आकाश सक्सेना (+91-8860001910) से सम्पर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया फीनिक्स ए आर सी प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात् WWW.PHOENIXARC.CO.IN में दी गई लिंक HTTP://PHOENIXARC.CO.IN एवं / अथवा लिंक HTTPS://PHOENIXARC. AUCTIONTIGER.NET देखें।

प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नोएडा — फीनिक्स ए आर सी प्राईवेट लिमिटेड
तिथिः 21.11.2019 — (फीनिक्स ट्रस्ट एफ वाई 20-1 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

इंडियन ओवरसीज बैंक
एसएमई पानीपत- शाखा (2864) संजय चौक, जी.टी. रोड, जिला पानीपत,
फोनः 0180-2661104, ईमेलः iob2864@iob.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक) (परिशिष्ट-IV) [नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.6.2019 जारी कर ऋणधारकः श्री शिवचरण धीमान (मै. शिव हैंडलूम के प्रॉप्राईटर), पुत्र श्री माई चन्द धीमान, श्रीमती रेखा देवी (मै. शिव हैंडलूम के गारन्टर), पत्नी शिव चरण धीमान , पताः भारत नगर, बाईबैल रोड 1396/1, शिव मंदिर के निकट, पानीपत 132103 (यहां के बाद ''ऋणधारक'' वर्णित) की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 31,49,385.27 (रुपये इकत्तीस लाख उन्चास हजार तीन सौ पच्चासी तथा पैसे सत्ताईस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद, वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना में उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज के साथ 31.10.2019 को देय रु. 33,05,573.38 (रुपये तैंतीस लाख पांच हजार पांच सौ तिहत्तर एवं पैसे अड़तीस मात्र) की राशि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ 31.10.2019 को रु. 33,05,573.38 (रुपये तैंतीस लाख पांच हजार पांच सौ तिहत्तर एवं पैसे अड़तीस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. श्री शिव चरण धीमान,पुत्र श्री माई चंद धीमान के स्वामित्व में बिक्री प्रलेख सं. 2098 तिथि 30.6.2019 के माध्यम से खेवत नं. 339, खसरा नं. 101/5, वाक्का पट्टी, मखदूम जड़गन, भरत नगर के नाम से विदित आबादी बवाली रोड के निकट, एम.सी. लिमिट पानीपत एसएलः 400006089615, एएलः 20006081602 के भाग में स्थित भूमि की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
2. बिक्री प्रलेख सं. 5966, तिथि 28.12.2006, रपट नं. 94, तिथि 15.10.2014 के माध्यम से राजस्व अभिलेख में दर्ज चार्ज एवं रपट नं. 429 तिथि 18.4.2017 के माध्यम से पूरक चार्ज के अनुसार श्रीमती रेखा रानी, पत्नी श्री शिवचरण धीमान के स्वामित्व में खेवत नं. 127, खतोनी नं. 162, खसरा नं. 100//17 (8-0), 18 (8-0), 18 (8-0), वाका पट्टी मखदूम जड़गन, भरत नगर के नाम से विदित आबादी, शिव मंदिर/ खेरा के निकट, एम.सी. लिमिट, पानीपत एसएलः 400006089479, एएलः 200006081466 के भाग की भूमि।

तिथिः 21.11.2019, स्थानः पानीपत — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, ध्रुवेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खाते के गैर निष्पादनीय आस्तियां (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणी(ओं)/सह ऋणी(ओं)/ गारन्टर बंधककर्ता(ओं) (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सन्दर्भित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं कराते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कब्जा उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किसी प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 8 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बकाया राशियों को उनके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/ गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
चरन सिंह, श्रीमती रोशनी भारद्वाज (खाता सं.) LSGUR02715-160361391 (L9001060100973472)	13 नवम्बर 2019 ₹852648/- रु. आठ लाख बावन हजार छः सौ इकतालीस मात्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 तक	बैरिंग प्लाट नं. 83, खसरा नं. 24/22/2, 22/1, 23, 25, 35/6/1, 5/2, 5/3, 6/1 मिन पंचर, 24/26 मिन दक्षिण, 5/2, 5/3, 35/6/1, पर्वतियां कॉलोनी, सेक्टर - सोनी, तह. बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
पुनित कुमार, रितू त्यागी (खाता सं.) L9001060116550551	13 नवम्बर 2019 ₹1954618/- रु. उन्नीस लाख चौवन हजार छः सौ अठारह मात्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 तक	सम्पत्ति नं. सी 34 एक्स 4, ग्राउन्ड फ्लोर, ब्लाक नं. सी, पालम, दिल्ली
सुन्देर लाल, रामपाल सिंह, श्रीमती गीता देवी (खाता सं.) LSOEL02716-170473642 (L9001060100685921)	13 नवम्बर 2019 ₹7422370/- रु. सात लाख बाईस हजार तीन सौ सत्तर मात्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 तक	खसरा नं. 1040, राज नगर, ब्लॉक-डी, बेहला, हाजीपुर, परगना लोनी, जिला गाजीयाबाद, उ.प्र.
कुमार उर्फ कुमार सैनी, श्रीमती शिवलेश देवी, विकास यादव (खाता सं.) LSNSP05915-160398779 (L9001060700509156)	13 नवम्बर 2019 ₹7773308/- रु. सात लाख तहत्तर हजार तीन सौ आठ मात्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 तक	सम्पत्ति बैरिंग नं. 193, खसरा नं. 182/1, शान्ति नगर पर, गांव धुन्दाहेरा, परगना लोनी, तह. व जिला गाजियाबाद, उ.प्र.
कपील शर्मा, राम सरण शर्मा, संजय कुमार शर्मा, श्रीमती कोमी देवी, धर्मेन्द्र कुमार शर्मा (खाता सं.) LSES102716-170475301 (L9001060100875845)	13 नवम्बर 2019 ₹2548325/- रु. पच्चीस लाख अठतालिस हजार तीन सौ पच्चीस मात्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 तक	सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-48, खसरा नं. 1013/647, आबादी अशोक नगर, गांव सावोली, इलाका सहादरा, दिल्ली
वीर सिंह, कंवर पाल, श्रीमती अनिता (खाता सं.) L9001060716343685 (L9001060716343685)	13 नवम्बर 2019 ₹3590360/- रु. पैंतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ साठ मात्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 तक	मकान नं. 802/22, खसरा नं. 25/18/1, बामनी, सिकन्दरा, मौजा कादीपुर, आबादी गांधी नगर, गुरुग्राम

स्थान :जयपुर दिनांक: 27-11-2019 — प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	26.5 डि.से.	27.0 डि.से.
न्यूनतम	14.5 डि.से.	14.5 डि.से.	14.5 डि.से.	14.5 डि.से.

खबरों में शहर

काव्य पाठ और विचार गोष्ठी का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

जनवादी लेखक संघ, दिल्ली ने जसवीर त्यागी और महेंद्र बेनीवाल के काव्य पाठ और विचार गोष्ठी का आयोजन किया। दिल्ली जलेस के सचिव प्रेम तिवारी ने कवियों का परिचय दिया। अनुपम त्रिपाठी ने कहा कि जसवीर की कविता में आपको समाज तो मिलेगा लेकिन जनवादी विजन नहीं मिलेगा। अवाम है लेकिन आवाम की चिंता, नहीं है। आलोचक सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि महेंद्र बेनीवाल की कविताएं जाति वर्ण के साथ वर्गों में विभाजित समाज की विसंगतियों को सामने लाती हैं। शंभू यादव ने कहा कि रचनात्मकता दरअसल भाषा का खेल है। बलीसिंह ने कहा कि जसवीर ने अपने आस-पास के जीवन प्रसंगों को कविता का विषय बनाया है और वर्णनात्मक शैली में गूढ़ रहस्यों को व्यंजित किया हैं। महेंद्र की कविताएं अन्य कविताओं को प्रेरणा देने वाली हैं। संजीव कौशल ने कहा कि महेंद्र बेनीवाल समाज परिवर्तन के आपने विचारों को गहराई से महसूस करते हुए लिखते हैं। ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सोच की परतों को वह बड़ी सहजता से उतार देते हैं। राकेश रेणु ने कहा कि हर संवेदनशील व्यक्ति कवि होता है भले ही वह अपनी संवेदना को रचना का रूप दे सके या नहीं। शायर रहमान मुसव्विर ने कहा जसवीर त्यागी और महेंद्र बेनीवाल की कविताएं केवल शब्दों का मकड़जाल नहीं हैं बल्कि उनमें जनवादी चेतना, प्रगतिशील मूल्य और समय की विद्रूपताओं से टकराने की छटपटाहट अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ मौजूद है।

निशंक ने किया तीन किताबों का विमोचन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को अपर मुख्य सचिव (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) डॉक्टर अनीता भटनागर जैन की तीन पुस्तकों 'गर्म पहाड़', 'कुंभ' और 'दिल्ली की बुलबुल' का सिंधी संस्करण का विमोचन किया। डॉक्टर अनीता भटनागर जैन 1985 बैच की आइएएस अधिकारी हैं। इस मौके पर एचआडी मंत्री ने डॉ. अनिता को उनके बेहतरीन लेखन के लिए शुभकामनाएं दीं। मंत्री ने कहा कि वह अपने प्रशासनिक कार्य के साथ लेखन में भी बेहतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें अनुभव की खान हैं। इनमें से दो किताबें 'कुंभ' और 'गर्म पहाड़' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) ने प्रकाशित की हैं। इस दौरान डॉ. अनिता ने पुस्तकों को संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने बताया की 'कुंभ' बच्चों के लिए कहानी की किताब है। इसके माध्यम से बच्चे देश की संस्कृति को जान पाएंगे। 'गर्म पहाड़' पर्यावरण पर आधारित तीन कहानियों का संकलन है। वहीं, 'दिल्ली की बुलबुल' में दस कहानियां हैं। डॉ. अनिता के अब तक 40 प्रकाशन बाजार में आ चुके हैं।

आर्य ने कार्यभार संभाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए अमित आर्य ने बुधवार को हरियाणा भवन स्थित अपने कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद आर्य ने कहा कि वे अपने कर्तव्यों का सदैव निर्वहन करते रहेंगे और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में सरकार व मीडिया के मध्य सेतु को लगातार मजबूत करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर : दयाकृष्ण स्मृति व्याख्यान, गुलमोहर सभागार, सेंटर परिसर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संगीत, सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे से।

इंडिया हैबीटाट सेंटर : संगीत व फिल्म, स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

प्रदर्शनी

कला साक्षी : सामूहिक कला प्रदर्शनी और कार्यशाला, संस्कृति केंद्र, आनंदग्राम, एमजी रोड, सुबह 11 बजे से, एक दिसंबर तक।

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, 5ए, रिंग रोड लाजपत नगर 4, सुबह 10 बजे से, 21 दिसंबर तक।

नौसेना के पूर्व एडमिरल सुशील कुमार का निधन

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 नवंबर।

1965 व 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और गोवा के भारत में विलय कराने में विशेष योगदान देने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल सुशील कुमार की 79 की उम्र में मृत्यु हो गई। नौसेना में एडमिरल रहते हुए वह परिवार के साथ सेक्टर-21 स्थित जलवायु विहार में रहने लगे थे। 1999 में एडमिरल बने सुशील कुमार 2001 में सेवानिवृत्त हुए थे। पिछले दो महीने से उन्हें गले और फेफड़े में संक्रमण के चलते इलाज पहले कैलाश अस्पताल और बाद में आर.आर.अस्पताल में चला। सोमवार सुबह उनकी तबियत में अचानक ज्यादा खराब हुई। जिसमें सुधार नहीं हो सका। पूर्व एडमिरल पत्नी विनीता के सात रहते थे। उनकी इकलौती बेटी अनीशा इंग्लैंड में रहती है। परिवारिक सदस्यों के मुताबिक दिवंगत एडमिरल का शव गुरुवार को नोएडा उनके सेक्टर-21 जलवायु विहार स्थित आवास पर लाया जाएगा। बेटी के आने के बाद अंतिम संस्कार गुरुवार या शुक्रवार को हो सकता है। उनके निधन की सूचना मिलने पर नोएडा आवास पर स्वजनों का आना शुरू हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया था कि संसद पर हमले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हवाई हमले की योजना बनाई थी।

फर्जी तरीके से सेना में कराते थे भर्ती, तीन आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 27 नवंबर।

सेना में फर्जी तरीके से भर्ती कराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश थाना बादलपुर पुलिस ने किया है। गिरोह का संचालन सेना से सेवानिवृत्त हवलदार कर रहा था। पुलिस ने सेवानिवृत्त हवलदार समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर सेना के कर्मचारियों से मिलीभगत कर युवाओं की भर्ती कराते थे। जिसके एवज में पांच से सात लाख रुपए लेते थे। इस मामले में छह लोग वांछित चल रहे हैं, जो वर्तमान में सेना में तैनात हैं। मामले की गंभीरता के चलते इस फर्जीवाड़े की सूचना सेना के उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि थाना बादलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग सेना में भर्ती कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस पड़ताल करने पर महत्त्वपूर्ण सुराग मिले। इस मामले को लेकर पुलिस ने मंगलवार को छपरौला से गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान आदेश कुमार, लव कुमार और प्रमोद कुमार निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है। आदेश और प्रमोद सगे भाई हैं। पुलिस के मुताबिक आदेश कुमार सेना से सेवानिवृत्त हैं। उसने कोचिंग सेंटर खोल रखा है, जिसकी आड़ में युवाओं को सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर पांच से सात लाख रुपए लेता है। शारीरिक, मेडिकल व सत्यापन तक की जिम्मेदारी आरोपियों की होती है। जांच में पता चला है कि सेना में भर्ती का काम देखने वाले कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़े चल रहा था। मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर सेना में तैनात छह कर्मचारी अजीत उर्फ बग्गी एआरओ मेरठ, विक्की एआरओ आगरा, सेंडी हवलदार एआरओ आगरा, विजय हवलदार एआरओ फतेहगढ़, सूबेदार दिवाकरन एआरओ बरेली और राहुल एआरओ वाराणसी का नाम प्रकाश में आया है। गिरफ्तार आरोपी इस मामले में वांछित चल रहे आरोपियों से सांठ-गांठ कर भर्ती में फर्जीवाड़ा कर रहे थे।

कोचिंग सेंटर की आड़ में फंसाते थे युवाओं को

पुलिस के हत्थे चढ़े आदेश कुमार ने 2016 में सेना से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त होकर कोचिंग सेंटर खोला था। जहां युवाओं को शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती थी। क्षेत्र के

लड़कों को सेना में भर्ती कराने का झांसा देता था। अपने सगे भाई प्रमोद कुमार और गांव के लव कुमार के साथ मिलकर ऐसे लड़कों को तलाशते थे, जो सेना में जाने के इच्छुक होते थे। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क करते थे। आदेश कुमार के साथ काम करने वाले कर्मचारी विभिन्न भर्ती केंद्रों पर तैनात हैं। यदि किसी आवेदक की लंबाई कम रह जाती है, तो उसका फर्जी निवास प्रमाण पत्र सामान्य जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड प्रांत का बनाकर सेना में भर्ती करा देते थे। जबकि उत्तर प्रदेश के सभी फर्जी प्रमाण पत्र खुद तैयार करते हैं।

पत्नी की हत्या के आरोप में पति सहित तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

जनकपुरी में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हरिनगर निवासी संजय शर्मा ने अपनी बेटी नैन्सी (20) से संपर्क न होने की शिकायत पुलिस में की थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो शक पुख्ता होता गया। पुलिस ने नैन्सी के पति साहिल चोपड़ा से पुछताछ की तो मामला सुलझा लिया। उसकी गिरफ्तारी हुई। नैन्सी की शव भी पानीपत से बरामद कर लिया गया। इस वारदात में शामिल दो और लोगों को भी पकड़ा गया।

पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल चोपड़ा (21) ने जुर्म कबूला और बताया कि वह उससे रोज हो रहे झगड़े से तंग आ चुका था। उसने नैन्सी को गोली मार दी। नैन्सी के पिता संजय शर्मा के मुताबिक नैन्सी और साहिल की शादी इसी साल 27 मार्च को हुई थी।

सस्ती और सुलभ शिक्षा के लिए विद्यार्थियों ने कनॉट प्लेस में बनाई मानव शृंखला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के समर्थन में दिल्ली के कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने कनॉट प्लेस में बुधवार को मानव शृंखला बनाई। छात्र संघ एक महीने से छात्रावास के बढ़े हुए शुल्क को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को पूरे देश के विद्यार्थियों से देश में सस्ती और सुलभ शिक्षा की रक्षा के लिए राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने की अपील की थी। बुधवार को कनॉट प्लेस सर्किल मेट्रो गेट नंबर पांच के पास जमा होकर विद्यार्थियों ने नारेबाजी की। इस मौके पर जेएनयू छात्र संघ की निर्वाचित अध्यक्ष आईशी घोष ने कहा कि जेएनयू विद्यार्थियों द्वारा चलाया गया आंदोलन अब आइआइटी और एम्स में भी असर कर रहा है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन पूरे देश में सस्ती और सुलभ शिक्षा के लिए है।

फोटो : अरुष चोपड़ा

हम मांग करते हैं कि एचआरडी की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति ने जो सिफारिशें की दी हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए।

मेवाड़ में राम की बाल लीलाओं का वर्णन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

वसुंधरा स्थित मेवाड़ संस्थान में मानस मर्मज्ञ संत अतुल कृष्ण भारद्वाज की चल रही श्रीराम कथा के चौथे दिन भगवान श्रीराम की बाल लीला का वर्णन किया गया। संत अतुल कृष्ण महाराज ने कहा कि सूर्यवंश में अवतार लेने के बाद भी भगवान ने अपने नाम के साथ चंद्र लगाया। ये चंद्र भगवान को महत्त्व देने और सभी मे शीतलता का प्रचार किया। श्रीराम के जन्म लेते ही भगवान शिव उनके दर्शन करने वेश बदलकर गए। इस लीला का इतना सुंदर वर्णन किया कि भक्तगण भाव विभोर हो उठे। अनेक प्रसंगों से अतुल कृष्ण महाराज ने श्रीराम की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया। चौथे दिन मानस पूजन में जजमान मेवाड़ संस्थान के अध्यक्ष डॉ अशोक कुमार गदिया, महासचिव अशोक कुमार सिंघल सपरिवार शामिल हुए। संचालन कवि डॉ चेतन आनंद ने किया।

यह सामान्य शिक्षा का दौर नहीं : एसपी सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

शिक्षाविद एसपी सिंह ने कहा कि यह सामान्य शिक्षा का दौर नहीं है। छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार रहना होगा। वे दक्षिण दिल्ली के संगम विहार स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में आयोजित पुस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा-समय के अनुसार शिक्षकों को भी खुद को अपडेट करना होगा।

प्रधानाचार्य अलका मिश्रा के मुताबिक इस समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया।

मंडी हाउस पर दूसरे दिन भी दिव्यांगजनों का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

रेलवे के ग्रुप डी में नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांगजनों ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को मंडी हाउस पर प्रदर्शन किया। इससे मध्य और नई दिल्ली इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक मोटरवाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने की सलाह दी गई। लोग दिल्ली गेट, मंडी हाउस से फिरोजशाह की तरफ और बाराखंभा रोड की तरफ पैदल जाने को विवश हो गए। यातायात पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि प्रदर्शन की वजह से दिल्ली गेट से विकास मार्ग होते हुए आइटीओ एवं लक्ष्मीनगर जाने के मार्ग में यातायात बाधित रहा।

छात्राओं के दो गुटों के बीच झगड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

यमुना विहार स्थित राजकीय विद्यालय में बुधवार को छात्राओं के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। लड़ रही छात्राओं के वीडियो वायरल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यमुना विहार नंबर-एक में स्कूल की छात्राओं के बीच सोमवार को हुए झगड़े ने सबको दंग कर दिया। छात्राओं के बीच स्कूल के बाहर रोड पर जमकर लात और घूंसे चले। दोपहर को स्कूल में छुट्टी के बाद दोनों गुट की छात्राओं के बीच पहले सड़क पर हाथापाई हुई।

छात्राओं की दबंगई वीडियों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि छात्राओं के बीच यह झगड़ा प्रेम-प्रसंग को लेकर हुआ है। हैरत की बात यह है कि घटना उस जगह हुई है जहां पर उप शिक्षा निदेशक का कार्यालय भी है। इस मामले में स्कूल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया।

हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 27 नवंबर।

अट्टा गुजरान गांव में रहने वाले हिंदू वाहिनी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संदीप नागर की मंगलवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव बुधवार को पड़ोसी गांव जगनपुर के पास बांध पर पड़ा मिला। हत्या की वजह रुपए के लेन-देन को लेकर बताई गई है और आरोप जीजा (मौसी का दामाद) पर है। आरोपी है कि मुख्य आरोपी ने ही संदीप को घर से बुलाकर अपने पिता व एक दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची थाना दनकौर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीजा समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

दनकौर इलाके के गांव अट्टा गुजरान निवासी संदीप नागर हिंदू युवा वाहिनी संगठन के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे। उनकी गांव में परचून की दुकान थी। आरोप है कि मंगलवार करीब 9:30 बजे उसका रिश्तेदार रोहित निवासी गांव साकीपुर अपने एक अन्य साथी रिंकू के साथ अट्टा गुजरान पहुंचा और कहीं चलने के बहाने संदीप को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले गया। काफी देर बाद संदीप के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। अनहोनी की आशंका में परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। इस बीच बुधवार सुबह करीब 10 बजे गांव से करीब 500 मीटर दूर जगनपुर गांव के पास बांध पर एक अज्ञात शव होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव की संदीप नागर के रूप में शिनाख्त की।

सूचना पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक के सिर में एक गोली लगी हुई थी, जो मुंह की तरफ से पार निकल गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया गया है कि मौके से बीयर की कुछ बोतलें और अन्य सामान बरामद हुआ है। मृतक के पिता वीरु नागर ने हत्या का आरोप रोहित, चमन और रिंकू भड़ाना पर लगाया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

'एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड' का लोकार्पण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

आइपीएस अफसर अशोक कुमार और गौरव तलवार की पुस्तक 'एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड' का लोकार्पण हुआ। प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित यह पुस्तक सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इस पुस्तक में यूपीएससी परीक्षा से संबंधित केस स्टडीज भी हैं, जो सिविल सर्विसेज की परिक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन करेगी।

पुस्तक विमोचन के अवसर पर प्रभात प्रकाशन के एजुकेशनल बुक के प्रभारी अभिषेक शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर लेखक अशोक कुमार ने कहा कि सिविल सेवा पेपर-4 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी व महत्त्वपूर्ण पुस्तक साबित होगी, ऐसी हमें उम्मीद है।

उपभोक्ताओं से 15-20 साल पहले जमा हुई जमानत राशि की रसीद मांग रहा बिजली विभाग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 नवंबर।

शहर के करीब 50 हजार बिजली उपभोक्ता इन दिनों जमानत राशि (सिक्योरिटी मनी) के फेर में उलझ गए हैं। विभाग ने पांच किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता के कनेक्शन लेने वाले करीब 70 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस के बाद अब बिल बनाकर भेज दिया है। आरोप है कि दशकों बाद नोएडा के उपभोक्ताओं से 8 से 50 हजार रुपए तक जमानत राशि मांगी जा रही है। 31 दिसंबर तक यह धनराशि जमा नहीं कराने पर अधिकारियों ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्हें बकाएदार की सूची में डाला जा सकता है। खास बात यह है कि बरसों पहले जमा जमानत राशि का दावा कर बिजली दफ्तरों में पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को कर्मचारी पुराने दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं। जबकि ज्यादातर के पास 15-20 साल पहले जमा कराई बिजली जमानत राशि की खो चुकी है।

> *विभाग* ने पांच किलोवाट और उससे अधिक क्षमता के कनेक्शन लेने वाले करीब 70 हजार उपभोक्ताओं को भेजे नोटिस के बाद अब बिल बनाकर भेजा
>
> *आरोप,* दशकों बाद उपभोक्ताओं से मांगी जा रही है 8 से 50 हजार रुपए तक जमानत राशि। 31 दिसंबर तक जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी

राजस्व की भरपाई के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने जमानत राशि जमा कराने की घोषणा कर दी है। जिसके लिए हर जिले में उपभोक्ताओं से जमानत राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2003 में बने कानून में उपभोक्ताओं से जमानत राशि जमा कराने का प्रावधान तय किया गया था। हालांकि इस नियम को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। विद्युत नियामक आयोग के समक्ष 2010 से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे आर. एस. अवस्थी के मुताबिक नौ साल से यह लड़ाई जारी है। 2003 में बने कानून के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं ने जमानत राशि जमा की है, उन्हें इस रकम पर ब्याज मिलना चाहिए। उपभोक्ताओं के हित के लिए भी प्रावधान तय किया गया था। पुराने उपभोक्ताओं से 60 दिन के बिल के बराबर जमानत राशि जमा कराई गई है। जबकि यह राशि 45 दिन के बराबर होनी चाहिए।

विद्युत नियामक आयोग ने इस मुद्दे पर विभाग का ऑडिट कराने का आदेश गत दिनों दिया था। इस मामले पर बिजली विभाग के मुख्य अभियंता सर्वेश खरे ने माना कि कुछ उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी हो गए हैं। ऐसे लोग विभाग में संपर्क कर पुराने रजिस्टर में दर्ज ब्यौरे की जांच कर सकते हैं। जमानत राशि पहले जमा करा चुके उपभोक्ताओं से वसूली नहीं की जाएगी।

जल-सीवर शुल्क बकाएदारों के लिए नोएडा ने निकाली समाधान योजना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 नवंबर।

पानी के बिल के बकाएदारों के लिए नोएडा ने समाधान योजना निकाली है। जिसमें कुल देय राशि पर लगने वाले ब्याज में 40 फीसद तक की छूट दी जा रही है। यह छूट अवैध संयोजनों पर लगी जुर्माना राशि पर भी दी जा रही है। योजना में 29 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद बगैर किसी सूचना के प्राधिकरण ने अवैध संयोजनों एवं बकाएदारों के जल-सीवर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। ऐसे बकाएदारों से आरसी के जरिए वसूली की जाएगी।

30 नवंबर 2019 तक जिन आबंटियों का पानी के बकाया हैं। ऐसे आबंटी एक दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक बकाया जामा करते हैं तो उन्हें कुल देय ब्याज राशि पर 40 फीसद की छूट मिलेगी। एक जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक बकाया जमा करने पर ब्याज राशि में 30 फीसद और एक फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक बकाया जमा करने पर ब्याज में 20 फीसद की छूट दी जाएगी।

साथ ही अनाधिकृत संयोजनों के मामले में कम से कम पांच साल यानी 30 अक्तूबर 2014 से स्थायी जल प्रभाव अथवा स्थायी पंजीकरण की तिथि या इकाई कार्यशील घोषित तिथि या अधिभोग प्रमाण पत्र की तारीख, जो भी पहले जारी हुआ है, उस पर अनुमन्य ब्याज सहित जुर्माना राशि पर सामान्य प्रकरणों में 40 फीसद की छूट दी जाएगी। निम्न आय वर्ग यानी ईडब्लूएस, एलआइजी , श्रमिक कुंज व ग्रामीण संयोजन में 50 फीसद की प्रदान की जाएगी। ऐसे आबंटी, जिन्होंने जल-सीवर आदि के कनेक्शन अभी तक नहीं लिए हैं, उन्हें कब्जा प्रमाण पत्र की तारीख से कनेक्शन लगने की तारीख तक प्रतिवर्ष अनुरक्षण (मेंटिनेंस) शुल्क जमा करना होगा। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो बकाएदार या अनाधिकृत संयोजन वाले आबंटी समाधान योजना का लाभ नहीं उठाते हैं, उनके तत्काल कनेक्शन काटकर आरसी के जरिए वसूली की जाएगी।

www.readwhere.com

एनआरसी को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में भाजपा

असम में लागू की गई है व्यवस्था, अब देश भर में लागू करने की तैयारी

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 27 नंवबर।

2024 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अपना चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा चाहती है कि एनआरसी की व्यवस्था असम के बाद अब देश भर में लागू होगा। इस फैसले का सीधा लाभ पार्टी को आम चुनाव में होगा। अब तक भाजपा राम मंदिर के मसविदे को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन पार्टी सूत्र भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यह एनआरसी 2024 तक के लिए पार्टी के लिए कारगर साबित नहीं होगा।

पार्टी सूत्र मानते है कि एनआरसी लागू होता है तो इससे 2024 के आम चुनाव के समीकरणों को बदला जा सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि रामजन्म भूमि का मामला आम जनता की भावनाओं से जुड़ा मामला है लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव में लोगों का ध्यान खींचना एक बड़ी चुनौती होगी। जबकि देश में एनआरसी की व्यवस्था पार्टी को बड़ा सहयोग करेगी। इसकी मदद से पार्टी अपने मूल मतदाताओं तक पहुंच बना सकेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता के साथ रहे रहे हैं, उन्हें भी चुनाव आयोग की सूची से बाहर किया जा सकेगा। पार्टी पहले ही आगामी सामान्य चुनाव के लिए कई पहल कर चुकी है और इसी एजंडे को लेकर आगे बढ़ रही है।

मंदिर का मसला भुनना मुश्किल

पार्टी सूत्र मानते है कि एनआरसी लागू होता है तो इससे 2024 के आम चुनाव के समीकरणों को बदला जा सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि रामजन्म भूमि का मामला आम जनता की भावनाओं से जुड़ा मामला है लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव में लोगों का ध्यान खींचना एक बड़ी चुनौती होगी। जबकि देश में एनआरसी की व्यवस्था पार्टी को बड़ा सहयोग करेगी। इसकी मदद से पार्टी अपने मूल मतदाताओं तक पहुंच बना सकेगी।

पार्टी सूत्रों ने असम में लागू एनआरसी का उदाहरण देते कहा कि असम में एनआरसी लागू होने के बाद अवैध तरीके से रह रहे करीब 17 लाख अवैध मतदाताओं को चुनाव आयोग की सूची से बाहर किया गया है। देश में एनआरसी व्यवस्था लागू होगी, तो इसका लाभ पार्टी को होगा। इस प्रक्रिया में करीब चार लाख मतदाता हटाए गए हैं। माना जा रहा है कि इसका लाभ दिल्ली व एनसीआर में भी मिल सकता है। यहां भी बड़ी संख्या में बंगलादेशी रह रहे हैं। हर राज्य में तीन-चार लाख तक मतदाता हर राज्य से हटाए जा सकते हैं। इसलिए जल्द ही देश भर में एनआरसी लागू करने के लिए भाजपा जमीनी तैयारी शुरू करने जा रही है।

असम में इस व्यवस्था को लेकर हुए बवाल पर पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की स्थिति में इसकी सुनवाई के लिए भी प्रावधान होगा और इससे किसी भी सामान्य नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सुनवाई विभिन्न मंचों पर की जा सकेगी। इस स्थिति से बचने के लिए असम सरकार के अनुभवों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।

प्रश्नकाल में पूछे गए सभी 20 सवाल, मंत्रियों ने दिए जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्न संख्या 135 के लिए सांसद गोपाल शेट्टी का नाम पुकारा तो मुंबई उत्तर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद शेट्टी अपनी बात कहने से पहले थोड़े अकचका से गए क्योंकि उन्हें शायद यह कतई उम्मीद नहीं थी कि प्रश्नकाल के दौरान उनके सवाल का नंबर भी आ जाएगा। कुछ पलों तक प्रश्नसूची के पन्ने पलटते हुए वे सूची में लिखे अपने प्रश्न तक पहुंचे और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बात की बधाई दी कि सूची में आखिरी छोर पर होने के बावजूद उन्हें भी अपना सवाल पूछने का मौका मिला।

दरअसल, लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सभी 20 सवाल पूछे गए और इन सभी सवालों के मंत्रियों ने जवाब भी दिए। आम तौर पर ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर मौकों पर प्रश्नकाल के दौरान दूसरे मामले उठाए जाने और हंगामे की वजह से सभी सांसदों के प्रश्न लिए जाने से पहले ही समय समाप्त हो जाता है। इस दृष्टि से बुधवार का दिन अपवाद रहा। प्रश्नकाल के सुचारू संचालन पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सभी सदस्यों को बधाई दी कि उनके सहयोग से सभी सवाल पूछे जा सके। उनहोंने सरकार के सभी मंत्रियों का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी यह कोशिश होगी कि सभी सदस्य अपना पूरा प्रश्न पूछ सकें और मंत्रियों से उनको अपने सवालों का संक्षिप्त में जवाब मिल जाए।

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी प्रश्नकाल के सुचारू संचालन और सभी 20 प्रश्नों को सदन में पूछे जाने और सभी के जवाब दिए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष को समूचे सदन की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि यदि पिछले कुछ समय की बात करें तो यह अपने आप में एक रेकार्ड है।

15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ा

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ाकर 30 अक्तूबर 2020 तक कर दिया है। वित्त आयोग कर राजस्व और दूसरे संसाधनों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे के बारे में अपने सुझाव के साथ केंद्र को रिपोर्ट सौंपता है।

एक अधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग को अपनी पहली रिपोर्ट पहले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सौंपने की मंजूरी दी है। उसके बाद आयोग के कार्यकाल को बढ़ाते हुए उसे 30 अक्तूबर 2020 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021- 22 से लेकर 2025-26 तक के लिए देने को कहा है।' आयोग का कार्यकाल मूलरूप से अक्तूबर 2019 तक था लेकिन बाद में इसे एक महीना बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया गया।

वक्तव्य में कहा गया है कि वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ने से उसे 2020-2026 की अवधि के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहूलियत होगी। इस दौरान आयोग नए आर्थिक सुधारों और वास्तविकताओं के मद्देनजर वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलनात्मक अनुमानों का परीक्षण कर सकेगा। वक्तव्य में कहा, 'चुनाव आचार संहिता लागू होने और कई तरह के प्रतिबंध लगे होने के कारण आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा पूरा कर पाया।

निकाय प्रमुख चुनाव नतीजों ने बढ़ाया गहलोत का सियासी कद

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 27 नवंबर।

राजस्थान के शहरी निकाय प्रमुखों के चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। प्रदेश के 49 शहरी निकायों के नतीजों से कांग्रेस में उत्साह बढ़ा और भाजपा को धक्का लगा है। कांग्रेस ने 35 निकायों में अपने प्रमुख बनाए जबकि भाजपा को सिर्फ 11 पर ही जीत मिली है। इन नतीजों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने संतोष जताया और कहा कि जनता उनकी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। इन नतीजों से गहलोत का सियासी कद भी बढ़ गया।

प्रदेश में हुए शहरी निकायों के चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस ने जिस ढंग से जीत हासिल की उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे उत्साहित हैं। गहलोत ने इस जीत के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। गहलोत का कहना है कि प्रदेश में दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके बाद से ही लग रहा था कि जनता सरकार के कामकाज से खुश है। सरकार ने शासन संभालने के बाद जनहित के कदम उठाने शुरू कर दिए थे। उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सराहना मिल रही थी। सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को मजबूती देने का काम किया। इस बार तो सरकार राइट टू हैल्थ पर काम कर रही है। चिकित्सा महकमा इस महत्वाकांक्षी योजना पर गहराई से काम कर रहा है। सरकार ने विभिन्न तबकों को दी जाने वाली पेंशन योजनाओं की राशि में बढ़ोत्तरी कर जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने पार्टी को जीत दिलाई है। कांग्रेस हमेशा ही जनहित के काम को प्राथमिकता से करती है। कांग्रेस हमेशा अपने वादे पर खरा उतरती है।

फॉर्म-जी
प्रस्ताव योजना हेतु आमंत्रण
(इंसॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये इंसॉलवेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए (1) के अधीन)

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	होटलाईन सीपीटी लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	19/06/1996
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज- दिल्ली
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U55101DL1996PLC079756
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय का पता कारपोरेट ऋणी का प्रधान कार्यालय	52ए, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-III, दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110020
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेंसी शुरुआती तिथि	27.08.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	28.11.2019
8.	कोड की धारा 25(2) (एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	13.12.2019
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	18.12.2019
12.	अंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	20.12.2019
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	23.12.2019
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापना, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	23.12.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव पेशेवर आईबीसी, 2016 की धारा 29-ए के अंतर्गत केवाईसी, निवेश की क्षमता, प्रबंधन की योग्यता और पात्रता, सीओसी द्वारा अनुमोदित पूर्व-योग्यता मानदंड यदि कोई है, के सत्यापन के बाद इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्ताव योजना/मूल्यांकन सारणी/सूचना ज्ञापन के लिए अनुरोध शेयर करेगा।
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06.01.2020
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
18.	अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुमानित तिथि	22.02.2020 से पूर्व निर्णय लिया जाएगा।
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	चिराग शाह IBBI/IPA-001/IP-P01169/2018-19/11837
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम पेशेवर का नाम, पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	चिराग शाह 208, रत्नाराज स्प्रिंग, नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक के साथ, एचडीएफसी बैंक हाऊस के विपरीत, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, भारत-380009 chirag.irp@gmail.com
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	208, रत्नाराज स्प्रिंग, नवनिर्माण को-आप बैंक के साथ, एचडीएफसी बैंक हाऊस के विपरीत, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, भारत-380009 hot-linecpt@aaainsolvency.com
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	28.11.2019

चिराग शाह,
प्रस्ताव पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P01169/2018-19/11837
208, रत्नाराज स्प्रिंग, नवनिर्माण को. ऑप. बैंक के साथ, एचडीएफसी बैंक हाऊस के विपरीत, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, भारत-380009
कृते होटलाईन सीपीटी लिमिटेड

दिनांक: 28.11.2019
स्थान: अहमदाबाद

फॉर्म-जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(हियाना और प्रोमोशन लिमिटेड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए (1) के अधीन)

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट ऋणी का नाम	केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	16.01.1997
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-कानपुर
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L25209UP1997PLC021118
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	यूनिट, कानपुर, 5 व 6/2, पुराने [illegible] इंडस्ट्रियल एरिया, विकेटगंज, मुरादाबाद यूपी-[illegible] कॉर्पोरेट कार्यालय, सी-4, सेक्टर, के.ज.II, सौम्यबुद्ध नगर, नोएडा, यूपी-201305
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेंसी शुरुआती तिथि	14.08.2019 (आदेश 14.08.2019 को सम्प्रेषणार्थी को विस्तृत या आदेश किया गया)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	27.10.2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	आवेदकों की वेबसाइट www.rbaa.in जिसके साथ प्रस्ताव पेशेवर जुड़ा हुआ है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	सम्भावी रिजोल्यूशन प्रस्ताव के प्रस्तुत पेशेवर के निम्नलिखित ईमेल आईडी: ip.fedders@rbaa.in व ashok.gulia@rbaa.in में इस की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	12.12.2019
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	12.12.2019
12.	अंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	17.12.2019
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	18.12.2019
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	12.12.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव योजना (आवेदन सारणी) के लिए अनुरोध, मूल्यांकन सारणी और सूचना ज्ञापन (आवेदन) प्रस्ताव पेशेवर के निम्नलिखित ईमेल आईडी: ip.fedders@rbaa.in व ashok.gulia@rbaa.in के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदक आगामी, मूल्यांकन सारणी और आवेदन टेम्पलेट और प्रस्ताव आवेदन कोड, 2016 की धारा 24(2) के अधीन पीसीएमएस का पोस्ट पर होने के बाद इस किए जा सकते है।
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10.01.2020
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	प्रस्ताव योजना निम्नलिखित को या सीएमएस पेशेवर के प्रस्तुत किए जा सकते है: श्री अशोक कुमार गुलिया, प्रस्ताव पेशेवर, कृते केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्फत आरबीएसए पेशेवर्स एडवाइजरी सर्विसेज, यूनिट 1201, आइकॉन टावर, 15, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना के प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि	26.02.2020
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	अशोक कुमार गुप्ता IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-18/10174
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	अशोक कुमार गुप्ता, आरबीएसए पेशेवर्स एडवाइजरी सर्विसेज, यूनिट 1201, आइकॉन टावर, 15, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 ashok.gulia@rbaa.in
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	आरबीएसए पेशेवर्स एडवाइजरी सर्विसेज, यूनिट 1201, आइकॉन टावर, 15, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 ip.fedders@rbaa.in
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	आगामी जानकारी को प्रस्ताव पेशेवर के निम्नलिखित ईमेल आईडी: ip.fedders@rbaa.in व ashok.gulia@rbaa.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	मूल रूप से 27.10.2019 को जारी किया गया। अब 28.11.2019 को पुनः जारी किया गया

केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कार्पोरेट ऋणी) रिजर्व बैंक आदेशों के लिए दायरे/कार्यवाहियों निदेशकों के निर्णय/निर्णय और अन्य क्षेत्र, सहित सहमतियों एवं विनिर्माण, सहायक लिए सीमित, इंजीनियरिंग और निर्माण/संचालन के लिए योग्य प्रौद्योगिकी की विशेषज्ञ, इंजिनियर और उसी प्रकार कारण, रेलवे के लिए औद्योगिक इंजिनियर इंजीनियर लाइसेंस में नियुक्त है। उपरोक्त विवरण गतिविधियों के लिए निर्णय स्थानों पर काम फैक्टरी लगाई हुई है। इसलिए, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (क) उसी विवरण के लिए, (ख) अन्य विवरण दिशानिर्देश के साथ पहले/दूसरे दिशानिर्देश अनुसार-अनुसार का संयुक्त, और (ग) कारपोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों की अभिव्यक्त संकेतों के लिए पहले/दूसरे दिशानिर्देश से अन्य दिशानिर्देश पहुंच स्थान विधी या के अनुसार-अनुसार या अन्य दिशानिर्देश के साथ संयुक्त रूप से करने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव पेशेवरों के आवेदन की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.rbaa.in के "रीसेंट आपडेट्स" टैबलेट पर जाएं।

कृते केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./- अशोक कुमार गुप्ता
प्रस्ताव पेशेवर

दिनांक: 27.11.2019
स्थान: नई दिल्ली

इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(सी आईएन: U65910DL1986GOI026363)
कुमी फ्लोर, एन. बी. सी. सी. प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, फोन नं. 24369766-69
फैक्स: 24369770 वेबसाइट: www.irfc.nic.in ई-मेल: info@irfc.nic.in

बॉण्ड सर्टिफिकेटस् के गुम होने की सूचना

कृपया संज्ञान ले कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि. के पोर्टी तथा 10वां सीरिज के टैक्स-फ्री बॉण्डस से संबंधित निम्नलिखित बॉण्ड सर्टिफिकेट्स के बारे में पंजीकृत बॉण्ड धारकों/लाभार्थियों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की है और उन्होंने डुप्लीकेट बॉण्ड सर्टिफिकेट्स जारी करने का अनुरोध किया है:

क्र. सं.	पोर्टफोलियो सं.	बॉण्ड धारक/ रिपोर्ट करने वाले शाखाकर्ता का नाम	एलओए/ डी सी सं.	बॉण्डों की विशिष्ट संख्या	बॉण्डों की संख्या	कुल अंकित मूल्य रु. में
1.	बी410067 9% नियत नवरत्न अधिकरण/ टैक्स-फ्री बॉण्ड	नियत नवरत्न अधिकरण-तावरवर्ती	डीएसडी-33 और डीएसडी-34	47534-47733	200	2[illegible]
2.	आईआरएफ-0501010	कमीज एवं कोरी एचयूएफ	501010	471044-471280	237	2370000.00
3.	आईआरएफ-0500825	मनीष एवं कोरी एचयूएफ	500825	380147-380383	237	2370000.00

कोई व्यक्ति जिसका उपरोक्त बॉण्ड सर्टिफिकेट्स के संबंध में कोई दावा अथवा हक/हितकर है, से अनुरोध है कि वे इस संबंध में इस सूचना के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, इसके बाद कंपनी इस पर कार्यवाही कराएगी अतः कृपया नोट कर ले कि दावा शुरू में ही पर्याप्त दस्तावेजी सबूत के साथ किया जा सकता है, अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.11.2019
ए.सामंसी
उप महाप्रबंधक (वित्त) / आईआरएफसी

मैसर्स बिमला मारू फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
परिसमापक का पता : 803ए, न्यू ज्योति सीजीएचएस, प्लॉट सं. 27, सेक्टर-4, द्वारका, दिल्ली-110078

ई-नीलामी विक्रय सूचना

ऋणशोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 एवं उसके तहत विनियमों के अधीन जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति का विक्रय वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा किया जायेगा।

नीलामी की तिथि एवं समय	बुधवार, 04.12.2019 को 3.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच
ईएमडी जमा करने करने की अन्तिम तिथि	2.12.2019
निरीक्षण की तिथि तथा समय	30.11.2019 को 12.30 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न के बीच पूर्व सुनिश्चितीकरण सहित

विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	ज.ध.रा. (रु.)
अर्द्ध-निर्मित गारमेंट्स तथा रेडीमेड गारमेंट्स के अस्वीकृत लॉट का स्टॉक	रु. 15,00,000/-	रु. 1,50,000/-
फैब्रिक का स्टॉक	रु. 70,00,000	रु. 7,00,000
होण्डा सीआरवी DL-7C-F-5350, सफेद रंग	रु. 1,70,000/-	रु. 17000/-
हुंडई-i10 ग्रैण्ड DL-070-1660, सफेद रंग	रु. 70,000/-	रु. 7000/-
हुण्डई i20 मैग्ना DL-9C-AA-3244, सफेद रंग, आरसी की पुस्तिका उपलब्ध नहीं	रु. 1,10,000/-	रु. 11000/-
मारुति सुजुकी वैगन आर DL-5C-1-4590, ग्रे रंग	रु. 1,00,000/-	रु. 10000/-

इच्छुक संविदाकारों द्वारा ईएमडी (प्रतिदेय) "मैसर्स बिमला मारु फैशन्स प्रा.लि. (परिसमापनाधीन)" के खाते में जिसका खाता सं. 00990200000950 और आईएफएससी कोड BARB0SOUTHE, बैंक ऑफ बड़ौदा, डिफेन्स कॉलोनी शाखा है, 02.12.2019 को या इससे पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : श्री तिलक मराठा/पुष्पित मारू (मो. +916351896834) लैण्डलाइन नं. 079-61200581/586/584/554/594.

ह./-
तिथि : 28.11.2019
स्थान : दिल्ली
सतीश कुमार माथुर
बिमला मारू फैशन्स प्रा.लि. के परिसमापक
आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00132/2017-18/10348
मोबाइल नं. 8175859618

प्लैनेटकॉस्ट मीडिया सर्विसेज लिमिटेड
सीआईएन: U64200DL1996PLC078558
पंजीकृत कार्यालय: 1121, हेमकुंट चैम्बर्स, 11वीं मंजिल, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
फोन: 011-26471158, ईमेल: mail@planetc.net, वेबसाईट: www.planetc.net

शुद्धि पत्र (कंपनी के अनुरक्षित लेनदारों के लिए)

[illegible]

अनुरक्षित लेनदारों के अनुरोध किया जाता है कि वे इस पत्र ध्यान दें कि कंपनी के अनुरक्षित लेनदारों की बैठक का समय गलती से दोपहर 1:00 बजे के स्थान पर प्रातः 10:00 बजे कर गया था। तदनुसार, इस पर ध्यान रखें कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंचवाले के 8 नवंबर, 2019 के आदेशानुसार तथा कंपनी के अनुरक्षित लेनदारों की बैठक का समय 28 दिसंबर, 2019 को दोपहर 1:00 बजे सी-34, सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201307 पर आयोजित किया जाएगा।

हस्ताक्षर
प्लैनेटकॉस्ट मीडिया सर्विसेज लिमिटेड के लिए
([illegible])
[illegible]

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
विकमार्क कैपिटल इन्डस्ट्री कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू45201डीएल2008पीटीसी147300) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110055 में है के मामले में
आवेदक / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को शामिल करने हेतु 25 नवंबर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हो, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निबंधक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110055

आवेदक की ओर से और उसके लिए
विकमार्क कैपिटल इन्डस्ट्री कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
ह0/-
कुलदीप यादव
निदेशक
डीआईएन: 07390355

दिनांक: 27.11.2019
स्थान: गुड़गांव

Bank of Maharashtra
दिल्ली अंचल कार्यालय,
15, एनबीसीसी टावर, 3रा तल,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

सरफैसी नियमावली के नियम 8(1)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.7.2019 जारी कर 1. श्री धरमवीर सिंह, पुत्र श्री मीर सिंह (ऋणधारक), 2. श्रीमती राजवन्ती, पत्नी श्री धरमवीर सिंह (ऋणधारक) तथा 3. श्री घनश्याम सिंह (गारन्टर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,07,367/- (रुपये तीन लाख सात हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) + 3.7.2019 से अनुबंधित दर पर अ-प्रयुक्त ब्याज) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। (यह सूचना स्पीड डाक से भेजी गई थी।)

ऋणधारक एवं गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्

जनसत्ता

28 नवंबर, 2019

भ्रष्टाचार के खिलाफ

इस साल पांचवी बार सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इक्कीस और आयकर अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी कर दी। इससे यह साफ हो गया है कि भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं है। सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कवायद में अब तक पिच्यासी अधिकारियों की सेवा खत्म की जा चुकी है, जिनमें चौंसठ अधिकारी कर विभाग के हैं। ये सारे अधिकारी वे हैं जिनके खिलाफ घूसखोरी, जबरिया वसूली, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने सहित भ्रष्टाचार के दूसरे संगीन मामले दर्ज हैं। यों तो सरकार का शायद ही कोई ऐसा महकमा होगा जहां भ्रष्टाचार न हो, लेकिन कर विभाग में भ्रष्टाचार सीधे-सीधे आम लोगों से जुड़ा है और कर संग्रह का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी किस कदर लोगों को धमकाते हुए लूटते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। खासतौर से कारोबार करने वाले व्यापारी आयकर विभाग की लूट से आतंकित रहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले से अपने भाषण में कहा भी था कि कर विभाग में कुछ काली भेड़ें हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके ईमानदार करदाताओं को परेशान करती हैं। घूसखोर अधिकारी आयकरदाताओं को इस हद तक परेशान कर देते हैं कि कई बार तो लोग मौत को गला लेते हैं। पांच महीने पहले कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने भी आयकर विभाग की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी।

सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भले कितने अभियान चला ले, लेकिन इसे जड़ से खत्म कर पाना बहुत ही दुष्कर काम है। ऐसा इसलिए है कि हमने भ्रष्टाचार को एक तरह से आत्मसात कर लिया है और मान बैठे हैं कि यह हमारे समाज, प्रशासन और सरकारों का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने इस साल भारत में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा सर्वे कराया था। इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि साल भर में इक्यावन फीसद लोगों ने घूस देकर अपने काम करवाए। सबसे ज्यादा यानी छब्बीस फीसद लोगों को संपत्ति और भूमि संबंधी कामों के लिए घूस देनी पड़ी। बीस फीसद लोगों को पुलिस में पैसे खिलाने पड़े। इसी तरह नगर निगम, बिजली विभाग, जल विभाग, आरटीओ दफ्तर और अस्पताल ऐसे ठिकाने हैं जहां बिना लेन-देन के काम करा पाना संभव नहीं है और इन महकमों से आमजन का सीधा साबका पड़ता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में निचले स्तर पर किस कदर भ्रष्टाचार पसरा है और लोग पैसे देकर काम कराने को मजबूर होते हैं।

कहने को ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं और इसका मकसद भी यह है कि लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं हो पा रहा है। बड़ी समस्या यह है कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए हमारे पास पुख्ता तंत्र का अभाव है। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि ऐसे मामलों की शिकायतें कहां की जाएं। जहां जांच होती भी है, वहां इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि शिकायतकर्ता को इस तरह का कदम उठाना महंगा पड़ा जाता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और काम न रुके, इस डर के मारे लोग भी छोटे-मोटे कामों के लिए घूस देकर पिंड छुड़ाना बेहतर समझते हैं। पुलिस थाने और अदालतों में भ्रष्टाचार के किस्से कौन नहीं जानता? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार को तो अपने स्तर पर कड़े कदम उठाने ही होंगे, साथ ही समाज को भी जागरूक बनने की जरूरत है।

पानी पर घमासान

महानगरों में पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आम हैं। खासकर दिल्ली में जल बोर्ड के पानी पर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। पिछले कुछ दिनों से फिर दिल्ली में विपक्षी भाजपा पानी की गुणवत्ता को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। कुछ दिनों पहले कुछ एजेंसियों ने दिल्ली और मुंबई में पानी की गुणवत्ता जांची थी, जिसमें मुंबई में पानी की गुणवत्ता बेहतर थी, जबकि दिल्ली में पानी के सभी नमूने निम्न स्तर के निकले। इसे लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। चूंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, इसलिए भी यह मामला कुछ अधिक तूल पकड़ रहा है। भाजपा की आलोचना पर दिल्ली सरकार ने सफाई दी कि जिन जगहों से पानी के नमूने लिए गए थे, वहां पानी लंबे समय से जमा था। इस पर भाजपा ने उसे चुनौती दी कि दिल्ली सरकार खुद बताए कि किन इलाकों में जल बोर्ड का पानी साफ है, वहीं के नमूने जांचे जाएंगे। फिर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने विभिन्न इलाकों से दुबारा पानी के नमूने इकट्ठे किए और जांच कराई, जिसके वीडियो भी बनाए गए। उन वीडियो को लेकर भाजपा लगातार आम लोगों के बीच पानी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की आलोचना कर रही है। चूंकि दिल्ली सरकार खुद विज्ञापनों के जरिए प्रचार करती रही है कि जल बोर्ड का पानी बिल्कुल साफ है, दूसरे स्रोतों से पानी लेकर न पीएं, इसलिए इस पर उसे सफाई देना मुश्किल हो रहा है।

दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति मुख्य रूप से यमुना के पानी पर निर्भर है। कुछ हिस्सा गंगा के पानी से पूरा किया जाता है। इन दोनों नदियों की हालत किसी से छिपी नहीं है। जलशोधन और पेयजल आपूर्ति संयंत्रों में अक्सर गड़बड़ी आ जाने से पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा, ज्यादातर इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाए गए पाइप और सीवर लाइनें साथ हैं। कई जगह पानी के पाइप गंदे नालों के किनारे से होकर गुजरते हैं। इसकी वजह से जब पानी के पाइपों में कहीं टूट-फूट हो जाती है, तो सीवर या फिर गंदे नालों का पानी पेयजल में मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जब रिहाइशी कॉलोनियों में गंदे और बदबूदार पानी मिलने की शिकायत की गईं, तो ऐसी गड़बड़ियां उजागर हुईं। बहुत सारी जगहों पर पानी की पाइप लाइनें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जो पानी का दबाव पड़ते ही अक्सर फट जाती हैं। इसलिए जल बोर्ड के पानी को पूरी तरह पीने लायक होने का दावा नहीं किया जा सकता।

यों भी दिल्ली में सभी के लिए जरूरत भर का पानी उपलब्ध कराना चुनौती है। उस पर पानी की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण ज्यादातर लोग आरओ यानी पानी साफ करने वाले संयंत्र पर निर्भर होते गए हैं। यह भी किसी से छिपी बात नहीं है कि बहुत सारे इलाकों में पानी की आपूर्ति न हो पाने के कारण वहां के लोगों को भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कई बार नहाने-धोने लायक भी नहीं होता। यह ठीक है कि दिल्ली सरकार ने लोगों को पानी मुफ्त देना शुरू कर दिया है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह पेयजल की गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर दे। अगर जांच में कहीं गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई है, तो उसे ठीक करने का संकल्प दोहराना चाहिए, न कि राजनीतिक रंग देना चाहिए।

कल्पमेधा

आचरण रहित विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों, उन्हें खोटे मोती की तरह समझना चाहिए।

– महात्मा गांधी

मुकदमों के बोझ में दबता न्याय

जाहिद खान

न्यायिक सुधार की राह में धन की कमी हमेशा प्रमुख बाधा रही है। देश में न्यायिक सेवा की मद में बजटीय आवंटन जीडीपी के आधा फीसद से भी कम होता है। दुनिया के विकसित देशों मसलन- आस्ट्रेलिया में प्रति दस लाख की आबादी पर जजों की संख्या बयालीस, कनाडा में पचहत्तर, ब्रिटेन में इक्यावन और अमेरिका में एक सौ सात है। इसके बरक्स हमारे यहां प्रति दस लाख की आबादी पर सिर्फ ग्यारह जज हैं।

त्वरित और किफायती न्याय का नागरिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियादी शर्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे देश में यह बात सैद्धांतिक तौर पर भले ही बार-बार दोहराई जाती हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालतों से इंसाफ पाने के लिए ही लोगों को सबसे ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अदालतों के सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद ही उन्हें इंसाफ मिल पाता है। आज आलम यह है कि देश भर में विविध स्तरों पर अदालतों में करीब साढ़े तीन करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इसमें भी तकरीबन साठ हजार मामले तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। हाल में लोकसभा में सरकार ने बताया कि देश की निचली और जिला अदालतों में तीन करोड़ चौदह लाख मामले लंबित हैं। इसमें से चौदह फीसद मामले दस साल या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। उच्च न्यायालयों की यदि बात करें, तो यहां करीब पैंतालीस लाख मामले न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाहिर है, अदालतों पर काम का अत्यधिक बोझ है। उसके समक्ष आने वाले मुकदमों का प्रवाह अनियंत्रित है। अब भी इस हालात का यदि गंभीरता से मुकाबला नहीं किया गया, तो न्यायिक व्यवस्था के चरमराने का खतरा सामने है। न्यायिक व्यवस्था में लोगों का यकीन बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें सही समय पर इंसाफ मिले।

देश के कानून मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह किया गया है कि वे अपने यहां की अदालतों में लंबित पड़े दस साल या इससे पुराने मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें। जाहिर है, सलाह महत्त्वपूर्ण है। यदि इस पर अमल किया जाए, तो न्यायिक परिदृश्य में कुछ तो बदलाव आएगा। जो मामले अदालतों में बरसों से लटके हैं, उनका समय-सीमा में निपटारा हो पाएगा। अदालतों में काम का जो बोझ है, उसमें भी कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए निचली अदालतों को सलाह दी है कि भ्रष्टाचार, दहेज मौत, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसे मामलों में मुकदमा त्वरित गति से चलाया जाना चाहिए। बेहतर हो कि तय समय के भीतर फैसला भी हो जाए और यह समय, अधिकतम तीन साल हो सकता है।

अदालतों को मुकदमों के ढेर से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले राष्ट्रीय मुकदमा नीति बनाने की बात की थी। इस नीति के अंतर्गत प्रमुख लंबित मुकदमों की औसत अवधि पंद्रह साल से कम करके तीन साल करना, अदालती समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने के लिए सभी अदालतों में कोर्ट प्रबंधकों की नियुक्ति करने जैसी अहम बातें शामिल थीं। लेकिन यह मामला आगे नहीं बढ़ा। यदि इस तरह की नीति बन जाती, तो न सिर्फ अदालतों पर लंबित मुकदमों का अंबार कम होता, बल्कि प्राथमिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होते और दायर करने की तारीख के हिसाब से सुनवाई की प्राथमिकता भी तय होती।

ज्यादातर मुकदमे छोटे-छोटे झगड़ों और आपसी अहं की लड़ाइयों के नतीजे होते हैं। इनमें बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिन्हें अदालती गलियारों में सालों-साल भटकाने की जगह घंटों की बातचीत में आसानी से निपटाया जा सकता है। खासतौर से पारिवारिक और वैवाहिक विवादों के मामले तो मध्यस्थता के जरिए बेहतर तरीके से कम समय में ही सुलझ सकते हैं। ज्यादातर मुकदमे यातायात से संबंधित अपराधों, चैक बाउंस जैसी शिकायतों के होते हैं, जिन्हें दोनों पक्षकारों से बातचीत कर आसानी से सुलझाया जा सकता है। लोक अदालतों के जरिए समय-समय पर इस तरह के मुकदमों का निपटारा किया जाता रहा है। अदालतों से मुकदमों का बोझ कम हो सके, इसके लिए जरूरी है कि देश में लोक अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए, याचिकाकर्ताओं को मध्यस्थता जैसी प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया जाए। जनाक्रोश के दबाव में दिल्ली में यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें गठित करने का फैसला किया गया। लेकिन त्वरित अदालतें पूरे देश में होनी जरूरी हैं।

मुकदमों का शीघ्र निपटारा न हो पाने के पीछे एक बड़ी वजह सरकारी वकीलों और जांच

अधिकारियों की ढिलाई और अयोग्यता भी है। आपराधिक मामलों की छानबीन में पुलिस की लापरवाही, तथ्यों को सही ढंग से पेश न कर पाना, भ्रष्टाचार और सरकारी वकीलों का आरोपियों के दबाव में आकर सबूतों और गवाहों को ठीक से पेश न करने जैसी बातें किसी से छिपी नहीं हैं। इसके चलते अक्सर पीड़ित पक्ष को इंसाफ नहीं मिल पाता। पुलिस सुधारों के बारे में कई समितियों ने अपनी रिपोर्टें दीं, बड़ी-बड़ी बातें हुईं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2006 में पुलिस सुधार के लिए अपनी ओर से कई महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन निर्देशों को लेकर अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। सोराबजी समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय पुलिस में बुनियादी सुधार के लिए कई सिफारिशें सुझाई थीं, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारें इन सिफारिशों को लागू करने के लिए रजामंद नहीं हैं। पुलिस महकमे को सियासी हस्तक्षेप से आजाद रखने के सुझाने के साथ ही कमेटी की दो ऐसी सिफारिशें हैं जो इंसाफ की नजर से काफी अहम हैं। पहली, पुलिस में जनता की शिकायतों के निपटारे के लिए विभिन्न स्तरों पर आयोग कायम किए जाएं। दूसरे, आपराधिक मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस पर न हो। यानी, इसके लिए कोई स्वायत्त एजंसी कायम की जाए।

पुलिस सुधार के अलावा बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार सबसे बड़ी जरूरत है। न्यायिक सुधार से ही मौजूदा न्याय व्यवस्था सुधारी जा सकती है। हमारे यहां न्यायिक सुधार कई सालों से लंबित हैं। विधि आयोग समय-समय पर अपनी रिपोर्टों में सरकारों को इस बारे में लगातार आगाह करता रहा है। जजों की संख्या बढ़ाने की वकालत से लेकर मुकदमों के निपटारे की समय-सीमा तय करने को लेकर कई बार सिफारिश की गई है। आज न्यायपालिका जिस हालात में हैं, उनमें समयबद्ध फैसले की कल्पना करना उतना आसान नहीं है। देश में आबादी के अनुपात में अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या कम होने की वजह से मुकदमों का निपटारा सही समय पर नहीं हो पाता। न्यायिक सुधार की राह में धन की कमी हमेशा प्रमुख बाधा रही है। देश में न्यायिक सेवा की मद में बजटीय आवंटन जीडीपी के आधा फीसद से भी कम होता है। दुनिया के विकसित देशों मसलन- आस्ट्रेलिया में प्रति दस लाख की आबादी पर जजों की संख्या बयालीस, कनाडा में पचहत्तर, ब्रिटेन में इक्यावन और अमेरिका में एक सौ सात है। इसके बरक्स हमारे यहां प्रति दस लाख की आबादी पर सिर्फ ग्यारह जज हैं। पर्याप्त बजट आवंटन के अलावा न्याय तंत्र को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से भी लैस करने की आवश्यकता है। आंकड़े इकट्ठे करने, अदालती कार्यवाही में देरी पर नजर रखने, एक तरह के मामलों को समायोजित कर उनकी तादाद बढ़ने से रोकने से अनेक लाभ हो सकते हैं। लेकिन न्याय के तकाजे को सिर्फ अदालतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। न्यायपालिका पर लोगों का खोया यकीन कैसे बहाल हो, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। तभी न्यायिक सुधार की पहल कारगर हो सकेगी।

दुश्चक्र में बाजार

संगीता कुमारी

दुनिया मेरे आगे

शहर के हों या कस्बे के दुकानदार, सभी अपनी रोजी-रोटी को लेकर सचेत रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की सच्ची तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसे देख कर जाने क्यों दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनके दर्द को कौन समझेगा, जब समूचे बाजार और उसे संचालित करने वाले तंत्र और आम लोगों के बीच वे पिसते रहते हैं।

एक ओर गुलाबी सर्दी की आहट को खुशनुमा मौसम की दस्तक के तौर पर देखा-जाना जाता है, दूसरी ओर यही मौसम कइयों के लिए चिंता की वजह होता है। हम सभी गरम कपड़ों को निकाल धूप दिखाना शुरू कर देते हैं या फिर जरूरत के सामानों की खरीदारी करने लगते हैं। हाल में मैंने भी बाजार से कुछ सामान लिए, जो जाड़े का वक्त निकाल दे। दुकानदार ने कुछ कवर दिए और अगले हफ्ते दूसरे नाप का कवर ले जाने को कह कर अपना दुख बताने लगा। दरअसल, उसने जो सामान दिखाया था, वह उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब मैंने लेने से मना किया तब उसने कहा- 'यह दिखने में बेशक सुंदर नहीं है, मगर इसमें गरमाहट बहुत ज्यादा है। आप मेरी बात मान कर एक बार यह ले जाइए। आप इसका उपयोग करने के बाद आप कहेंगी कि मैंने आपको अच्छी चीज दी है। आजकल हमारा काम पहले जैसा नहीं चल रहा है। उस पर ये ऑनलाइन खरीदारी ने हमारी दुकानदारी मार डाली है। ऑनलाइन वाले सामान तो बेहद कम गुणवत्ता वाला देते हैं, लेकिन लोग उसे लेना आसान समझते हैं। खुद मेरे बेटे ने ऑनलाइन खरीदारी के जरिए कम्बल मंगा लिया था, जिसे ओढ़ते ही मुझे खुजली शुरू हो गई थी। कपड़ा भी ठीक नहीं था।'

यह सुन कर मैंने पूछा- 'आपको क्या जरूरत है बाहर से खरीदारी करने की, आपकी तो अपनी दुकान है!' दुकानदार ने बुझे हुए और बहुत दुखी मन से कहा कि आजकल बाहर पढ़ने वाले बच्चे मां-पिता की सुनते कहां हैं? शहर में रह कर बच्चों की तरह देखादेखी काम करते हैं। चाहे घर में चीज पड़ी हो, फिर भी पैसों की परवाह किए बगैर अपने दोस्तों के साथ होड़ करते हैं। मेरे बेटे ने अपने दोस्तों की बातों में आकर मंगा ली थी मुझे तोहफे के तौर पर देने के लिए। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वह नहीं माना था। बेटे का कहना है कि कुछ सामानों को छोड़ कर जरूरत के सामान ऑनलाइन ही मंगाऊंगा। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि उसके पिता की तरह ही लाखों दुकानदारों की रोजी-रोटी का सवाल है। पता नहीं ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? घर बैठे बासी खाना ऑर्डर करके मंगाते रहेंगे। फोन भी घर पर ही मंगाते हैं। मैं तो उसे कहता हूं कि जरा कमरे से निकल कर दुकान में जाकर देखभाल कर चीज खरीदा करे। मेरे ऐसे कहने पर उल्टा वह मुझे कहता है- 'आप आउटडेटेड हैं... दुनिया कहां से कहां निकल गई है और आप अभी भी उसी खोली में घुसे हुए हैं।' अभी नया-नया कॉलेज में गया है तो नई हवा लगी है। मुझे तो लगता है कि कुछ समय के बाद मेरी यह पुश्तैनी दुकान ऑनलाइन वाले निगल जाएंगे। मैं उसकी तकलीफ को समझने का प्रयास कर ही रही थी कि तब तक उसका नौकर खुदरा पैसे ले आया था, जिसे लेकर मैं चुपचाप बढ़ गई। लेकिन इस समूचे प्रसंग पर सोचने पर मजबूर हुई।

आज हमें घर बैठे अनेक सुविधाएं मिल रही हैं, जिसका अगर लाभ है तो नुकसान भी है। हमारा विशाल देश क्या इस सुविधा से उपजी आर्थिक तंगी को झेल पाएगा? आज कॉलेज में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे ऑनलाइन खाना मंगा कर अपना पेट भरते हैं और खुश होते हैं। मां की चिंता अपने बच्चों की सेहत को लेकर दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। सामान खरीदा जा रहा है, मगर वह पैसा कैसे और कहां जा रहा है, यह नए बाजारवाद की नई व्यवस्था है। स्मार्ट फोन हाथ में होने का मतलब यह कतई नहीं है कि सभी लोग स्मार्ट हो गए हैं। देश का बहुत बड़ा वर्ग एक अंधेरी-सी गली की तरफ बिना विचार किए भागा जा रहा है। उन्हें कौन भगा रहा है, यह समझ नहीं आ रहा है।

हमें यह समझना होगा कि हमारी अर्थवयवस्था अनेक रूप में बंटी हुई है। यहां छोटे, बहुत छोटे, निम्न, मध्य, उच्च मध्यवर्गीय, छोटे, बड़े और बहुत बड़े व्यापारी भरे पड़े हैं। उन पर करोड़ों की आबादी निर्भर करती है। एक दूसरे की जरूरतों के लिए एक दूसरे से माल खरीदते हुए आपस में लेन-देनदारी करते हैं। अगर ऐसे में उनके बीच कोई बहुत बड़ा बाजार ऑनलाइन के रूप में आ जाएगा तो हमें समझना होगा कि क्या वे सभी इस आर्थिक बोझ को झेल पाएंगे! वैसे भी इस बार पिछले कुछ समय से बाजारों में जो सूनापन छाया हुआ है, उससे त्योहारों की चमक भी फीकी पड़ी है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति फिलहाल इसके नफे-नुकसान को नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में उसे भी इस खमियाजे का हिस्सा बनना पड़ेगा।

चम्पा का जीवन

आसपास के वातावरण के प्रति उदासीनता पहली नजर में लोगों को सामान्य लगती है लेकिन पर्यावरणीय उदासीनता का परिणाम कितना घातक हो सकता है, इसका सहज अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। न केवल पर्यावरण का विनाश बल्कि सभ्यता संस्कृति तक का विनाश हो जाता है। इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है ऐतिहासिक अंग प्रदेश की चंपा नगरी में बहने वाली चंपा नदी। बिहार में चांदन नदी की मुख्यधारा से निर्मित होने वाले चंपा नदी की स्थिति यह आ गई है कि जहां चार दशक पहले तक उसमें नावें चला करती थीं, वह नदी आज नाली के रूप में बदल गई है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सन 1980 ईस्वी तक यहां पर नावें चला करती थीं।

लेकिन आज तीन चार दशक बाद नदी को नाला का स्वरूप देकर न केवल कूड़े-कचरे के स्वरूप में तब्दील कर दिया गया है, बल्कि एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सभ्यता को भी जमींदोज कर दिया गया है। एक ओर बालू माफिया ने नदी की गहराई बहुत ज्यादा कर मुहाने को ही बंद कर दिया तो दूसरी ओर जगह-जगह पर चंपा नदी को भर कर अतिक्रमित कर उसे नाले का रूप दे दिया गया है। लोग अपने स्वार्थ और सुख-सुविधा की खातिर प्राकृतिक संसाधनों की लूट-खसोट कर प्रकृति को कितना दर्द दे रहे हैं, उन्हें खुद अभी पता नहीं है। अगर कुछ न किया गया तो आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को कहानी के रूप में समझ कर संतोष कर लेंगे। अभी भी सरकार को चाहिए कि जिस तरह की नदी घाटी अंग्रेज छोड़ कर गए थे, कम से कम वैसी भी स्थिति आज आम जनता को लौटाई जाए। आजादी के समय जैसी नदियों की लंबाई-चौड़ाई की नपाई कर इसे संरक्षित करें तो इस क्षेत्र की एक सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट करने से बचाया जा सकता है। नहीं तो यही माना जाएगा कि सरकार की लचर नीति न केवल पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है, बल्कि नदी घाटी सभ्यता संस्कृति बर्बाद करने के लिए भी समाज और सरकार की उदासीनता ही जिम्मेवार होती है। इस संदर्भ में समाज के सभी लोगों को अपनी सभ्यता-संस्कृति बचाने के लिए साहस दिखाने की जरूरत है, वहीं सरकार को ठोस नीति बना कर अपनी प्रकृति को संभालने और कम से कम उस रूप तक संरक्षित करने की आवश्यकता है, जैसा अंग्रेज इसे को छोड़ कर गए थे।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

विकास की धुरी

हम बस या केवल पढ़ते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जबकि मौजूदा दौर में किसानों की स्थिति दयनीय है, किसान और कर्ज एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। यही कारण है कि हताश किसान मौत को गले लगा ले रहे हैं। देश की लगभग सत्तर फीसद जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती ही उनका मुख्य धंधा है, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आने से अन्नदाताओं की सारी मेहनत पर चंद मिनटों में पानी फिर जाता है। कृषि घाटे का सौदा न रहे, इसके लिए सरकारों द्वारा गंभीर प्रयास करने होंगे, क्योंकि किसानों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। याद रहे कि किसान विकास की धुरी है। अगर किसानों ने अपने हल रख दिए तो विकास का चक्का पूरी तरह से जाम हो जाएगा।

● *कपिल एम वडियार, पाली, राजस्थान*

शिक्षा की बदहाली

वर्तमान समय में देश की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षण व्यवस्था में जो खामियां हैं, उनसे निपट पाना मुश्किलों भरा काम हो गया है।

2 4 नवंबर, 2019 के अंक में छपा प्रेमपाल शर्मा का लेख भारतीय शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बच्चों को जन्म से ही अंग्रेजी रटाने से हमें क्या हासिल हो रहा है? क्या हम उन्हें अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दे सकते हैं? अपने घर से प्रत्येक दिन तीस-चालीस किलोमीटर दूर भेज कर किस प्रकार की शिक्षा हम उन्हें दिलवा रहे हैं? एक के बाद एक ट्यूशन लगाने से क्या हम उन्हें वास्तविक विषय के ज्ञान से अवगत करा पा रहे हैं? अगर इसी तरह की प्रक्रिया से सब कुछ सहज है तो सवाल है कि बच्चों में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? यही वजह है कि बच्चों में लगातार बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति एक भयानक समस्या का रूप धारण कर चुकी है। इस पर समय रहते सचेत होने की जरूरत है। अगर सत्ता और सियासत का खेल इसी तरह से जारी रहा तो ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। डर इस बात का है कि बच्चों के भविष्य को जितना हम साधारण तरीके से देख रहे हैं, वह आगे चलकर कहीं असाधारण न बन जाए।

● *रणजीत कुमार झा, दिल्ली विवि, दिल्ली*

इसरो की कामयाबी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तेजी से आसमान की ओर बढ़ते कदमों और चांद को छूने के प्रयासों को देखकर सारी दुनिया दांतों तले अंगुली दबा रही होगी। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। इसरो ने धरती पर नजर रखने वाले हमारे अपने देश के उपग्रह कार्टोसैट-3 और अमेरिका के तेरह नैनो उपग्रह पीएसएलवी-सी47 के जरिए अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजे हैं। इसरो की कामयाबी से यह जाहिर हो रहा है कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में भी खूब तरक्की कर रहा है। देश को उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर फतह करने के साथ ही ऐसे नए अविष्कार करेंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी, संचार के साथ ओर दूसरे हर क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कार्टोसैट-3 की शानदार सफलता ने यह साबित किया है कि भारत के वैज्ञानिक दूसरे देशों के वैज्ञानिकों से कम नहीं हैं। अगर सरकारें विज्ञान की पढ़ाई को देश में दुरुस्त करने के लिए गंभीरता दिखाएं तो हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ सकता है।

● *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

www.readwhere.com

खेल कार्यक्रम

साउथ-ईस्ट एशियन गेम्स	30 नवंबर से
विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप (महिला)	30 नवंबर से
भारत बनाम वेस्ट इंडीज पहला टी-20	6 दिसंबर
प्रेसिडेंट कप (गोल्फ)	9 दिसंबर से

जन्मदिन

मोहम्मद कैफ	1 दिसंबर
मिताली राज	3 दिसंबर
शिखर धवन	5 दिसंबर
अंजलि भगत	5 दिसंबर
जसप्रीत बुमराह	6 दिसंबर

फिरकी के देश में रफ्तार का बोलबाला

संदीप भूषण

भारत ने कोलकाता टैस्ट में बांग्लादेश को पारी और 46 रन से हराया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने कई रेकार्ड भी तोड़े। एक तरफ श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप कर वह पारी के अंतर से लगातार चार टैस्ट जीतने वाला पहला देश बना तो वहीं घरेलू मैदान पर यह उसकी लगातार 12वीं टैस्ट सीरीज जीत है। इससे पहले उसने दक्षिण अफ्रीका को श्रृंखला के अंतिम दो टैस्ट में पारी के अंतर से हराया था। इतना ही नहीं भारत के नाम लगातार सात टैस्ट जीत भी दर्ज हो गए हैं। इस सफलता में बल्लेबाजों ने तो अपना जौहर दिखाया ही, भारतीय गेंदबाजों का भी प्रदर्शन लाजवाब रहा। खास कर जब बात तेज गेंदबाजों की हो तो आंकड़े भी बताते हैं कि ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने विपक्षी टीम को खूब परेशान किया है।

भारतीय टीम ने बीते सात टैस्ट में 200 रन से ज्यादा या पारी के अंतर से जीत दर्ज की है। इससे साफ होता है कि बल्लेबाजों ने तो अपना काम किया ही, गेंदबाजों ने भी पूरी ताकत से विपक्षी टीम को लक्ष्य से दूर रखा। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता टैस्ट में तेज गेंदबाजों ने 19 विकेट चटकाए। यह अब तक का घरेलू मैदान पर तेज गेंदबाजों का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। इससे पहले 2017 में भारतीय गेंदबाजों ने ईडन गार्डंस पर ही श्रीलंका के खिलाफ 17 विकेट चटकाए थे। साथ ही यह तीसरी बार है जब भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने 19 या इससे अधिक विकेट बोर्ड पर टांगे हों। बांग्लादेश के खिलाफ गुलाबी गेंद के मुकाबले में ईशांत के नाम नौ, उमेश के खाते में आठ और शमी की झोली में दो विकेट आए। इस टैस्ट में कप्तान विराट कोहली ने भी पेसरों पर ही भरोसा जताया और शर्मा, यादव व शमी की तिकड़ी ने इसे साबित भी किया।

भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार था जब दो तेज गेंदबाजों ने आठ या इससे अधिक विकेट एक टैस्ट में चटकाए हों। ईशांत और उमेश ने यह कारनामा किया। भले ही आलोचक यह कहें कि बांग्लादेश के खिलाफ यह उपलब्धि बड़ी नहीं है लेकिन सच्चाई है कि गुलाबी गेंद ही सही लेकिन इन दोनों की बलखाती गेंदों का सामना करना किसी बड़े टीम के लिए भी मुश्किल था। सिर्फ एक टैस्ट को छोड़ दें तो पिछले लगभग एक साल में भारतीय पेसरों ने दिग्गज टीमों को बैकफुट पर भेजा है। 2019 में खेले गए मुकाबलों में तेज गेंदबाजों का औसत 15.16 रहा है। उनके नाम 95 विकेट भी दर्ज हैं और वह भी 31.06 के स्ट्राइक रेट से।

तेज गेंदबाजों की उपलब्धि को इतने तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। भारत के तीन तेज गेंदबाजों का इस साल औसत 20 से नीचे रहा। यानी उनकी गेंदबाजी को हर पैमाने पर खरा माना जा सकता है। हमेशा चौथे नंबर पर धकेले जाने वाले उमेश यादव ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने 2019 में 13.65 के औसत के साथ 23 विकेट हासिल किए। ईशांत ने 15.56 के औसत के साथ 25 विकेट चटकाए वहीं शमी के नाम 16.66 के औसत से 33 विकेट दर्ज हुए। इन तीनों की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट के रेकार्डबुक में यह शानदार उपलब्धि दर्ज कराई है। इससे पहले सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ जब एक ही टीम के तीन तेज गेंदबाजों का औसत एक साल में 20 से नीचे हो। 1978 में इयान बॉथम, बॉब विलिस और क्रिस ओल्ड ने इंग्लैंड के लिए यह कारनामा किया था।

उपलब्धि

ईशांत शर्मा

उमेश यादव

मोहम्मद शमी

बेहतर हो रहा औसत

बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाजों का औसत 13.48 रहा। यह भारतीय तेज गेंदबाजों का अब तक का दो या दो से ज्यादा मैचों के घरेलू टैस्ट सीरीज में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। उमेश, शमी और ईशांत की जोड़ी ने 26.3 के औसत से कुल 33 विकेट चटाकए और यह आंकड़ा खुद में काफी है यह बताने के लिए कि भारतीय तेज गेंदबाजी आज सही दिशा में है। उसके गेंदबाज किसी भी दिग्गज टीम को रोकने की ताकत रखते हैं।

08 या इससे अधिक विकेट एक टैस्ट में दो तेज गेंदबाजों ने चटकाए हों ऐसा भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ।

19 विकेट चटकाए कोलकाता टैस्ट में तेज गेंदबाजों ने, यह घरेलू मैदान पर तेज गेंदबाजों का सर्वोत्तम प्रदर्शन है।

कलाबाजी

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टैस्ट से पूर्व अभ्यास सत्र के दौरान कैच लपकते इंग्लैंड के जोए डेन्ले

तोक्यो में लौट पाएंगे भारतीय हॉकी के सुनहरे दिन!

आत्माराम भाटी

अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने 2020 तोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली पुरुष व महिला वर्ग की 12-12 टीमों का एलान कर दिया है। पुरुष वर्ग में भारत को पूल 'ए' में विश्व विजेता आस्ट्रेलिया और ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के साथ रखा गया है। वहीं इसी पूल में स्पेन, न्यूजीलैंड और जापान की टीमें भारत के विजयी रथ को आगे बढ़ने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। फिर भी भारत के लिए सुखद पहलू यह है कि प्रत्येक पूल से चार टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेगी। ऐसे में पूरी आशा है कि पिछली बार 2016 की तरह इस बार भी हम भारतीय टीम से सौ फीसद आशा रख सकते हैं कि वह क्वार्टर फाइनल खेलेगी ही।

अगर मान लें कि भारतीय टीम अपने पूल में तीसरे नंबर पर रहती है तो उसे पूल 'बी' की दूसरे नंबर की टीम जो कि संभवतः बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी जैसी मजबूत टीमों से भिड़ना होगा। ऐसे में भारतीय टीम की सेमी फाइनल खेलने की मंशा पर पानी फिर सकता है। अगर भारतीय टीम सेमी फाइनल की आशा को जिंदा रखना चाहती है तो उसे अपने दमदार प्रदर्शन के सहारे अपने पूल में नंबर दो पर खुद को लाना होगा। इसके बाद ही उसके लिए सेमी फाइनल की राह के रास्ते खुल सकते है।

कभी तूती बोलती थी भारतीय हॉकी की

एक समय था जब भारतीय हॉकी की तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। लेकिन, पिछली सदी के आठवें दशक तक आते-आते उसके सुनहरे दिनों पर हार की काली छाया की परत चढ़ने लगी। इस काली छाया को अंधकार प्रदान किया यूरोपीय देशों द्वारा लाए गए कृत्रिम मैदान 'एस्ट्रोटर्फ' ने। इससे प्राकृतिक मिट्टी पर उगी हुई घास पर दौड़ने वाली भारतीय हॉकी कृत्रिम मैदान पर खिलाड़ियों में स्टेमिना की कमी के कारण हांफने लगी। रही सही कसर हॉकी में घुसी राजनीति ने पूरी कर दी। आठ बार की ओलंपिक विजेता भारतीय हॉकी टीम की दशा यह हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। 2008 बेजिंग ओलंपिक भारतीय हॉकी के लिए बुरे सपने जैसे रहा। पहली बार भारतीय टीम योग्यता भी नहीं प्राप्त कर पाई। हमारी हॉकी को वापस ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का एक सुनहरा अवसर 2010 के विश्व कप के रूप में मिला क्योंकि उसके मेजबान हम ही थे। लेकिन मेजबानी के बावजूद विश्व कप में भारत का प्रदर्शन खराब रहा। यही हाल 2012 ओलंपिक में रहा। 2016 में क्वार्टर फाइनल की बाधा पार नहीं कर पाए।

आंकड़े में कमजोर पड़ा भारत

अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भारतीय हॉकी के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत अभी तक एक बार 1975 में ही विश्व कप अपनी झोली में डाल पाया है। उसके बाद खिताब तो दूर की बात सेमी फाइनल खेलने के लाले पड़ रहे हैं। इसी तरह 1980 मॉस्को ओलंपिक में मिले स्वर्ण पदक के बाद ओलंपिक में सेमी फाइनल खेलने के लाले भी पड़ रहे हैं।

1975 की भारतीय टीम

उम्मीद

मैरी कॉम-निखत का मुकाबला मुख्य आकर्षण

मनोज जोशी

जिस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्तर की प्रतिभाएं एक साथ भाग न ले पाती हों, वहां ज्यादातर प्रतिभाओं का एक मंच पर आना बड़ा कदम है। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने इमर्जिंग स्पोर्ट्स एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के साथ बिग बाउट लीग का आयोजन करके इस दिशा में एक बड़ा कदम रखा है। कटक, लुधियाना और दिल्ली में होने वाली इस लीग में मैरी कॉम सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की हस्तियां भाग ले रही हैं। लीग का पहला पड़ाव दो दिसंबर से कटक में शुरू होगा।

सवाल यह है कि अगर साइना और सिंधु के बीच राष्ट्रीय चैंपियनशिप का फाइनल मुख्य आकर्षण बन सकता है तो ऐसा मुक्केबाजी के साथ क्यों नहीं हो सकता। लीग में कई शीर्ष मुक्केबाजों को देश के उन राष्ट्रीय चैंपियन या अन्य तेजी से उभरे मुक्केबाजों के साथ दो-दो हाथ करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नहीं मिल पाता। दूसरे, ओलंपिक या विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ उन्हें अगर यह अवसर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बस, खिलाड़ियों को अपनी चोट से बचने का ख्याल रखना होगा। दूसरे जिन खिलाड़ियों के पास कोई प्रायोजक नहीं है, उनके लिए भी यह लीग अहम भूमिका निभा सकती है।

छह बार की विश्व विजेता एमसी मैरी कॉम बिग बाउट लीग की मुख्य आकर्षण हैं। उन्हें एनसीआर पंजाब रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। यानी मणिपुर की मैरी कॉम अगले कुछ दिनों में पंजाबी कुड़ी की भूमिका में होंगी। ओलंपिक की वजह से मैरी कॉम हाल में लाइट फ्लाई से फ्लाईवेट में आई हैं जिससे उन्हें अपना विश्व खिताब भी गंवाना पड़ा है। दूसरे, लंदन और रियो में जहां उन्हें उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेकॉर्डतोड़ कामयाबियों की वजह से ओलंपिक में सीधे भाग लेने की छूट मिलती रही, वह छूट उन्हें इस बार नहीं मिलेगी। इस बार उन्हें ओलंपिक क्वालीफाइंग से पहले ट्रायल में उतरना होगा। दरअसल, इसी वजन श्रेणी की मुक्केबाज निखत जरीन के विरोध पर खेल मंत्रालय को बीच-बचाव करके इनके ट्रायल कराने का फैसला करना पड़ा है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक क्वालीफाइंग में उतरने के लिए ट्रायल देंगी और उससे पहले इन दोनों के बीच बिग बाउट लीग में होने वाला मुकाबला सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होगा। वैसे मैरी कॉम ने निखत को इंडिया ओपन में हराया है लेकिन फिर भी युवा जोश और अनुभव के बीच का यह मुकाबला किसी मल्ल युद्ध से कम नहीं है। लीग में निखत ओड़ीशा वॉरियर्स की ओर से अपनी चुनौती रखेंगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर मेरीकॉम को हराया नहीं जा सकता। पिछले वर्षों में पिंकी रानी ने भी उन्हें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हराया है।

इसके अलवा बॉम्बे बुलेट्स की कोलंबियाई खिलाड़ी इनग्रित लोरेना वालेंसिया विक्टोरिया के खिलाफ उतरना मैरी कॉम और निखत दोनों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इनग्रित रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजता हैं। बिग बाउट लीग में छह टीमों के 42 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिनमें 11 देशों के डेढ़ दर्जन खिलाड़ी विदेशी हैं। इनमें विश्व विजेता के पदक विजता अमित पंघाल, गौरव बिधूड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन मनोज कुमार, पूर्व विश्व विजेता सरिता देवी, विश्व युवा विजेता पिंकी प्रसाद और निखत ज़रीन।

बिग बाउट

मेरी कॉम

निखत जरीन

अब आएगा मजा

पिछले एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाले अमित पंघाल का कहना है कि फरवरी में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप से पहले बिग बाउट लीग में खेलना हम सभी भारतीयों के लिए काफी अहम है। इससे उन्हें अपनी तैयारियों को भी जायज़ा लेने का अवसर मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता मनोज कुमार का कहना है कि बिग बाउट लीग ओलंपिक पदक जीतने के रास्ते की पहली सीढ़ी है जहां तगड़े प्रतिद्वंद्वियों के बीच उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी अवसर मिलेगा। दो साल पहले विश्व स्पर्धा में एकमात्र पदक जीतने वाले गौरव बिधूड़ी कहते हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग में इतालवी और अमेरिकी टीमों के साथ उनका अनुभव इस लीग में उनके काम आएगा।

जम्मू कश्मीर

पाबंदी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद वहां लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। इस मामले में न्यायालय फैसला बाद में सुनाएगा।

न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन और कई अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

आजाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को वह समझते हैं लेकिन इस वजह से घाटी की समूची 70 लाख की आबादी को 'ताले में बंद' नहीं किया जा सकता। अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इन पाबंदियों को 'असंवैधानिक' बताया और कहा कि इन प्रतिबंधों को आनुपातिक परीक्षण से गुजरना होगा।

जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद पूर्व राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई पाबंदियों को मंगलवार को न्यायोचित ठहराया था। मेहता ने कहा था कि उनकी लड़ाई भीतर सक्रिय दुश्मनों से ही नहीं बल्कि सीमापार से सक्रिया शत्रुओं से भी है। उन्होंने अनुच्छेद 35ए हटाए जाने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस पार्टी के नेताओं के भाषणों और सोशल मीडिया पर अपलोड पोस्ट का हवाला दिया। अनुच्छेद 35ए राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था और अनुच्छेद 370 में राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रावधान थे।

मेहता ने सोशल मीडिया ऐप ट्विटर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना, अफगान तालिबान और अन्य आतंकी समूहों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स पर जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काने वाले हजारों संदेश हैं। सालिसीटर जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का दुष्प्रचार चल रहा है। यदि हमने ऐहतियाती कदम नहीं उठाए होते तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने मे विफल हो जाते।

केंद्र ने भी 21 नवंबर को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों को न्यायोचित ठहराया था। केंद्र ने कहा था कि ऐहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से घाटी में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही सुरक्षा बल को एक भी गोली चलानी पड़ी।

जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त के बाद से अबतक

5,000 से अधिक लोग ऐहतियातन हिरासत में

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

सरकार ने बुधवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त के बाद से 5,000 से अधिक लोगों को ऐहतियातन गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 609 लोग अभी भी हिरासत में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पांच अगस्त से राज्य में पुलिस की गोलीबारी में किसी की मौत नहीं हुई लेकिन कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं में 197 लोग घायल हुए हैं। रेड्डी ने बताया 'शांति भंग न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पांच अगस्त के बाद से कश्मीर घाटी में 5,161 लोगों को ऐहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया। इनमें पथराव करने वाले, असामाजिक तत्व, अलगाववादी और राजनीतिक कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। इनमें से 609 लोग अभी भी हिरासत में हैं।' उन्होंने बताया कि वर्तमान में हिरासत में रह रहे लोगों में से करीब 218 लोग पथराव करने वाले हैं।' हिरासत में लिए गए लोगों में जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं।

रेड्डी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शांति के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 'जम्मू कश्मीर की सरकार ने खबर दी है कि घाटी में आवश्यक सेवाएं सामान्य तरीके से काम कर रही हैं।' मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार से मिली सूचना के अनुसार, पांच अगस्त 2019 के बाद से किसी भी व्यक्ति की कानून व्यवस्था की घटनाओं के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मौत नहीं हुई।

उन्होंने बताया, 'इस अवधि के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं में 197 व्यक्ति घायल हुए। इसी अवधि में आतंकवाद संबंधी घटनाओं में तीन सुरक्षा कर्मी और 17 नागरिक मारे गए और 127 व्यक्ति घायल हुए।' एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेड्डी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई दशकों से सीमा पार से मिल रहे समर्थन से चल रहे आतंकवाद एवं अलगाववाद से पीड़ित थे।

2016-18 के बीच 1025 बार चीन की ओर से सीमा का उल्लंघन

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

सरकार ने संसद को बुधवार को बताया कि 2016 से 2018 के बीच चीन की सेना द्वारा 1025 बार भारतीय सीमा का उल्लंघन किया गया। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाइक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2016 में चीन की सेना का भारतीय सीमा द्वारा 273 बार उल्लंघन किया गया जो 2017 में बढ़कर 423 हो गए। 2018 में ऐसे मामलों की संख्या 326 थी।

उन्होंने कहा कि भारत इस बात को सुनिश्चित करने के उपाय कर रहा है कि रक्षा बल अभियानगत एवं सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। नाइक ने कहा कि 2019 में चीन की सेना द्वारा सीमा का उल्लंघन किए जाने की घटनाओं की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भारत एवं चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को पारस्परिक ढंग से सीमांकित नहीं किया गया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में दोनों पक्षों की भिन्न धारणाएं हैं।

मंत्री ने कहा, 'चूंकि दोनों पक्ष अपनी संबंधित धारणा वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करते हैं, सीमा का उल्लंघन होता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है कि रक्षा बल अभियानगत एवं सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।' भारत और चीन के बीच 3448 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के क्षेत्र हैं।

तिहाड़ में चिदंबरम से मिले राहुल-प्रियंका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंच आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। दोनों करीब 45 मिनट तक चिदंबरम के साथ रहे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी तिहाड़ जाकर चिदंबरम से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी सोमवार को चिदंबरम से मुलाकात की थी।

चिदंबरम के पुत्र और सांसद कार्ति ने कहा कि 99 दिन हो गए और 90 दिनों के बाद किसी को हिरासत में रखना अनुचित है। उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और वह जल्द घर लौटेंगे। कार्ति ने कहा कि प्रियंका और राहुल की मुलाकात से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इससे यह संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मेरे पिता के साथ है। राहुल और प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले उनसे मुलाकात की है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया मामले में पहले सीबीआइ और फिर प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

उधर चिदंबरम ने महाराष्ट्र को लेकर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन खत्म करने के लिए सुबह चार बजे राष्ट्रपति को जगा कर राष्ट्रपति कार्यालय का अतिक्रमण किया गया।

चिदंबरम ने पूछा : क्या मैं रंगा बिल्ला जैसा अपराधी

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में 99 दिनों से जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वह रंगा-बिल्ला जैसे अपराधी हैं।

रंगा और बिल्ला को 1978 में दिल्ली में दो भाई-बहन गीता और संजय चोपड़ा के अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया गया था। इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों अपराधियों को 1982 में फांसी दी गई थी। चिदंबरम ने दलील दी कि उन्हें अनुचित तरीके से जेल में रखा गया है।

मंत्री बनाने का फैसला उद्धव करेंगे : अजित

पेज 1 का बाकी

पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा।'

इससे पहले (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने विधान भवन के प्रवेश द्वार पर अजित पवार और पार्टी विधायक रोहित पवार से मुलाकात की। रोहित पवार ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि उनके चाचा अजित पवार पार्टी में लौट आएंगे और उन्हें खुशी है कि अजित पवार ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की।

शरद पवार के बड़े भाई अप्पासाहेब पवार के पोते रोहित पवार ने एक समाचार चैनल से कहा, 'मैं भरोसा नहीं कर पाया कि यह कैसे हुआ।'

अप्पासाहेब पवार ने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। परिवार के सदस्य के तौर पर कुछ कशमकश थी, मैं समझ नहीं सका कि क्या हो रहा है।' रोहित पवार ने कहा, 'हमें उनकी वापसी का पूरा यकीन था। हम दादा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

आज शपथ लेंगे उद्धव

पेज 1 का बाकी

समारोह में आने का आमंत्रण दिया। आदित्य ने सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात कर उन्हें महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। आदित्य ने कहा, 'हमने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात की, क्योंकि उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद जरूरी था।'

शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेता उद्धव ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सदस्य होंगे। वह अभी राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। बुधवार को वे पत्नी रश्मि संग राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने गए। शिवसेना के आखिरी मुख्यमंत्री नारायण राणे थे, जिन्होंने मनोहर जोशी के बाद 1999 में पदग्रहण किया था। वर्ष 1995 में जोशी शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री थे। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के मौके पर विपक्ष की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी चल रही है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने मेहमानों की सूची तैयार की है। आयोजन में कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ही डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजा गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत के मुताबिक, उद्धव के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ ही भाजपा नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है।

शिवसेना के नेता विनायक राउत के मुताबिक, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से करीब चार सौ किसानों को बुलाया गया है। खास तौर पर उन किसानों के परिवारवालों को आमंत्रित किया गया है, जिन किसानों ने नुकसान और कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। राकांपा नेता अजित पवार के समर्थन से बनी तीन दिन की सरकार सहित तमाम नाटकीय राजनीतिक घटनाओं के बाद आखिरकार गुरुवार को शपथग्रहण समारोह हो रहा है।

पृथ्वी पर निगाह रखेगा इसरो का उपग्रह

पेज 1 का बाकी

बंगलुरु स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने उपग्रह का नियंत्रण संभाल लिया। इससे पहले बादलों के बीच 44.4 मीटर लंबे पीएसएलवी-सी47 रॉकेट ने उपग्रहों को लेकर यहां दूसरे लांच पैड से सुबह 9:28 बजे उड़ान भरी। भारत के अब तक के सबसे जटिल और पृथ्वी की बेहद स्पष्ट तस्वीर लेने वाला उन्नत उपग्रह कार्टोसेट-3 उड़ान भरने के 17 मिनट और 46 सेकंड बाद अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया। चंद्रयान-2 के बाद इसरो का यह पहला मिशन है। इसरो ने बताया कि अमेरिका के सभी 13 छोटे उपग्रहों को उड़ान भरने के 26 मिनट और 56 सेकंड बाद कक्षा में स्थापित कर दिया गया।

जैसे ही कार्टोसेट-3 को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया, इसरो अध्यक्ष के सिवन और अन्य वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। बाद में अभियान नियंत्रण केंद्र से सिवन ने कहा- मुझे यह एलान करते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है कि पीएसएलवी-सी47 ने कार्टोसेट-3 और 13 ग्राहक उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्टोसेट-3 भारत का सर्वाधिक रेजोल्यूशन वाला उपग्रह है और अभी तक बना सबसे जटिल व पृथ्वी पर नजर रखने वाला उन्नत उपग्रह है। उन्होंने उपग्रह पर काम करने वाली टीमों को बधाई दी। भविष्य के अभियानों के बारे में इसरो प्रमुख ने कहा कि हमारे पास बहुत काम है। मार्च 2020 तक 13 मिशन पूरे करने हैं। इनमें छह प्रक्षेपण यान मिशन और सात उपग्रह मिशन शामिल हैं।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक एस सोमनाथ ने भी इसरो की टीम की प्रशंसा की। कार्टोसेट-3 के डिजाइन के बारे में उन्होंने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पूरी तरह से नया है। कार्टोसेट-3 का वजन 1625 किलो और मिशन पांच साल का है। यह व्यापक पैमाने पर शहरी योजना, ग्रामीण संसाधन और आधारभूत ढांचे का विकास, तटीय भूमि उपयोग आदि की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा।

उप मुख्यमंत्री राकांपा से, विस अध्यक्ष कांग्रेस से

पेज 1 का बाकी

शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस के गठबंधन 'महाराष्ट्र विकास अघाडी' (एमवीए)को समर्थन देने की घोषणा की। बीवीए के कुल तीन विधायक हैं। एमवीए ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के दौरान 166 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी थी और बीवीए के तीन विधायकों के भी गठबंधन में शामिल होने के बाद 288 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के पक्ष में 169 विधायक हो गए हैं।

कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा, 'बीवीए ने एमवीए सरकार को समर्थन दिया है।' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सूत्रों ने बताया कि समर्थन देने के लिए ठाकुर ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। बैठक के बीच ही यह खबर सामने आई थी कि राकांपा की ओर से अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि, प्रफुल्ल पटेल ने इसपर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

कश्मीरी पंडितों से इजराइल को जोड़ने पर छिड़ा विवाद

पेज 1 का बाकी

दूत संदीप चक्रवर्ती ने शहर में कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में बात की। इस कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित प्रवासियों के कुछ सदस्यों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति सुधरेगी। इससे शरणार्थी वापस जाएंगे और आप अपने जीवनकाल में, वापस जा सकेंगे... आप अपने घरों में वापस जा सकेंगे और आपको सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि दुनिया में पहले से एक मॉडल है।' वह इजराइली बस्तियों के मॉडल का हवाला दे रहे थे। चक्रवर्ती ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि हम इसका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं। यह पश्चिम एशिया में हुआ है। अगर इजराइली लोग यह कर सकते हैं। हम भी यह कर सकते हैं।' उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। उनकी टिप्पणी पर विवाद हो गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को कश्मीर नीति के लिए निशाना बनाया।

प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बताया, कांग्रेस ने विरोध जताया

पेज 1 का बाकी

सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सदन में जब द्रमुक सदस्य ए राजा ने चर्चा में भाग लेते हुए नकारात्मक मानसिकता को लेकर गोडसे का उदाहरण दिया, तो प्रज्ञा अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और कहा कि 'देशभक्तों का उदाहरण मत दीजिए'। इस पर कांग्रेस के कई सदस्यों ने आपत्ति जताई और यह आरोप लगाते हुए सुने गए कि उन्हें (प्रज्ञा) को प्रधानमंत्री का संरक्षण मिला हुआ है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी भोपाल से भाजपा सदस्य प्रज्ञा को बैठने का इशारा करते नजर आए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सदस्यों से बैठने की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ ए राजा की बात रिकॉर्ड में जा रही है। प्रज्ञा सिंह पहले भी गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

बालाकोट में आतंकी शिविर फिर से शुरू

पेज 1 का बाकी

पुलवामा हमले के बाद वायुसेना ने बमबारी कर उन शिविरों को नष्ट कर दिया था।

खुफिया एजंसियों से मिली जानकारियों के आधार पर गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के हवाले से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अहमद पटेल के सवाल पर अपने लिखित जवाब में बुधवार को कहा कि खुफिया सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों के संकेत मिलते हैं।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, 'खुफिया सूचनाओं से संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन बालाकोट स्थित अपने शिविर को फिर से सक्रिय करने और भारत के खिलाफ जिहादी उन्माद फैलाने के लिए प्रयासरत हैं।' बालाकोट में जो जैश ने अपने शिविर शुरू किए हैं, वहां आतंकवादियों को जेहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। साथ ही, युद्धाभ्यास भी कराया जा रहा है। बालाकोट के मशकीन महल में आतंक का प्रशिक्षण चल रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बालाकोट के शिविर पाकिस्तान के मानसेहरा-नारन-जलखांड रोड राष्ट्रीय राजमार्ग-15 मार्ग पर शुरू किया गया है।

पहले की तरह पांच से छह इमारतों में छह सौ से ज्यादा आतंकियों को रखा गया है। खुफिया एजंसियों के मुताबिक, आतंकियों को अल रहमत ट्रस्ट के नाम पर भर्ती किया जा रहा है। तीन महीने में इन आतंकियों को अलग-अलग तरह के प्रशिक्षण कोर्स तय किए गए हैं। यहां इन्हें एके 47, राकेट लांचर, हैंड ग्रेनेड चलाने, जंगल युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, संचार, इंटरनेट, गूगल मैप की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

वृद्धि धीमी जरूर लेकिन मंदी नहीं : सीतारमण

पेज 1 का बाकी

हैं, उसका सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो गया है। वाहन जैसे कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं।

सरकार के राजस्व की स्थिति को लेकर चिंता को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में पिछले साल के इसी अवधि की तुलना में प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह दोनों में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री उच्च सदन में अपनी बातें पूरी कर पाती इससे पहले ही उनके जवाब से असंतोष जताते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। उनका कहना था कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के सामने खड़े मसलों के समाधान के बजाए अपना बजट भाषण पढ़ रही हैं। सीतारमण ने कहा, 'देश हित में हर कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो फिलहाल आर्थिक वृद्धि दर जरूर नीचे आई है लेकिन यह मंदी नहीं है, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी।' इसके बाद उन्होंने 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के कार्यकाल और पूर्व संप्रग दो के पांच साल के कार्यकाल के दौरान जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि के आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम है, आर्थिक विस्तार बेहतर है और अन्य वृहत आर्थिक संकेतकों की स्थिति भी ठीक-ठाक है।

महत्त्वपूर्ण है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में संकट और उसका प्रभाव खुदरा कारोबार करने वाली कंपनियों, वाहन कंपनियों, मकान बिक्री और भारी उद्योग पर पड़ा जिससे देश की आर्थिक वृद्धि दर कमजोर हुई है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 5 फीसद रही और 2013 के बाद से सबसे कम है। विभिन्न एजंसियों का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में इसमें और गिरावट आ सकती है। यह स्थिति तब है जब कंपनी करों में कटौती समेत कई प्रोत्साहन उपाय किए गए हैं।

सीतारमण ने कहा कि पिछले दो वित्त वर्ष से आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट फंसे कर्ज के कारण बैंकों के बही-खातों पर दबाव तथा दूसरी तरफ कर्ज में डूबी कंपनियों का परिणाम है और इसके लिए पूर्व संप्रग सरकार की कर्ज बांटने की नीति जिम्मेदार थी। उन्होंने विपक्ष की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि पांच जुलाई को पेश उनका बजट धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था की चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा और इसलिए उन्होंने बजट पारित होने के एक महीने के भीतर कई उपायों की घोषणा की।

ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लोकसभा में मंजूर

पेज 1 का बाकी

परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने कहा कि बड़ी तंबाकू कंपनियां अलग-अलग नाम से ई सिगरेट के कारोबार में हैं और इनमें से कई कंपनियां भारत में अपना उत्पाद पेश करना चाह रही थीं।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि यह सही है कि भारत में कुल आबादी के करीब 0.2 फीसद लोगों द्वारा ही ई सिगरेट का इस्तेमाल करने की खबर है। लेकिन हाल ही में स्कूल के औचक निरीक्षण में बच्चों के बैग में 150 वाष्पीकरण उपकरण (वेपिंग डिवाइस) पाए गए। ऐसे में हमारा मानना है कि युवाओं के संदर्भ में खास तौर पर इसके गंभीर खतरे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की निशानी के तौर पर पेश की जा रही ई सिगरेट को इसके आकर्षक डिजाइन, धुआंधार मार्केटिंग और विज्ञापन में ग्लैमर के जरिए बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव से युवाओं को बचाना जरूरी है।

मंत्री ने कहा कि अगस्त 2018 में एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्रालय से इस संबंध में एक नीति बनाने को कहा था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने ई सिगरेट पर अपने श्वेत पत्र में इस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। अमेरिका में भी हाल के समय में ई सिगरेट के हानिकारक प्रभाव सामने आए हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधनों को अस्वीकार करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात-निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी।

मंत्री ने कहा कि 2025 तक तंबाकू के उपभोग को 30 फीसद तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद हाल ही में इस संबंध में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। केंद्र सरकार ने लोगों को, खासकर युवाओं को ई-सिगरेट से होने वाले सेहत संबंधी खतरों का जिक्र करते हुए इन उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सितंबर महीने में अध्यादेश जारी किया था। सरकार ने इसके साथ ही ई-हुक्के को भी प्रतिबंधित किया है।

कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता : शाह

पेज 1 का बाकी

शाह ने कहा कि ऐसी बात देश के सामने लाई गई कि गांधी परिवार की सरकार को चिंता नहीं है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है। सुरक्षा बदली गई है। उन्हें सुरक्षा जेड प्लस सीआरपीएफ कवर, एएसएल और एम्बुलेंस के साथ दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें देश की जनता के सामने लाई जा रही हैं कि एसपीजी कानून को गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने के लिए बदला जा रहा है। यह वास्तविकता नहीं है। कांग्रेस सदस्यों के आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा समीक्षा के बाद चंद्रशेखर जी की सुरक्षा वापस ली गई, लेकिन तब कोई नहीं बोला, जबकि चंद्रशेखर जी बहुत बड़े नेता थे। बाद में पी वी नरसिंह राव जी की सुरक्षा ले ली गई, तब भी कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा भी बदली गई तब भी किसी ने हंगामा नहीं किया।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने सवाल किया कि चिंता किसकी है, किसी वीआइपी की या किसी एक परिवार की? इनको केवल एक परिवार की चिंता है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गांधी परिवार के एक भी सुरक्षाकर्मी की संख्या कम नहीं की गई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। विधेयक की धारा 4 में एक उपधारा का प्रस्ताव किया गया है। इसमें एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके साथ निवास करने वाले उनके निकट परिवार के सदस्यों और किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके आवंटित आवास पर निवास कर रहे निकट परिजनों को उस तरीख से, जब वह प्रधानमंत्री नहीं रह जाते, पांच वर्ष तक की अवधि के लिए निकट सुरक्षा प्रदान करेगा।

सुरक्षा को लेकर बंबई हाई कोर्ट ने चिंता जताई

पेज 1 का बाकी

नहीं कह रहे हैं। गैर सरकारी संगठन 'वीकम ट्रस्ट' की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सवाल उठाया गया कि शिवाजी पार्क खेल का मैदान है या मनोरंजन का स्थल। इस पर अदालत ने कहा, 'कल के कार्यक्रम के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते...हम केवल यह प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ अप्रिय न घटे।' अदालत ने कहा, 'दरअसल होगा यह कि यह (कार्यक्रम आयोजन) एक परंपरा बन जाएगा और फिर हर कोई इस तरह के कार्यक्रमों के लिए मैदान का इस्तेमाल करना चाहेगा।'

अदालत ने शपथ ग्रहण समारोह में लाखों लोगों के शामिल होंने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। जजों ने प्रशासन से कहा, 'आपको (प्रशासन) सुरक्षा के पहलू पर भी गौर करना होगा। आप हर किसी के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते।'

www.readwhere.com

मस्जिद के लिए दी जाने वाली जमीन पर दावा कर सकता है शिया वक्फ बोर्ड

लखनऊ, 27 नवंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पांच एकड़ जमीन नहीं लेता है तो वह खुद इसके लिए दावा पेश कर सकता है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत नौ नवंबर के अपने फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। अगर बोर्ड यह जमीन नहीं लेता है तो शिया वक्फ बोर्ड इस पर दावेदारी कर सकता है। बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि बाबरी मस्जिद बाबर के शिया कमांडर मीर बाकी ने बनवाई थी, लिहाजा विवादित स्थल शिया वक्फ संपत्ति मानी जानी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड विवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए इसी आधार पर सरकार से जमीन मांग सकता है और उस पर जनहित में अस्पताल बनाने का प्रस्ताव ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में विवादित रहे स्थल पर दावेदारी की शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी है और बोर्ड इस फैसले पर पुनर्विचार की याचिका नहीं दाखिल करेगा।

रिजवी का यह बयान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में मस्जिद बनाने के लिए जमीन लेने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो सका। बोर्ड के सदस्यों ने इस मामले के शरई पहलुओं पर गौर करने के लिए और समय मांगा है। अयोध्या मामले में मुसलिम पक्ष की रहनुमाई कर रहा आल इंडिया मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड मस्जिद निर्माण के लिए जमीन लेने से पहले ही इनकार कर चुका है।

रिजवी ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड का मानना है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है, वह अंतिम है और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद प्रकरण के विवाद का अंत है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले का हम पर कोई असर नहीं : जीलानी

लखनऊ, 27 नवंबर (भाषा)।

आल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के विपरीत अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले पर कायम है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस याचिका दाखिल करने का इरादा जताने वाले मुसलिमों को प्रताड़ित कर रही है।

जीलानी ने बुधवार को बताया कि हम तो याचिका दाखिल करेंगे। याचिका दाखिल न करने के सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमारे पास नौ दिसंबर तक का समय है। हम उससे पहले दाखिल कर देंगे। उसकी तारीख अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह किसकी तरफ से होगी, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या की पुलिस राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मुद्दई रहे मुसलिम पक्षकारों को यह कहते हुए परेशान कर रही है कि अगर वे पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि याचिका किसकी तरफ से दाखिल होगी, अभी उनका नाम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पुलिस उन्हें घर में घुसकर धमका रही है।

श्रीनगर में किराएदारों, घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि की जांच का आदेश

श्रीनगर, 27 नवंबर (भाषा)।

श्रीनगर में अधिकारियों ने पुलिस से कहा है कि आपराधिक गतिविधियों और आतंकी हमलों को रोकने के लिए किराएदारों और घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि की जांच करनी होगी। श्रीनगर जिलाधिकारी ने हाल ही में जारी किए गए एक आदेश में पुलिस को किराएदारों और घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि की जांच कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

PUBLIC NOTICE

NOTICE REGARDING LOST OF SHARE CERTIFICATE(S) OF PINE & PEAK DEVELOPERS LTD. Regd Off P78, L.G.F. Green Park Extn. New Delhi-110016

I, Pramod Jain R/o H-28, 1st Floor, Green Park Extn., New Delhi-110016, the registered ledger folio holder(s) No. 5, of under mentioned equity shares held in the above said company, hereby give notice that the share certificate(s) in respect of the said shares have been untraceable since 5th September 2019. Any person having objection in respect of the said shares should lodge such objection with the company at its registered address within 15 days with a copy to me at my given address, failing which no further objection will be considered by me.

Certificate Numbers	Dist. Numbers	Number of Shares
351 - 450	35001 - 45000	10000 shares

Date : 26th November 2019 Sd/-
Place : New Delhi Pramod Jain

PUBLIC NOTICE

NOTICE REGARDING LOST OF SHARE CERTIFICATE(S) OF PINE & PEAK DEVELOPERS LTD. Regd Off P78, L.G.F. Green Park Extn. New Delhi-110016

M/s Yuthika Commercial Private Ltd., Corporate Office, L7, Ground Floor, Green Park Extn. New Delhi-110016, the registered ledger folio holder(s) No. 9, of under mentioned equity shares held in the above said company, hereby give notice that the share certificate(s) in respect of the said shares have been untraceable since 5th September 2019. Any person having objection in respect of the said shares should lodge such objection with the company at its registered address within 15 days with a copy to us at our given address, failing which no further claim/objection will be considered by us.

Certificate Numbers	Dist. Numbers	Number of Shares
500-583	1275001-2125000	850000 shares
700	2125001 - 2135000	10000 shares
701	2135001 - 2138876	3876 shares
702	2138877 - 2142397	3721 shares
703	2142398 - 2150000	7603 shares

Date : 26th November 2019 Sd/-
Place : New Delhi Yuthika Commercial Pvt. Ltd.

PUBLIC NOTICE

NOTICE REGARDING LOST OF SHARE CERTIFICATE(S) OF PINE & PEAK DEVELOPERS LTD. Regd Off P78, L.G.F. Green Park Extn. New Delhi-110016

M/s Plus Corporate Ventures Private Ltd. (Formerly known as M/s Pranchi Holdings Pvt. Ltd.), Regd. Office, L7, Mezz Floor, Green Park Extn., New Delhi-110016, the registered ledger folio holder(s) No. 8, of under mentioned equity shares held in the above said company, hereby give notice that the share certificate(s) in respect of the said shares have been untraceable since 5th September 2019. Any person having objection in respect of the said shares should lodge such objection with the company at its registered address within 15 days with a copy to us at our given address, failing which no further claim/objection will be considered by us.

Certificate Numbers	Dist. Numbers	Number of Shares
551-646	50001 - 1200000	1150000
704	1200001-1224205	24205
705	1224206-1224982	777
706	1224983-1225000	18
707	1225001-1232003	7003
708	1232004-1250000	17997
709	1250001-1272457	22457
710	1272458-1275000	2543

Date : 26th November 2019 Sd/-
Place : New Delhi Plus Corporate Ventures Pvt.Ltd.

भाजपा 'अघोरी' कोशिशों के बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई : राउत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में सत्ता फिर से हासिल करने के लिए 'अघोरी' (तंत्र-मंत्र) कोशिशें कीं, लेकिन राज्य की जनता ने इसे नाकाम कर दिया और इसके साथ ही देश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो गई है।

राउत ने कहा कि यह हैरानी नहीं होगी अगर शिवसेना महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) बनाने के बाद केंद्र में सरकार बना ले। भाजपा से टकराव के बाद पिछले एक महीने से नियमित रूप से मीडिया से बात करने वाले राउत ने कहा कि वह गुरुवार से नियमित संवाददाता सम्मेलन संबोधित नहीं करेंगे और शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' से जुड़े अपने काम पर लौटेंगे।

राउत ने कहा, 'महाराष्ट्र में बदलाव की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र ने देश को नई सुबह दिखाई है।' राउत ने कहा कि लोग पहले उन पर भरोसा नहीं करते थे जब वह कहते थे कि शिवसेना का 'सूर्ययान' मंत्रालय (सचिवालय) के छठे माले पर सुरक्षित उतरेगा। इसका मतलब है कि पार्टी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्यमंत्री का कार्यालय यहां राज्य सचिवालय की छठी मंजिल पर स्थित है।

शिवसेना नेता ने कहा, 'लेकिन हमारा 'सूर्ययान' सुरक्षित उतरा और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर सूर्ययान दिल्ली में उतरे।' शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार के प्रमुख शिल्पकारों में से एक माने जा रहे राउत ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

ओए नं. 458/2019 डीआरटी-III

भारतीय स्टेट बैंक — आवेदक
बनाम
श्री अरुण कुमार भारद्वाज — प्रतिवादीगण

सेवा में, प्रतिवादीगण

डी-1. श्री अरुण कुमार भारद्वाज, पुत्र नवीन कुमार भारद्वाज, निवासी: 53, पॉकेट ई-2, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085

डी-2. मै. आइडिया बिल्डर्स प्रा.लि., द्वारा उसके प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जिसका पंजीकृत कार्यालय है: सी-294, 1ला तल, विवेक विहार, दिल्ली-110095

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 17.12.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 28 अक्टूबर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF KHAIRWALA INTERNATIONAL LIMITED

1.	Name of Corporate Debtor	Khairwala International Limited
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	22nd February, 1992
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs - ROC - Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identity number of corporate debtor	U51900DL1993PLC052248
5.	Address of the Registered office and Principal office (if any) of Corporate Debtor	**Registered Office:** 4273-IF Gali Babu Ji Pahari Dhiraj Delhi-110006 **Factory Office:** 2 Km Stone, Khair Somna Road, Kasba Khair, District Aligarh, U.P. 202138 and Village Rasulpur, Kasba Khair, District-Aligarh, U.P. 202138
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	25.11.2019
7.	Liquidation commencement date of Corporate Debtor	26.11.2019 (order received on 27.11.2019)
8.	Name and registration number of the liquidator	**Mr. Harjeet Singh Rekhi Reg No:** IBBI/IPA-003/IP-N000177/2018-2019/12124
9.	Address and e-mail id of the liquidator, as registered with the Board	C3/93, 2nd Floor, Janakpuri, New Delhi-110058 Email: hsrekhi2@gmail.com
10.	Address and e-mail id to be used for correspondence with the liquidator	**Primus Insolvency Resolution and Valuation Pvt. Ltd.** C-4E/135, Janakpuri, New Delhi-110058 Contact No: 0124-4285388, +91-9540007506 **E-mail ID:** kil@primusresolutions.in
11.	Last date for submission of claims	26.12.2019

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench III has ordered the commencement of liquidation of the Khairwala International Limited on 26.11.2019.
The stakeholders of Khairwala International Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 26.12.2019, to the Liquidator at the address mentioned against item 10.
The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
Date: 28.11.2019 Harjeet Singh Rekhi
Place : New Delhi **Reg.No.:** IBBI/IPA-003/IP-N000177/2018-2019/12124

SHRI LAKSHMI COTSYN LIMITED
CIN: L17122UP1988PLC009585
Regd. Office : 19/X-1, Krishnapuram, G.T. Road, Kanpur-208 007 (U.P.)
Tel. No. : 0512-2401692, 2402893, 2402793, Fax No. : 0512-2402339,
Corp. Office : C-40, Sector-57, Gautam Budh Nagar, Noida- 201 301 (U.P.)
Tel. No. : 0120-4722700, Fax No.: 0120- 4722722
Email : shri@shrilakshmi.in, Website: www.shrilakshmi.in

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E - VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 31st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Company will be held on Saturday, 14th December 2019 at 11.30 a.m. at its Registered Office at 19/X-1, Krishnapuram, G.T. Road, Kanpur-208007 to approve the audited annual accounts of the Company for FY 2018-19 inter alia other businesses as set out in the Notice.
NOTICE is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that Register of Members and Share Transfer Register of the Company will remain closed from 08.12.2019 to 14.12.2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
A. Voting through electronic means: In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company is providing facility to the members to exercise their right to vote by electronic voting system provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL) in respect of businesses to be transacted at the AGM.
B. Date and time of the commencement and End of the remote e-voting: E-voting shall commence at 9.00 a.m. on 11.12.2019 and shall be available till 5.00 p.m. on 13.12.2019 and shall not be available thereafter.
C. Cut-off date for determining the eligibility of members to vote is 07.12.2019 (Saturday). Members, who have acquired shares after the dispatch of Notice of AGM and before cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. If a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.
D. A member may participate in the AGM even after exercising right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
E. Website address of the Company and NSDL where Notice is displayed are www.shrilakshmi.in and www.evoting.nsdl.com respectively.
In case of any queries related to e-voting, members can directly contact NSDL, 4th floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. Email evoting@nsdl.co.in, Toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to Company Secretary at E-mail id rakesh@shrilakshmi.in.

For Shri Lakshmi Cotsyn Limited
Place: Kanpur Rakesh Kumar Srivastava
Date: 15.11.2019 Company Secretary & Finance Controller

दिल्ली अंचल कार्यालय,
15, एनबीसीसी टावर, 3रा तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
प्रधान कार्यालय: लोकमंडल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 27.7.2018 जारी कर 1. श्री सतवीर शर्मा तथा अन्यों, निवासी: मकान सं. 122, महल्ला कलान, सोनीपत, हरियाणा, ऋणधारकों (यहाँ के बाद ऋणधारकों तथा गारन्टरों सामूहिक रूप से: ऋणधारकों के रूप में वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 10,90,368/- (रुपए दस लाख नब्बे हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) तथा 6.11.2017 से 25 प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज के साथ मासिक रेस्ट के साथ उस पर 10.25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। (यह सूचना स्पीड डाक से भेजी गई थी।) ऋणधारक एवं गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 22.11.2019 को रु. 11,69,619/- (रुपये ग्यारह लाख उन्हत्तर हजार छः सौ उन्नीस मात्र) के साथ सभी अनुषंगिक खर्चे के साथ अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास गिरवी रखी गई तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:
सोनीपत की एम.सी. लिमिट में खसरा नं. 3439/5/1, 5/7, मकान सं. 122 में शामिल भूमि माप 110 वर्ग यार्ड्स जो पट्टी जाटन, सोनीपत, आदर्श नगर के रूप में विदित, सोनीपत में स्थित है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिये
तिथि: 22.11.2019 सहायक महा प्रबंधक
स्थान: सोनीपत एवं प्राधिकृत अधिकारी (सरफैसी अधिनियम, 2002)

Karur Vysya Bank Smart way to Bank
द करूर वैस्य बैंक लि.,
मंडल कार्यालय नं. 6, 3रा तल,
मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड
करोलबाग, नई दिल्ली-110005

विषय: वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना- श्री मुकेश सक्सेना, पुत्र श्री मदन बिहारी लाल सक्सेना की ऋण खाता में बकाये की वसूली के लिये; अधोलिखित को भेजी गई: 1) श्री मुकेश सक्सेना, पुत्र श्री मदन बिहारी लाल सक्सेना, 45, दीप एन्क्लेव, पार्ट-2, विकास नगर, उत्तम नगर वेस्ट, दिल्ली-110059 तथा 2) श्री राकेश कुमार सक्सेना, पुत्र श्री एम बी एल सक्सेना, 145/54, फ्लैट नं. एस-3, गली नं.-1ए शिव मंदिर मार्ग, कृष्णापुरी ब्लॉक, मंडावली फाजलपुर, ईस्ट दिल्ली-110092

जैसा कि आपने प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक को उपरोक्त ऋण खाता में ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा 17.9.2019 को यह खाता एनपीए बन चुकी है। बैंक ने 7.10.2019 को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपको रु. 21,99,643,65/ (रुपये इक्कीस लाख निन्यानवे हजार छः सौ पैंतालिस तथा पैसठ मात्र) की बकाया राशि के पुनर्भुगतान का निर्देश दिया था। सूचना की एक प्रति फ्लैट नं. 297, 4था तल, सेक्टर बी-2, पॉकेट-डी, डीडीए आवासीय योजना, नरेला, दिल्ली- 110040 के परिसर में भी चिपकाई गई है।

जैसा कि पंजी. डाक/कूरियर से हमारे द्वारा आप सं. 1 को भेजी गई सूचना अनसर्व्ड वापस लौट आई है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि बैंक में आऐं तथा बकाया ऋणों, बैंक के पास चार्ज्ड प्रतिभूतियों आदि का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिये अपने हित में सूचना की प्रति प्राप्त करें।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 19.9.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ऊपर दर्शाई गई राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक के पास नीचे वर्णित हाइपोथेकेट/गिरवी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा।

ऋणधारक तथा गांरटर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

स्थान: दिल्ली मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 27.11.2019 द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

फ्लैट नं. 297, 4था तल, सेक्टर बी-2, पॉकेट-डी, डीडीए आवासीय योजना, नरेला, दिल्ली।

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
स्पैक्टैक्युलर मीडिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	स्पैक्टैक्युलर मीडिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन का तिथि	8.9.2010
3.	वह प्राधिकरण जिसके अतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74300DL2010PTC207992
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 403, प्रभात किरण, 17, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110092
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	20.11.2019, आदेश की प्रति आईआरपी को 25.11.2019 को उपलब्ध कराई गई।
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	18.5.2020 अर्थात दिवाला आरंभ होने की तिथि से 180 दिन
8.	रिजाल्यूशन प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	मोह. नजीम खान IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेल:	पता: एमएनके एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेट्रीज, जी-41, भू तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ईमेल: nazim@mnkassociates.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: एमएनके एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेट्रीज, जी-41, भू तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ईमेल: spectacularmediamarketing @gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	9.12.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	इस चरण में क्रेडीटरों का कोई वर्ग सुनिश्चित नहीं है।
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	इस चरण में क्रेडीटरों का कोई वर्ग सुनिश्चित नहीं है, तदनुसार कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तावित नहीं है।
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	संबंधित प्रपत्रों का वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads संबंधित प्रपत्रों के लिए भौतिक पता: एमएनके एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेट्रीज, जी-41, भू तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ ने 20.11.2019 को, आदेश की प्रति अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल को 25.11.2019 को उपलब्ध कराई गई, स्पैक्टैक्युलर मीडिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा स्पैक्टैक्युलर मीडिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि मद सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 9.12.2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं. लागू नहीं

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के चैप्टर IV के अनुसार जमा किया जाएगा। दावे का प्रमाण निम्न विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किए जा सकते हैं।

प्रपत्र बी: कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे;
प्रपत्र सी: वित्तीय क्रेडीटर्स द्वारा दावे;
प्रपत्र सीए: किसी वर्ग में वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे;
प्रपत्र डी: कर्मियों तथा कर्मचारियों द्वारा दावे;
प्रपत्र ई: कर्मियों अथवा कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जमा किए गये दावे
प्रपत्र एफ: वित्तीय क्रेडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त क्रेडीटरों द्वारा दावे

हस्ता/-
मोह. नजीम खान
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
तिथि: 27 नवम्बर, 2019 आईपी पंजी. सं.:
स्थान: नई दिल्ली IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank BRANCH - CHITEHRA

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07.09.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मुरु चरन वीरेन्द्र सिंह खाताधारक है को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रु.- 4,58,666.70/- (रुपये चार लाख अट्ठावन हजार छः सौ छासठ और पैसा सत्तर केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 नवम्बर 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, चितेहरा शाखा को देय धनराशि रु.- 4,68,199.81/- अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

फी-होल्ड खाली आवासीय प्लॉट खसरा नं. 336, जिसकी माप 200 स्क्वेयर यार्ड्स, गांव चितेहरा तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर। मालिक वीरेन्द्र। जिसकी सीमाऐं- उत्तर में श्री वीरेन्द्र का घर, दक्षिण में विक्रेता श्री ब्रजमोहन का प्लॉट, पूर्व में रास्ता 12 फिट चौड़ा और पश्चिम में श्री राने और अन्य की भूमि।

दिनांक 27.11.2019
स्थान: चितेहरा। प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक।

यूनियन बैंक Union Bank of India
कनॉट प्लेस शाखा
पता: 14/15, एफ ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
ई-मेल:dgmconnaughtplace@unionbankofindia.com, फोन: 011-23312899, 23314777

कब्जा सूचना [नियम-8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कनॉट प्लेस, शाखा, जो कनॉट प्लेस, ब्लॉक-14/15, नई दिल्ली-110001 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.5.2018 जारी क

जेवर हवाई अड्डा : सभी बोलीदाता तकनीकी मानदंड पर खरे, कल फैसला

नोएडा, 27 नवंबर (भाषा)।

जेवर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सभी चारों बोलीदाता तकनीकी मानदंडों पर खरे उतरे हैं और 29,560 करोड़ रुपये की यह परियोजना किस कंपनी को मिलेगी इस पर शुक्रवार को फैसला होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चार बोलीदाताओं दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लि., ज्यूरिख एअरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, अडाणी इंटरप्राइजेज लि. और एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स लि. ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने की इच्छा जताई थी। नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया- उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना निगरानी और कार्यान्वयन समिति की बैठक में बुधवार को चार बोलीदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन किया गया और सभी बोलीदाता तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को एनआइएएल के ग्रेटर नोएडा दफ्तर में वित्तीय बोली खोली जाएगी और हवाई अड्डे के लिए अनुबंध देने को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बीएम-I प्रभाग, नागरिक अभियांत्रिकी विभाग
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
321, 3रा तल, शहीद भगत सिंह प्लेस, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001
निविदा आईडी सं.: 2019_NDMC_184489_1

ई-प्रापण निविदा सूचना

कार्य का नाम: सैनिटेशन व्यय
उ.शी.: मोहन सिंह प्लेस तथा न.दि.न.प.क्षेत्र के पालिका प्लेस काम्पलैक्स में यांत्रिकीकृत हाउस-कीपिंग कार्य।
अनुमानित लागत: रु. 1,66,06,083/-
ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा निर्गम की तिथि: 26.11.2019
ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय: 19.12.2019 के 4.00 बजे अप. में
विस्तृत विवरण www.ndmcgov.in अथवा https://www.govtprocurement.delhi.gov.in पर देखी जा सकती है।
टिप्पणी: नदिनप में ई-निविदा में भाग लेने के लिए एनआईसीसीए में पंजीकरण अनिवार्य है।
यह निविदा केवल ई-प्रापण प्रक्रिया में ही प्राप्त की जायेगी तथा ई-प्रापण की शर्तें निविदा दस्तावेजों के निर्गम तथा प्राप्ति के लिये एनआईटी की सभी सामान्य शर्तों से ऊपर होंगी।
कार्यपालक अभियंता (बी एम-I)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Undertaking) A Navratna Company
CONCOR
निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग पद्धति)
www.tenderwizard.com/CCIL
CONHQTCRTO.e-Rail/2019
www.concorindia.com www.eprocure.gov.in www.tenderwizard.com/CCIL

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधि. अभियन्ता (एम)-I/केपीजेड
केशव पुरम, दिल्ली-110035, ई-मेल आईडी : eem1kpz@gmail.com
निविदा आमंत्रण सूचना
एनआईटी सं. ई.ई. (एम-I)/केपीजेड/टीसी/2019-20/32 दिनांक 22.11.2019
निविदा प्रपत्र खरीदना/डाउनलोड : 22.11.19 को सायं 5:00 बजे तक
करना शुरू होने की तिथि
निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि : 06.12.19 को प्रातः 11:00 बजे तक
वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 06.12.19 को प्रातः 11:15 बजे तक
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियन्ता (एम)-I/केशव पुरम द्वारा स्वीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से मोहरबन्द प्रतिशत/मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं अधिशासी अभियन्ता (एम)-I/केशव पुरम द्वारा वेबसाइट www.tenderwizard.comVNORTHDMCETENDER पर खोली जायेंगी। दरें 6 माह हेतु वैध होंगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा राशि (रु.)	अनुमानित राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
1.	वार्ड सं. सी-67-एन/पश्चिम विहार केशव पुरम जोन में सुभाष एन्क्लेव में म.नं. ए-34 से आउटर रिंग रोड (गेट नं. 7) म.नं. बी-37 से गेट नं. 2 तक, बीजी-6 ब्लॉक में गेट नं. 1 से मंदिर तक, बीजी-1 ब्लॉक में म.नं. 247 से 262, म.नं. 262 से 271 तक, स्टेट बैंक नगर में म.नं. 73 से 83 तक, बीजी-5 ब्लॉक में म.नं. 44 से 48 तक आंतरिक सड़कों/लेनों का सुधार/सुदृढ़ीकरण तथा पश्चिम विहार में बी-4 मार्किट से सड़क नं. 29 तक ड्रेन का सुदृढ़ीकरण।	1,77,90,913/-	1,92,37,200/-	3,55,900/-
2.	एरी-15 में वार्ड सं. सी-67 (पश्चिम विहार)/केपीजेड में बी-1 ब्लॉक में म.नं. 115 से 280, म.नं. 9 से 141, लिटिल एंगल स्कूल के साथ, बीजी-8 ब्लॉक में बीजी-8 मार्किट की ड्रेन लेन, अवतार एन्क्लेव में म.नं. 212 से 204, म.नं. 216 से मेन गेट (ड्रेन लेन), बीजी-7 ब्लॉक में म.नं. 1 से 83, म.नं. 72 से 56, म.नं. 77 से 73 तक, बी-2 ब्लॉक पश्चिम विहार में म.नं. 199 से सड़क सं. 30 तक आंतरिक सड़कों/लेनों का सुधार/सुदृढ़ीकरण।	1,79,52,336/-	1,94,11,800/-	3,59,100/-
3.	वार्ड सं. सी-67-एन/पश्चिम विहार, केशव पुरम जोन में बीन अपार्टमेंट में म.नं. 2ए से 4ए, 4ए के साथ, 12ए से 13ए, 13ए से 15ए, 40ए से 17ए, 16ए से 9ए, 18ए से 22ए, 35ए से 40ए, 29ए से 34ए, 28ए से 23ए, 17ए से 22ए, 16ए से 13ए, 9ए से 12ए, 8ए से 5ए तक, कांती माता मंदिर के सामने दोनों ओर साईड वर्म, गीता बाग झुग्गियों से आउटर रिंग रोड तक, म.नं. 64 से 75 तक, शिव मंदिर पार्क के साथ, म.नं. 271 से 331 तक, म.नं. 101 से 144 बी-3 ब्लॉक तथा संत प्रोवेत रघुल से मैजी अपार्टमेंट, ज्वालाहेड़ी गांव में डब्लूजैड-90 से लक्ष्मी नारायण मंदिर, डब्लूजैड-56 से दुकान नं. 55, दुकान नं. 55 से डब्लूजैड-81, डब्लूजैड-29 से डब्लूजैड-31, डब्लूजैड-31 से डब्लूजैड-38, डब्लूजैड-13 से डब्लूजैड-12, बीजी-5ए ब्लॉक में बीजी-5ए/7ए से 16ए, 52ए से 49ए, 37ए से 40ए, 45ए से 48ए, 44ए से 47ए, 33ए से 36ए, 24ए से 21ए, 17ए से 20ए तक, बीजी-5 ब्लॉक पश्चिम विहार में 5ए से 8ए, 9ए से 14ए, 15ए से 20ए, 21ए से 32ए, 49ए से 52ए, 53ए से 64ए, 1ए से 65ए तक आंतरिक सड़कों/लेनों का सुधार/सुदृढ़ीकरण।	1,54,59,131/-	1,67,15,900/-	3,09,200/-
4.	वार्ड सं. सी-67-एन/केपीजेड में पश्चिम विहार में स्टेट बैंक नगर में म.नं. 236 से 196, 17 से 141, 107 से 84, 108 से 130, 131 से 181 तथा 179 से 165 तक आंतरिक सड़कों एवं ड्रेनेज प्रणाली का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण।	1,83,27,784/-	1,98,17,700/-	3,66,600/-
5.	वार्ड सं. सी-65 सरस्वती विहार, केशव पुरम जोन में डेलट एन्क्लेव, मित्रसदन अपार्टमेंट, ए-1 ब्लॉक, पश्चिम विहार में ए, बी, सी, डी एवं ई ब्लॉक सरस्वती विहार, तरुण एन्क्लेव में म.नं. 287 से 240 तक, गेट नं. 1 से गेट नं. 2 तक केन्द्र कॉटेजिंग द्वारा सड़कों का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण।	1,62,13,212/-	1,96,93,800/-	3,64,300/-
6.	वार्ड सं. सी-67 (पश्चिम विहार)/केशव पुरम जोन में सुभार एन्क्लेव में म.नं. 94 से 73, म.नं. 95 से 116, म.नं. 133 से 168, म.नं. 72 से 62, म.नं. 51 से 203, म.नं. 193 से 185 के निकट तथा अवतार एन्क्लेव, पश्चिम विहार में म.नं. 184 से 193, म.नं. 165 से 172, म.नं. 109 से 115, म.नं. 84 से 92 एवं म.नं. 102 से 108 के निकट तक आंतरिक सड़कों एवं ड्रेनेज प्रणाली का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण।	1,77,45,983/-	1,91,88,600/-	3,54,950/-
7.	सत नगर, सी-66/केपीजेड में म.नं. 4205 से टी-4बी, 2839 से 2840, 2847 से 2956, 2954 से 2943, 2942 से 2956, 2962 से 2967, 2968 से 2974, टी-2 से टी-5बी, 2870 से 2872, 2873 से 2876, 2877 से 2882, 2874 से 3025, 2877 से 3018, 3017 से 3018, 3025ए से 3025, 3031 से 3031ए तक तथा 2840 के साथ आरएमसी के प्रावधान द्वारा लेनों का सुधार, विकास।	44,59,742/-	48,22,300/-	89,200/-
8.	म.नं. 1441 से 1441डी, 1441 से 1441ए, 1442 से 1454, 1372 से 1375, 2111 से 2176, 2031 से 2034, 1929 से 1938, 1963 से 1965, 1852 से 1962, 1311 से नेबी राम पार्क, 1290 से 1300, 1301 से 1277, 1701 से 1711, 1645 से 1636, 1625 से 1635, 1625 से 1711 सत्ती बाग एवं 575 से 585, 570 से 545 तक जफि नगर, सी-66/केपीजेड में सीसी के प्रावधान द्वारा लेनों का सुधार, विकास।	58,37,378/-	60,95,700/-	1,12,750/-
9.	न्यू सुल्तान नगर, सी-66/केपीजेड में म.नं. ए-12 से ए-15, ए-53 से ए-55, बी-5 से बी-6, बी-15 से बी-16, बी-28 से बी-31, बी-63 से बी-68, बी-79 से बी-81, बी-82 से बी-88, एम-1 से एम-5, एम-6 से एम-15, ई-64 से ई-68, ई-43 से ई-46 तक तथा बी-24 के साथ आरएमसी के प्रावधान द्वारा लेनों का सुधार, विकास।	35,19,155/-	38,05,200/-	70,400/-

लेखा शीर्षक : XL-VIII-S (d) उपरोक्त सभी कार्यों के लिए: अनुरक्षण अवधि की धारंटी : 5 वर्ष प्रत्येक, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए, परिपूर्णन अवधि : 8 माह प्रत्येक, क्र.सं. 1 से 4 के लिए, 4 माह प्रत्येक, क्र.सं. 5, 7 एवं 9 के लिए, 6 माह प्रत्येक, क्र.सं. 6 एवं 8 के लिए, दर वैधता अवधि : 6 माह प्रत्येक, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए निविदा का मूल्य : रु. 1,500/- प्रत्येक, क्र.सं. 1 से 6 के लिए, रु. 1,000/- प्रत्येक, क्र.सं. 7 से 9 के लिए। स्वीकृत/पात्र ठेकेदारों द्वारा बिडिंग हेतु निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.comVNORTHDMCETENDER से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत एनआईटी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
आर.ओ. सं. 163/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधि. अभियन्ता (एम)-I/केपीजेड

दूरसंचार कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मिले ट्राई प्रमुख, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

दूरसंचार क्षेत्र में चल रही उथल-पुथल के बीच ट्राई के चेयरमैन ने वोडाफोन आइडिया के सीईओ समेत दूरसंचार कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बुधवार को मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य उन प्राथमिकता वाले मुद्दों की पहचान करना है, जिन मुद्दों पर 2020 में नियामक द्वारा गौर किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार उद्योग के प्रतिनिधियों ने बैठक में न्यूनतम शुल्क मूल्य और समायोजित सकल आय (एजीआर) की परिभाषा सहित अन्य कई प्रमुख मुद्दों को लेकर चिंता जताई। दूरसंचार उद्योग का एक धड़ा चाहता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) उद्योग की चिंताओं को दूर करने के इन मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू करे।

पिछले महीने समायोजित सकल आय (एजीआर) पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बैठक अहम मानी जा रही है। इस फैसले के बाद दूरसंचार कंपनियों पर पिछले वैधानिक देय के रूप में 1.47 लाख करोड़ रुपए का बकाया बन गया है। शीर्ष न्यायालय ने सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा था जबकि दूरसंचार कंपनियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।

ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि बैठक में अगले कैलेंडर वर्ष के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मुद्दों पर सामान्य चर्चा की। उन्होंने कहा कि दूरसंचार उद्योग ने बैठक से पहले कुछ जानकारियां दी थीं। ट्राई ने भी कुछ मुद्दों की पहचान की थी। इसलिए हमने इन दोनों सूचियों पर विचार-विमर्श किया और ट्राई के विचारों पर उद्योग से इनपुट लिया। हमने उद्योग को विशेष मुद्दों पर लिखित में दस्तावेज या पत्र देने को कहा है।

उन्होंने कहा कि ट्राई 6-7 मुद्दों की सूची को अंतिम रूप देगा, आगामी वर्ष में नियामक की ओर से इन मुद्दों को उठाया जाएगा। ट्राई प्रमुख ने बैठक में उठाए गए विशेष मुद्दों पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। हालांकि, उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि बुधवार की चर्चा में स्पेक्ट्रम का न्यूनतम और एजीआर का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

कैन फिन होम्स लिमिटेड
एससीओ-34 एवं 35, प्रथम तल, केनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर-10ए, गुरुग्राम, दूरभाष : 0124-237760
सीआईएन : L85110KA1987TLC008699 मो. : 7625079135 ई-मेल : gurgaon@canfinhomes.com

शुद्धिपत्र

यह विज्ञापन 08.11.2019 को जनसत्ता (दिल्ली) में प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में है। कृपया कर्जदार का नाम ज्योति शर्मा के बजाय ज्योत्स्ना शर्मा पढ़ें जो कि गलती से लिखा गया था। अन्य विवरण यथावत रहेंगे।
तिथि: 27.11.2019 ह./- अधिकृत प्राधिकारी,
स्थान: गुरुग्राम कैन फिन होम्स लिमिटेड

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
ई-निविदा सूचना
पत्रांक: सी.एस.जे.एम.वि.वि./B.A.B./108/110/111/2019 दिनांक: 26.11.2019
विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की उत्तरपुस्तिकाओं के निर्माण व आपूर्ति हेतु निम्नांकित A-कागज सहित उत्तरपुस्तिका निर्माण व आपूर्ति (32 पृष्ठ) B-कागज सहित प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका (8-पृष्ठ) निर्माण व आपूर्ति एवं C-उपस्थिति पत्रक निर्माण व आपूर्ति के लिए सक्षम फर्मों से दिनांक 27/11/2019 के पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 11/12/2019 के अपरान्ह 05.00 बजे तक ई-निविदा के माध्यम से निविदाएं स्वीकार की जायेगी। निविदा प्रपत्र के आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org तथा https://etenderup.nic.in पर उपलब्ध है।
परीक्षा नियंत्रक

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधि. अभियन्ता (एम)-I/केपीजेड
केशव पुरम, दिल्ली-110035, ई-मेल आईडी : eem1kpz@gmail.com
निविदा आमंत्रण सूचना
एनआईटी सं.: ई.ई. (एम-I)/केपीजेड/टीसी/2019-20/31 दिनांक 21.11.2019
निविदा प्रपत्र खरीदना/डाउनलोड : 21.11.19 को सायं 5:00 बजे तक
करना शुरू होने की तिथि
निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि : 05.12.19 को प्रातः 11:00 बजे तक
वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 05.12.19 को प्रातः 11:15 बजे तक
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियन्ता (एम)-I/केशव पुरम द्वारा स्वीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से मोहरबन्द प्रतिशत/मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं अधिशासी अभियन्ता (एम)-I/केशव पुरम द्वारा वेबसाइट www.tenderwizard.comVNORTHDMCETENDER पर खोली जायेंगी। दरें 6 माह हेतु वैध होंगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा राशि (रु.)	अनुमानित राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
1.	वार्ड सं. सी-67 पश्चिम विहार केशव पुरम जोन में बी-4 ब्लॉक में म.नं. 1 से 17, म.नं. 141 से 78, म.नं. 55 से 40, म.नं. 98 से 114 तक तथा बी-5 ब्लॉक पश्चिम विहार में म.नं. 125 से पार्क, म.नं. 71 से 83 एवं म.नं. 151 से 167 तक आंतरिक सड़कों एवं ड्रेनेज प्रणाली का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण।	1,64,97,962/-	1,78,30,100/-	3,30,000/-
2.	वार्ड सं. सी-65 सरस्वती विहार, केशव पुरम जोन में ए-1 पश्चिम विहार में म.नं. ए-1/227 से 237, म.नं. ए-1/251 से 243, ए-1/20 के साथ, ए-1/20 से 17, ए-1/227 से 237, ए-1/171 से 196, ए-1/259 से 257, ए-1/199 से 213, ए-1/171 से 162 तक, पश्चिम विहार में ए-2/83 से 96 तक, मित्रसदन अपार्टमेंट पश्चिम विहार में आदर्श अपार्टमेंट के साथ, गेट नं. 2 से 1, 129 से 73, गेट नं. 3 से पावर हाउस तक, 301 के साथ, 170 के साथ आंतरिक सड़कों एवं ड्रेनेज प्रणाली का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण।	1,31,79,689/-	1,42,51,100/-	2,63,600/-
3.	वार्ड सं. सी-67-एन/पश्चिम विहार, केशव पुरम जोन में ए-4 ब्लॉक में म.नं. 7ए से 16ए/बीजी-5, 25 से 47 तक, आरकेआई कालोनी में मलाना अपार्टमेंट से मत फार्मेल रकुल, जे-40 से जे-69 तक, ए-4 ब्लॉक में बी3/391 से बी-3/366, ए-3/114 से 100, ए-3/71 से 15, 390 से 405 तक, ए-4 ब्लॉक में 238 से 245 तक, ए-6 कोठी, ए-6 जनता फ्लैट्स में 253 से 260 ए-6 कोठी, 67 से 74 तक आंतरिक सड़कों/लेनों का सुधार/सुदृढ़ीकरण।	1,75,46,880/-	1,89,73,300/-	3,50,950/-
4.	केशव पुरम जोन में वार्ड सं. सी-67 पश्चिम विहार में पॉकेट-1 पश्चिम विहार में म.नं. 1 से 154, 24 से 269, 103 से 122, 59 से 78 तक, बीजी-2 ब्लॉक पश्चिम विहार में म.नं. 13 से 16, 9 से 12, 1 से 4, सड़क सं. 29 से म.नं. 37, 33 से 36 तथा 1 से 24 तक सड़कों/लेन का सुधार/सुदृढ़ीकरण।	1,62,50,450/-	1,75,71,500/-	3,25,000/-
5.	वार्ड सं. सी-67 पश्चिम विहार केशव पुरम जोन में मीरा बाग बी-ब्लॉक, पश्चिम विहार में म.नं. 465 से पार्क, म.नं. 460 से 448, म.नं. 447 से 428, म.नं. 398 से 422, म.नं. 380 से 397, म.नं. 480 से 474, म.नं. 390 से 369 तक, सैन्ट्रल पार्क के साथ, म.नं. 480 से 488, पार्क से 423 एवं म.नं. 496 से 497 तक आंतरिक सड़कों एवं ड्रेनेज प्रणाली का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण।	1,75,40,212/-	1,89,66,100/-	3,50,800/-
6.	केशव पुरम जोन में वार्ड सं. सी-67 (पश्चिम विहार) में जीएफ-4 पश्चिम विहार में म.नं. 148 से 61, 273 से 312, 313 से 348, 181 से 272, 97 से 121 तक, जीएफ-2 ब्लॉक पश्चिम विहार में वरिष्ठ नागरिक से 152ए, 167 से 160, 6ए से 2ए, 8ए से 88ए तक, पश्चिम विहार में शगुन ज्वैलर्स से जेके अपार्टमेंट तक सड़कों/लेनों का सुधार/सुदृढ़ीकरण।	1,72,52,990/-	1,86,55,600/-	3,45,100/-
7.	वार्ड सं. सी-67 केशव पुरम जोन में बी-2 ब्लॉक पश्चिम विहार में म.नं. 211 से 182, म.नं. 211 से 259, म.नं. 133 से 124, म.नं. 57 से 32, म.नं. 68 से 57, म.नं. 175 से 166 तथा म.नं. 141 से पार्क तक आंतरिक सड़कों एवं ड्रेनेज प्रणाली का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण।	1,54,52,035/-	1,67,08,200/-	3,09,100/-
8.	वार्ड सं. सी-65/केपीजेड (एरी-15) झंडूर बस्ती में शक्ति विहार, आनन्द विहार में म.नं. 1 से 14, म.नं. 64 से 77, म.नं. 44 से 49 तथा म.नं. 43 से 32 तक, दीपाली में म.नं. 119 से पटाना रोड एवं म.नं. 438 से 443, म.नं. 437 से 431, म.नं. 192 से 259, म.नं. 306 से 339, म.नं. 405 से 418, म.नं. 259 से 192, साईड लेन म.नं. 316, म.नं. 111 से 116, म.नं. 15 के सामने से 32, म.नं. 70 से 78 तक, शारदा निकेतन में म.नं. 136 से 143 तक, सरस्वती विहार में म.नं. सी-532 के साथ, म.नं. सी-527 के साथ, सी-790 से जी-823 की साईड वर्म तथा गुरु संदीपन मार्ग की साईड वर्म की लेनों का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण।	1,69,80,273/-	1,83,60,700/-	3,39,600/-

लेखा शीर्षक : XL-VIII-S (d) उपरोक्त सभी कार्यों के लिए: अनुरक्षण अवधि की धारंटी : 5 वर्ष प्रत्येक, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए, परिपूर्णन अवधि : 6 माह प्रत्येक, क्र.सं. 1, 2 एवं 7 के लिए, 8 माह प्रत्येक, क्र.सं. 3 से 6 एवं 8 के लिए, दर वैधता अवधि : 6 माह प्रत्येक, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए: निविदा का मूल्य : रु. 1,500/- प्रत्येक, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए।
स्वीकृत/पात्र ठेकेदारों द्वारा बिडिंग हेतु निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.comVNORTHDMCETENDER से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत एनआईटी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
आर.ओ. सं. 162/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधि. अभियन्ता (एम)-I/केपीजेड

सूचकांक 200 अंक चढ़कर 41,000 अंक से ऊपर नए रेकार्ड स्तर पर

मुंबई, 27 नवंबर (भाषा)।

बैंक, तेल व गैस और वाहन कंपनियों के शेयरों में विदेशी निवेशकों की लिवाली से शेयर बाजार बुधवार को नई रेकार्ड ऊंचाई पर बंद हुए। वैश्विक बाजारों की सकारात्मक प्रवृत्ति से बाजार को मजबूती मिली। निवेशक अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते की उम्मीद कर रहे हैं।

तीस शेयरों वाला सूचकांक 199.31 अंक की बढ़त के साथ 41,020.61 अंक के अब तक के सबसे ऊंचे रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 63 अंक सुधरकर 12,100.70 अंक के नए रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ।

विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक रुख के बीच सतत विदेशी पूंजी प्रवाह से बाजार धारणा को बल मिला। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 4,677.75 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे। रिजर्व बैंक के नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से बैंक शेयरों में तेजी आई। रिजर्व बैंक अगले सप्ताह मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा।

सूचकांक के शेयरों में येस बैंक सर्वाधिक लाभ में रहा। इसमें 7.65 फीसद की तेजी रही। उसके बाद एसबीआइ (2.43 फीसद) का स्थान रहा। कोटक बैंक एक फीसद और इंडसइंड बैंक 0.64 फीसद मजबूत हुए। एचडीएफसी 1.41 फीसद जबकि एचडीएफसी बैंक 0.29 फीसद मजबूत हुए। लाभ में रहने वाले अन्य शेयरों में मारुति 2.38 फीसद, सन फार्मा 1.87 फीसद, एचयूएल 1.78 फीसद, ओएनजीसी 1.72 फीसद मजबूत हुए। टाटा मोटर्स, बजाज आटो और हीरो मोटो कार्प एक फीसद से अधिक मजबूत हुए। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता लि. में भी तेजी रही। वहीं एलएंडटी को सर्वाधिक नुकसान हुआ। कंपनी का शेयर 2.05 फीसद की गिरावट के साथ बंद हुआ। आइसीआइसीआइ बैंक, आइटीसी, टाटा स्टील, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक भी नुकसान में रहे।

निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिका और चीन जल्द ही व्यापार विवाद को लेकर समझौता कर सकते हैं। इससे वैश्विक बाजारों में धारणा को बल मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि सरकार के नई कबाड़ नीति पर विचार करने की खबर और अमेरिका-चीन के बीच पहले चरण के व्यापार सौदे की उम्मीद से बाजार में तेजी रही। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से ब्याज दर से संबद्ध शेयरों में तेजी रही।

एफसीआइ की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर दस हजार करोड़ की गई

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

सरकार ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) की प्राधिकृत पूंजी को मौजूदा 3,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के इस निकाय में अतिरिक्त पूंजी डालने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की यहां हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से एफसीआइ को खाद्यान्नों की खरीद और वितरण में सुविधा होगी। इसके साथ ही एफसीआइ अपने कर्ज और ब्याज लागत को भी कम कर सकेगा। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया- एफसीआइ की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाए जाने के बाद इस उपक्रम में केंद्रीय बजट के जरिए अतिरिक्त पूंजी डाली जा सकेगी। इससे एफसीआइ को खाद्यान्न भंडार को बनाए रखने में आने वाली लागत का वहन करने में मदद मिलेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार के इस कदम से एफसीआइ का कर्ज कम होगा, ब्याज लागत की बचत होगी और खाद्य सबसिडी में भी कमी आएगी।

बयान में कहा गया है कि एफसीआइ को अपना काम करते हुए लंबे समय तक अनाज के भंडार का रख रखाव करना होता है। उसके इस काम में सरकार को वित्तपोषण उपलब्ध कराना होता है। यह काम इक्विटी पूंजी के जरिए या फिर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।

एफसीआइ की 31 मार्च 2019 को चुकता पूंजी 3,447.58 करोड़ रुपए है। एफसीआइ का गठन खाद्य निगम कानून 1964 के तहत किया गया था। सरकार की सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की नीति को अमल में लाने के लिये एफसीआइ का गठन किया गया। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने के लिए एफसीआइ केंद्र सरकार की शीर्ष एजंसी है।

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171
समय वसूली अधिकारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
मौंग तथा कुर्की होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)
आर.सी. संख्या 377/2018, एम.ए. संख्या 17/2018 डायरी संख्या 503,
ओ.ए. संख्या 109/2018 दिनांक: 15.11.2019
केनरा बैंक बनाम कैसर स्पान लैबोरेट्रीज प्रा0 लि0 एवं अन्य
निकट इन्दरलोक होटल, अनिकांत भवन,
राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड
सेवा में,
सीडी. 4 जिनीत कुमार पुत्र श्री जगमेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम फरीदपुर, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट डेब्टर्स
(क) यह सूचित करना है कि आज पर रू0 3,26,74,049.39 (तीन करोड़ छब्बीस लाख चौहत्तर हजार उनचास एवं उनतालीस पैसा मात्र) + उक्त कार्यालय प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 03.03.2018 से @12.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण-देहरादून के द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी वसूली उद्घोषणा के एम.ए. संख्या 17/2018 के अनुसार आपसे विशिष्ट रू0 1,50,250.00 का वाद व्यय सहित देय है।
(ख) आप को यह नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण निर्धारित राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी।
(ग) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी जवाबदारी होंगे।
(घ) इस प्रकरण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।
(ङ) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।
(च) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24.12.2019 को समय 11:00 पूर्वाह्न उपस्थित हों।
अधीकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 15. नवम्बर, 2019 को जारी।
हस्ताक्षर
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी, देहरादून

वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के विनिर्माण पर ध्यान दें कंपनियां, सरकार देगी मदद : गडकरी

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

कच्चे तेल के आयात को देश के सामने 'बड़ी आर्थिक चुनौती' बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वाहन कंपनियां वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के विनिर्माण पर ध्यान लगाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इसमें उनकी मदद सुनिश्चित करेगी।

गडकरी ने जैव ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उपज के विविधीकरण की जरूरत पर भी बल दिया। वह यहां 'न्यूजेन मोबिलिटी समिट-2019' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा- मैं आपको सरकार की ओर से भरोसा दिलाता हूं कि हम सब वाहन

खबर कोना

इराक के शहर बसरा में सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और प्रदर्शन किया

ईरानियों ने बेहद खतरनाक साजिश नाकाम की : खुमैनी

तेहरान, 27 नवंबर (एएफपी)।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खमैनी ने बुधवार को कहा कि देश ने पिछले महीने पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद बेहद खतरनाक साजिश को नाकाम किया है। पेट्रोल के दामों में 200 फीसद तक बढ़ोतरी की आधीरात को की गई घोषणा के कुछ घंटों बाद 15 नवंबर को यह प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसने हिसक रूप धारण कर लिया था, कई पेट्रोल पंप जला दिये गए, पुलिस थानों पर हमला किया गया और दुकानों में भी लूटपाट हुई। बाद में विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया गया। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक खमैनी ने कहा कि लोगों ने गहरी, व्यापक और बेहद खतरनाक साजिश को नाकाम किया जिसमें बर्बादी, क्रूरता और लोगों की हत्या के लिए काफी रकम खर्च की गई थी।'

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने हमले की11वीं बरसी पर कहा

मुंबई हमले के दोषियों को सजा नहीं मिलना पीड़ितों का अपमान

वाशिंगटन, 27 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि 2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को अब तक सजा नहीं दिया जाना इस हमले में मारे गए 166 निर्दोष लोगों और उनके परिजनों का अपमान है।

भारत के इतिहास में सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोगों की जान चली गई थी जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में एक साथ कई जगहों पर गोलीबारी कर भारी तबाही मचाई थी। पोम्पिओ ने यहां विदेश विभाग के मुख्यालय 'फॉगी बॉटम' में संवाददाताओं से कहा कि इस कायराना हमले ने 'समूची दुनिया को स्तब्ध' कर दिया था।

उन्होंने कहा, 'मुंबई आतंकी हमले की आज 11वीं बरसी थी। हम छह अमेरिकियों समेत हमले में मारे गए 166 निर्दोष लोगों को याद करते हैं।' पोम्पिओ ने संभवतः प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और अन्य की मुंबई हमले में भूमिका के संदर्भ में कहा, यह पीढ़ियों और उनके परिवारवालों का अपमान है कि जिन लोगों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया, उन्हें अब तक सजा नहीं मिली है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सईद को पाकिस्तान में आतंकी वित्त पोषण के मामले में इस साल17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी वित्त विभाग ने सईद को विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका ने सईद को कानून के दायरे में लाने के लिए उसकी सूचना देने वाले को एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की पेशकश भी की है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिये कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने एक ट्वीट में अलग से पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

पाक दूतावास के बाहर विरोध जताया

इस बीच बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी और पाकिस्तानी अल्पसंख्यक व जातीय समूहों के सदस्य यहां पाकिस्तानी दूतावास के बाहर एकत्र हुए और सीमा पार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को लेकर विरोध जताया।

बांग्लादेश में कैफे हमले में सात संदिग्धों को फांसी की सजा

ढाका, 27 नवंबर (भाषा)।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में 2016 में हुए इस्लामिक स्टेट के हमले में संलिप्तता के आरोप में विशेष बांग्लादेशी न्यायाधिकरण ने आठ संदिग्धों में से सात को मौत की सजा सुनाई है। देश के इतिहास में सबसे भीषण आतंकवादी हमले में एक भारतीय लड़की समेत 20 लोग मारे गए थे।

ढाका के आतंकवाद-रोधी विशेष न्यायाधिकरण के न्यायाधीश मुजिबुर रहमान ने पुराने ढाका में अदालत परिसर में सजा सुनाते हुए कहा, 'उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी।' दोषियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया था।

मामले की जांच में यह पता चला कि दोषियों ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराया था, हथियार की आपूर्ति की थी या फिर हमले में सीधे तौर पर शामिल लोगों की सहायता की थी। घटना एक जुलाई, 2016 को ढाका के गुलशन इलाके में हुई थी।

न्यायाधीश ने आठवें आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष प्रतिबंधित नियो-जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (नियो-जेएमबी) द्वारा किए गए हमले में उसके संबंध को साबित नहीं कर सका।

हमले में मारे गए 17 विदेशी नागरिकों में नौ इतालवी, सात जापानी, एक भारतीय लड़की शामिल थे। बंधक बनाए जाने के दौरान दो बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे।

हमले में मारे गए लोगों में शामिल भारतीय लड़की तारिशी जैन बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा थी और वह छुट्टी मनाने के लिये ढाका आई थी। अपने फैसले में न्यायाधीश ने बांग्लोदशी मूल के कनाडाई नागरिक तमीम चौधरी को हमले का सरगना बताया, जो बाद में राष्ट्रव्यापी आतंकवाद रोधी सुरक्षा अभियान के दौरान मारा गया था।

न्यायाधीश ने आठवें आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष प्रतिबंधित नियो-जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (नियो-जेएमबी) द्वारा किए गए हमले में उसके संबंध को साबित नहीं कर सका

हमले में मारे गए 17 विदेशी नागरिकों में नौ इतालवी, सात जापानी, एक भारतीय लड़की शामिल थे। बंधक बनाए जाने के दौरान दो बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे

सोशल मीडिया के इस्तेमाल से किशोरों में तनाव : शोध

टोरंटो, 27 नवंबर (भाषा)।

एक हालिया अध्ययन के मुताबिक किशोरों में तनाव के लक्षण का संबंध सोशल मीडिया के इस्तेमाल, टेलीविजन देखने और कंप्यूटर के इस्तेमाल से हैं। कनाडाई जर्नल ऑफ साइक्रेट्री में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक गत चार साल में औसत से अधिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले, टीवी देखने वाले और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले किशारों में तनाव के गंभीर लक्षण देखे गए।

कनाडा स्थित मांट्रियाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि जब किशोरों ने सोशल मीडिया, टेलीविजन और कंप्यूटर के इस्तेमाल में कमी लाई तब उनमें तनाव के लक्षण भी कम हो गए।

हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल और टेलीविजन देखने का संबंध अवसाद के लक्षणों से है। हालांकि, शोध में कंप्यूटर के इस्तेमाल से अवसाद के लक्षणों से संबंध स्थापित नहीं हो पाया। शोधकर्ताओं ने कहा कि लगता है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल का संबंध तनाव बढ़ने से है और संभवतः गृह कार्य की गतिविधियां कंप्यूटर से।

उन्होंने कहा कि इस अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण असर हो सकता है, जैसे कैसे युवा और परिवार टीवी देखने या सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करें ताकि तनाव के लक्षणों को कम किया जा सके। मांट्रियाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पैट्रिसिया कॉनरॉड ने कहा, 'और अधिक शोध की जरूरत है, खासतौर पर सोशल मीडिया, टेलीविजन और कंप्यूटर के संपर्क में आने पर युवाओं में तनाव बढ़ने की पुष्टि करने के लिए प्रयोग की।' कॉनरॉड की टीम शोध के नतीजे पर पहुंचने के लिए 12 से 16 साल के करीब चार हजार कनाडाई बच्चों पर अध्ययन किया। हर साल इन छात्रों से सोशल मीडिया, टेलीविजन और कंप्यूटर पर समय बिताने की जानकारी देने को कहा गया।

पाक सेना प्रमुख बाजवा के कार्यकाल में विस्तार का मामला स्थगित

इस्लामाबाद, 27 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े अहम मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगति कर दी। इस मामले में पाक शीर्ष न्यायालय का फैसला बाजवा को और तीन साल इस पद पर रहने से रोक सकता है।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था। इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था। बाजवा का मूल कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है। पाक सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों के एक पीठ ने मंगलवार को कहा, 'अब भी वक्त है। सरकार को अपने कदम वापस लेने चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है। वह उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ कुछ इस तरह की चीज नहीं कर सकती।' बहरहाल, न्ययालय ने मामले की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय ने अप्रत्याशित कदम के तहत कानूनी खामियों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को निलंबित कर दिया था। बाजवा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका रियाज राही नाम के एक व्यक्ति ने दायर की है। शीर्ष न्यायालय के मंगलवार के आदेश के बाद कैबिनेट ने सेना नियम एवं नियमन की धारा 255 में संशोधन किया और नियम में कानूनी खामी को दूर करने के लिए कार्यकाल में विस्तार शब्द शामिल किया।

भारत को तीन कलाकृतियां वापस लौटाएगा आस्ट्रेलिया

मेलबर्न, 27 नवंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को कहा कि वह जनवरी में अपनी भारत यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क स्थित भारतीय मूल के कलाकृति विक्रेता से खरीदी गईं सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण तीन कलाकृतियां वापस लौटाएंगे। 'नेशनल गैलरी ऑफ आस्ट्रेलिया' ने सुभाष कपूर नामक व्यक्ति से ये कलाकृतियां खरीदी थीं, जिनके खिलाफ भारत और अमेरिका में आपराधिक कार्रवाई चल रही है। गैलरी ने शोध के बाद स्वेच्छा से भारत को कलाकृतियां वापस करने का निर्णय लिया गया है। कलाकृतियां तमिलनाडु के 15वीं सदी के द्वारपालों का जोड़ा और छठी से 8वीं शताब्दी के बीच राजस्थान या मध्य प्रदेश के नागराज की हैं।

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
विकर्मा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू45201डीएल2008पीटीसी147349)जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, अण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110055 में है के मामले में
आवेदक / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को स्थान करने हेतु 25 नवंबर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित है, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विषय के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक डिस्कवरी फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।
1ई, अण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110055
आवेदक की ओर से और उनके लिए
विकर्मा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
ह0/-
कुलदीप यादव
निदेशक
डीआईएन: 07390355
दिनांक: 27.11.2019
स्थान: गुरुग्राम

जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक वापस लिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 नवंबर।

केंद्र सरकार ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले जम्मू और कश्मीर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस ले लिया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी और सदन की सहमति के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।

विधेयक वापस लेने के संबंध में विरोध जताते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि सदन की कार्यवाही के नियम 110 के तहत विधेयक वापसी के तीन प्रमुख कारण होते हैं जिनमें नया विधेयक लाना या अन्य कोई विधेयक लाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जम्मू-कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देने वाला था। इसमें कुछ गलत नहीं था। सरकार ने इसे वापस लेने का कारण नहीं बताया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित है और सरकार ने गत छह अगस्त को सदन को अवगत कराया था कि किस कारण से विधेयक वापस लिया जा रहा है।

गौरतलब है कि संसद ने गत छह अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी।

गृह मंत्री अमित शाह ने तब लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। सदन ने इसकी अनुमति दी। शाह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक की जरूरत नहीं होगी। राज्ससभा ने इस संकल्प को पांच अगस्त को पारित किया था।

हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
परिसमापक : श्री काशी विश्वनाथन शिवरमन
परिसमापक का पता : ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-क नई दिल्ली-110048
ई-मेल : assetsale2@aaainsolvency.in, haridwar.iron@aaainsolvency.com
विक्रय सूचना
Sale Notice
Sale of Assets and Properties owned by Haridwar Iron and !spat Rollings Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Benchvide order dated 17", Sept., 2019. The sale will be done
ई-नीलामी : ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आस्तियों का विक्रय। ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 24 दिसम्बर, 2019 को 3.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)। माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ के आदेश दिनांक 17 सितम्बर, 2019 द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा निर्मित परिसमापन सम्पदा का भाग निर्मित करने वाला हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के स्वामित्व वाली आस्तियों तथा सम्पत्तियों का विक्रय। विक्रय अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://aaa.auctiontiger.net के माध्यम से किया जायेगा।

आस्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ज.ध.राशि	वर्धित मूल्य
भूमि : खसरा नं. 596, 597, 602, 603, 608, 609 तथा 610, श्री सीमेंट के पीछे, ग्राम : अकबरपुर ऊद, तहसील : लक्सर, जिला : हरिद्वार, क्षेत्रफल 62035 वर्ग मीटर	A	4.22 करोड़	42.2 लाख	2 लाख
भवन एवं शेड : भवन उपर्युक्त स्थान पर स्थित है और 120464 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित है।	B	4.68 करोड़	46.8 लाख	2 लाख
संयन्त्र एवं मशीनरी : संयन्त्र एवं मशीनरी एचआईआईआरएल, ग्राम : अकबरपुर ऊद, तहसील : लक्सर, जिला : हरिद्वार, 247667 पर स्थित है।	C	5.58 करोड़	55.8 लाख	2 लाख
संयन्त्र तथा मशीनरी सहित भूमि एवं भवन (समेकित) : खसरा नं. 596, 597, 602, 603, 608, 609 तथा 610, श्री सीमेंट के पीछे, ग्राम : अकबरपुर ऊद, तहसील : लक्सर, जिला : हरिद्वार पर स्थित	D	14.50 करोड़	1.45 करोड़	5 लाख

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है
1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से संचालित की जायेगी।
2. आस्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ प्रपत्र, ऑनलाइन नीलामी विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://aaa.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क व्यक्ति : श्री तिलक मराठा, +91- 6351896834/079-68135416/417 तथा 8980690773 kushal@auctiontiger.net/rikin@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net, (लिंक https://aaa.auctiontiger.net पर जाने के बाद इच्छुक संविदाकार को दो विकल्पों (i) कम्पनी का नाम (हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड), अथवा (ii) राज्य तथा सम्पत्ति के प्रकार में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके उल्लिखित कम्पनी को ढूँढना होगा)।
3. अपनी संविदा जमा करने से पूर्व इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति के स्वामित्व, स्थानीय बकाया कर, विद्युत एवं पानी के प्रभार, रखरखाव प्रभार, यदि कोई हो, के सम्बन्ध अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा स्वयं के व्यय पर एवं सन्तुष्टि के लिए सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए। साइट पर सम्भावित संविदाकारों द्वारा उपर्युक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण पूर्व सूचना देकर श्री वसीम/श्री पुनीत सचदेवा : 8800865284 से सम्पर्क करके किया जा सकता है।
4. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से "हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड-इनएलआईक्यू", खाता सं. : 7413364385, कोटक महिन्द्रा बैंक, आईएफएससी कोड : KKBK0000195, जी-5-13, प्लॉट सं. 1 एवं 2, बेसमेंट बी-4, लोकल शॉपिंग सेंटर, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश क नई दिल्ली-110048 के खाते में या "हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड-इनएलआईक्यू" के नाम से किसी अनुसूचित बैंक से आहरित डीडी के माध्यम से जमा करनी अपेक्षित है अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में प्रदत्त प्रारूप ए अथवा प्रारूप बी के अनुसार ज.ध.रा. हेतु बैंक गारंटी देनी होगी।
5. इच्छुक संविदाकार को (1) पहचान प्रमाण-पत्र (2) वर्तमान निवास प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई-मेल आईडी (5) लैण्डलाइन तथा मोबाइल फोन नम्बर (6) परिशिष्ट 1 के अनुसार शपथपत्र तथा दायित्व-पत्र (7) परिशिष्ट II के अनुसार संविदा आवेदन प्रपत्र (8) परिशिष्ट III के अनुसार संविदाकार द्वारा घोषणा-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति सहित ई-नीलामी में भाग लेने हेतु निवेदन पत्र, ईएमडी जमा अथवा बैंक गारंटी के प्रमाण जमा करने होंगे, इन परिशिष्टों के प्रारूप कम्पूर्ण ई-नलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिये जा सकते हैं। **ये दस्तावेज 21 दिसम्बर, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न तक या इससे पूर्व ई-मेल द्वारा अथवा नीचे दिये गये कार्यालय परिसमापक के पते पर पहुँच जाने चाहिए। इच्छुक संविदाकारों को ईएमडी जमा के विवरण सहित अपने केवाईसी दस्तावेज 21 दिसम्बर, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न से पूर्व https://aaa.auctiontiger.net पर अपलोड करने होंगे।**
6. पोर्टल (https://aaa.auctiontiger.net) पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र संविदाकारों के नाम परिसमापक द्वारा चिन्हित किये जायेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (ऑक्शन टाइगर) पात्र संविदाकारों को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेगा।
7. यदि संविदा ई-नीलामी बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित आगे बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने पर उच्चतम संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) की बोली जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और उस प्रभार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्प्रेषण निर्गत किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन का विषय होगा।
8. सफल संविदाकार की ईएमडी विक्रय विचारार्थ विक्रय के अंश के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। **ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।** परिसमापक सफल संविदाकार को एक आशय-पत्र निर्गत (एलओआई) करेगा और सफल संविदाकार को शेष राशि (सफल संविदा राशि - ईएमडी राशि) एलओआई के निर्गमन के 30 दिनों के भीतर परिसमापक के पास जमा करनी होगी। एलओआई में उल्लिखित के अनुसार समय-सीमा के भीतर सफल संविदाकार द्वारा शेष राशि जमा करने में चूक करने पर सफल संविदाकार द्वारा सम्पूर्ण जमा राशि (ईएमडी + कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जायेगी।
9. सफल संविदाकार नीलामी पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प शुल्क/अन्तरण प्रभार, शुल्क आदि तथा समस्त स्थानीय कर, शुल्क, दरें, अभिनिर्धारण प्रभार, शुल्क आदि सफल संविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।
10. परिसमापक को किसी या समस्त प्रस्ताव(वों) को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से सम्पत्ति या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
11. सम्पूर्ण विक्रय प्रक्रिया के भुगतान के पश्चात विक्रय प्रमाणपत्र/अनुबन्ध केवल सफल संविदाकार के नाम से निर्गत किया जायेगा और किसी अन्य के नाम से नहीं निर्गत किया जायेगा।
12. परिसमापक को किसी या समस्त संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से सम्पत्ति या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
13. यह विक्रय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत विनियमों के प्रावधानों का विषय होगा।
14. यदि एक से अधिक संविदाकार ईएमडी जमा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में परिसमापक को हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 24 दिसम्बर, 2019 को 3.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न (5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)।
16. उस व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी जो उपर्युक्त ब्लॉक-डी में उल्लिखित समस्त आस्तियों (समेकित) के लिए संविदा करेगा।
श्री काशी विश्वनाथन शिवरमन
हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड के मामले में परिसमापक
आईबीबीआई (पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-18/11497)
तिथि : 27.11.2019 ई-मेल: assetsale1@aaainsolvency.in,sivarita68@yahoo.com
स्थान : नई दिल्ली सम्पर्क नं. : 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा/श्री वसीम)

CAPITALINDIA
Rediscover Business
कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, डी एल एफ एफ सेंटर, सावन मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन नं. 011-49546500 | सी आई एन: L74899DL1994PLC128577
वेबसाइट: www.capitalindia.com | ईमेल आईडी: secretarial@capitalindia.com
पोस्टल बैलेट की सूचना
भौतिक पोस्टल बैलेट/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("पोस्टल बैलेट") के द्वारा पोस्टल बैलेट सूचना ("सूचना") दिनांक 12 नवंबर, 2019 में वर्णित अनुसार विशेष व्यवसाय के संबंध में अपने शेयरधारकों की स्वीकृति पाने के लिए कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ कंपनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 व किसी वैधानिक संशोधनों या समय के साथ प्रचलित उसमें पुनः बनाई गईं अन्य लागू अधिनियमों के अनुपालन में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।
कंपनी ने बुधवार, 27 नवंबर, 2019 को पोस्टल बैलेट फॉर्म ("संबंधित दस्तावेज") के सहित सूचना और एक-एक प्री-पेड व्यापार उत्तर लिफाफे की प्रेषण पूरा कर लिया है:
(1) इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम 15, नवंबर, 2019 तक सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, को भेजी जा चुकी है।
(2) भौतिक रीति में कंपनी के उन सभी सदस्यों को जिनके नाम 15, नवंबर, 2019 तक सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा चुकी है।
संबंधित दस्तावेजों के सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से वोटिंग के लिए निर्देश जारी हुए सूचना कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com और कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में केलीडोस्कोप एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) ("कार्वी") कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।
समय-समय पर संशोधित अनुसार कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासनिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड विनियम 2015 (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियम 44 के अंतर्गत, कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (अर्थात् एजेंडा के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग) द्वारा एजेंडम में लेन-देन करने के लिए विहित लागत के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोट देने के अधिकार के प्रयोग की सुविधा दी है और यह सुविधा कार्वी द्वारा प्रदान की जाएगी।
सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :
(क) वोटिंग अवधि की शुरुआत 2 दिसंबर, 2019 को सुबह 9.00 बजे और 01 जनवरी, 2020 (शाम 5.00) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात् 15 नवंबर, 2019 तक भौतिक या अभौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके बाद बंद कर दिए जाएंगे।
(ख) कट-ऑफ तिथि अर्थात् 15 नवंबर, 2019 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य एजेंडम के वोट करने के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही पढ़ें।
(ग) सदस्य भौतिक बैलेट या ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग के केवल एक ही मोड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सदस्य दोनों तरीकों से वोट डाल देते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोट प्रबल होंगे और भौतिक रूप से डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा।
(घ) सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने पर, उन्हें उसमें किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी और न ही सदस्य को दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
(ङ) कोई भी सदस्य को प्रायोगिक दस्तावेज प्राप्त नहीं करता है, वह या तो secretarial@capitalindia.com पर ई-मेल भेज सकता है या कार्वी से आवेदन कर सकता है और प्रायोगिक दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।
(एक) पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम वोटों के अध्यक्ष द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी द्वारा शुक्रवार, 3 जनवरी, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 2, डीएलएफ सेंटर, सावन मार्ग, दिल्ली-110001 में स्थित में घोषित किए जाएंगे और प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं सूचित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
(दो) ई-वोटिंग से संबंधित किसी शिकायत के मामले में, कृपया www.evoting.karvy.com (कार्वी वेबसाइट) के हेल्प व एफएक्यूज का भाग देखें या संपर्क करें श्री उदय शंकर सिंह, संपर्क नं. 040-67161565, ई-मेल आईडी: evoting@karvy.com (यूनिट: कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड) क

एशियाई चैंपियनशिप : भारतीय जोड़ी का कमाल

अभिषेक-ज्योति को सोना

बैंकाक, 27 नवंबर (भाषा)।

अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेख वेन्नाम की मिश्रित युगल भारतीय जोड़ी ने 21वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में बुधवार को कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे भारत ने सात पदकों के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। वर्मा और ज्योति की जोड़ी ने चीनी ताइपे की यि-ह्सुआन चेन और चीह-लुह चेन की जोड़ी को 158-151 से हरा कर भारत के लिए पहला सोने का तमगा जीता। टूर्नामेंट में भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत के साथ चार कांस्य पदक हासिल किए।

इससे पहले वर्मा टीम स्पर्धा में सटीक निशाना लगाने से चूक गए जिससे भारतीय टीम को कोरिया के खिलाफ एक अंक से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कोरिया ने यह मुकाबला 233-232 के अंतर से जीता। वर्मा ने कहा कि तेज हवा के कारण परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल थीं लेकिन हमारे पास स्वर्ण जीतने का यह आखिरी मौका था। हम इसमें सफल हुए। यह पूरी टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।

ज्योति ने कहा कि मैं इस स्कोर से खुश हूं। इससे पहले के मैचों में भी हमने निरंतर प्रदर्शन किया है। पुरुष टीम स्पर्धा में शीर्ष वरीय वर्मा, रजत चौहान और मोहन भारद्वाज की भारतीय तिकड़ी ने पहले दौर में 58 अंक बनाए। कोरिया के जेइवॉन यांग, यांगही चोइ और ईयून-क्यू चोई ने भी इतने ही अंक बनाए। दूसरे दौर में कोरियाई टीम ने भारतीय टीम से एक अंक की बढ़त हासिल की। भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे दौर के आखिरी तीन निशाने नौ-नौ अंक के लगाए जो टीम को भारी पड़ा और कोरियाई टीम ने तीन अंक की अहम बढ़त हासिल कर ली।

अंतिम दौर में कोरिया के 57 अंक के मुकाबले भारत ने 59 अंक बनाए लेकिन यह जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। ज्योति, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर की भारतीय महिला टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर सकी और कोरिया के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 231-215 से हार गई। भारतीय तीरंदाजी महासंघ के निलंबन के कारण टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी विश्व तीरंदाजी संघ के ध्वज तले खेल रहे हैं। उन्हें यह मौका इसलिए दिया गया ताकि वे गुरुवार को होने वाले ओलंपिक क्वालीफिकेशन प्रतियोगिता में भाग ले सकें।

पुरुष टीम ने पहले ही विश्व चैंपियनशिप से ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है जबकि महिला टीम यहां कोटा हासिल करने की कोशिक करेगी। यहां से तोक्यों के लिए छह ओलंपिक कोटे हासिल किए जा सकते हैं।

"तेज हवा के कारण परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल थीं लेकिन हमारे पास स्वर्ण जीतने का यह आखिरी मौका था। हम इसमें सफल हुए। यह पूरी टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।
- अभिषेक वर्मा

"मैं इस स्कोर से खुश हूं। इससे पहले के मैचों में भी हमने निरंतर प्रदर्शन किया है।
- ज्योति सुरेख वेन्नाम

तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा सेमी फाइनल में

मुश्ताक अली ट्रॉफी

सूरत, 27 नवंबर (भाषा)।

मुंबई की टीम बड़े स्कोर वाले मैच में पंजाब पर 22 रन से जीत दर्ज करने के बावजूद बुधवार को सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इससे सुपरलीग ग्रुप बी से तमिलनाडु और कर्नाटक सेमी फाइनल में पहुंचने में सफल रहे।

मुंबई को सेमी फाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जीत की दरकार थी लेकिन तीन विकेट पर 243 रन बनाने के बावजूद उसकी टीम पंजाब को कम स्कोर पर नहीं रोक पाई जिसने छह विकेट पर 221 रन बनाए।

सुपरलीग ग्रुप बी में तमिलनाडु, कर्नाटक और मुंबई तीनों के समान 12-12 अंक रहे लेकिन पहली दो टीमें बेहतर रन गति के आधार पर अंतिम चार में पहुंची। सेमी फाइनल में तमिलनाडु का मुकाबला सुपरलीग ग्रुप 'ए' से दूसरे स्थान पर रहे राजस्थान जबकि कर्नाटक का हरियाणा से होगा।

तमिलनाडु ने सुबह झारखंड को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी थी जबकि हरियाणा ने महाराष्ट्र को एक रोमांचक मुकाबले में दो रन से हराया। राजस्थान ने भी दिल्ली पर दो रन से जीत दर्ज करके सेमी फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

हरियाणा सुपरलीग ग्रुप ए में 12 अंक लेकर शीर्ष पर रहा जबकि राजस्थान के महाराष्ट्र और बड़ौदा के समान आठ अंक रहे लेकिन बेहतर रन गति से वह अंतिम चार में जगह बनाने में सफल रहा। सेमी फाइनल 29 नवंबर को खेले जाएंगे जबकि फाइनल एक दिसंबर को होगा।

साहा की अंगुली का हुआ ऑपरेशन

नई दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा)।

भारत के टैस्ट विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा के दाहिने हाथ की अंगुली में बांग्लादेश के खिलाफ दिन-रात टैस्ट के दौरान फ्रैक्चर हुआ था जिसका ऑपरेशन कराया गया है। उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी में होने वाली दो मैचों की श्रृंखला तक फिट होने की उम्मीद है। पैतीस बरस के साहा का मंगलवार को मुंबई में ऑपरेशन हुआ।

बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बीसीसीआइ की मेडिकल टीम ने हाथ और कलाई के विशेषज्ञ से सलाह ली। उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा गया। मुंबई में मंगलवार को उनका सफल ऑपरेशन हुआ। अब वह जल्दी ही बंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन कराएंगे। टीम प्रबंधन के करीबी सूत्र ने बताया कि साहा न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी से शुरू हो रही दो टैस्ट मैचों की श्रृंखला तक फिट हो जाएंगे। साहा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अक्तूबर में टैस्ट श्रृंखला के दौरान ऐसी ही चोट लगी थी लेकिन वह बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला से पहले ठीक हो गए थे। आइपीएल 2018 के दौरान उन्हें कंधे में चोट लगी थी जिसका उन्हें इंग्लैंड में ऑपरेशन कराना पड़ा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी में होने वाली दो मैचों की श्रृंखला तक फिट होने की उम्मीद है।

भुवनेश्वर, राउरकेला को पुरुष हॉकी विश्प कप 2023 की मेजबानी

भुवनेश्वर, 27 नवंबर (भाषा)।

ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि पुरुष हॉकी विश्प कप 2023 के मुकाबले भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किए जाएंगे। इस महीने आठ तारीख को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना जिससे देश लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। एफआइएच के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा।

This is a public announcement for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities nor is it a prospectus announcement. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India.

SBI card

SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED

Our Company was incorporated as "SBI Cards and Payment Services Private Limited" on May 15, 1998, as a private limited company under the Companies Act, 1956, at New Delhi, with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at New Delhi ("**RoC**"). On the conversion of our Company to a public limited company pursuant to a special resolution passed by our shareholders on August 2, 2019, our name was changed to "SBI Cards and Payment Services Limited" and a fresh certificate of incorporation dated August 20, 2019 was issued by the RoC. For details of the change in the registered office of our Company, see "***History and Certain Corporate Matters***" on page 163 of the Draft Red Herring Prospectus dated November 28, 2019 ("**DRHP**").

Registered Office: Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower E-1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi 110 034, India; **Tel**: +91 (11) 6126 8100; **Corporate Office**: 2nd Floor, Tower-B, Infinity Towers, DLF Cyber City, Block 2 Building 3, DLF Phase 2, Gurugram, Haryana 122 002, India; **Tel**: +91 (124) 458 9803; **Contact Person**: Ms. Payal Mittal Chhabra, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel**: +91 (124) 458 9803; **E-mail**: investor.relations@sbicard.com; **Website**: www.sbicard.com; **Corporate Identity Number**: U65999DL1998PLC093849

OUR PROMOTER: STATE BANK OF INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, COMPRISING A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING TO ₹5,000 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 130,526,798 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, INCLUDING UP TO 37,293,371 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY STATE BANK OF INDIA ("SBI") ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AND UP TO 93,233,427 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY CA ROVER HOLDINGS ("CA ROVER") ("INVESTOR SELLING SHAREHOLDER" AND TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFER, THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER").

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 1,864,660 EQUITY SHARES, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (AS DEFINED IN THE DRHP) (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND A RESERVATION OF UP TO 13,052,640 EQUITY SHARES, FOR SUBSCRIPTION BY SBI SHAREHOLDERS (AS DEFINED IN THE DRHP) (THE "SBI SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND THE SBI SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER", AGGREGATING UP TO [•] EQUITY SHARES. THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% AND [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY.

THE PRICE BAND, THE RUPEE AMOUNT OF DISCOUNT, IF ANY, TO THE ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT") AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BRLMs AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF THE [•] AND [•] EDITIONS OF THE [•] (WHICH ARE WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY AND WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPERS RESPECTIVELY, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS SITUATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE" AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**Our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs, may offer a discount of up to [•]% of the Offer Price to Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion.*

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

In case of a revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band subject to the Bid/Offer Period not exceeding a total of 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the BRLMs, may for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended, (the "**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("**SEBI ICDR Regulations**"). The Offer is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, where not more than 50% of the Net Offer will be Allotted on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Category**"), provided that our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors, on a discretionary basis (the "**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors. Further, 5% of the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer through the Application Supported by Block Amount ("**ASBA**") process, and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID for Retail Individual Investors using UPI Mechanism) in which the Bid Amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see, "***Offer Procedure***" on page 404 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP dated November 28, 2019 with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on November 27, 2019 in relation to the Issue. Pursuant to Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of the DRHP filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, and the websites of the Book Running Lead Managers i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Axis Capital Limited, DSP Merrill Lynch Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited and SBI Capital Markets Limited at www.investmentbank.kotak.com, www.axiscapital.co.in, www.mi-india.com, https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/in/generic/ipo-open-offer-and-buyback, www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html and www.sbicaps.com, respectively. Our Company invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with the SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Compliance Officer and/or the Book Running Lead Managers at their respective addresses mentioned herein below on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the Risk Factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "***Risk Factors***" on page 28 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Kotak Mahindra Capital Company Limited	Axis Capital Limited	DSP Merrill Lynch Limited
1st Floor, 27 BKC, Plot No. C – 27, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4336 0000 E-mail: sbicard.ipo@kotak.com Investor Grievance E-mail: kmccredressal@kotak.com Website: www.investmentbank.kotak.com Contact Person: Mr. Ganesh Rane SEBI Registration No.: INM000008704	Axis House, Level 1 C-2 Wadia International Centre P. B. Marg, Worli, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4325 2183 E-mail: sbicards.ipo@axiscap.in Investor Grievance E-mail: complaints@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Contact Person: Ms. Simran Gadh SEBI Registration No.: INM000012029	Ground Floor, "A" Wing, One BKC, "G" Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6632 8000 E-mail: dg.sbicard_ipo@bofa.com Investor Grievance E-mail: dg.india_merchantbanking@bofa.com Website: www.mi-India.com Contact Person: Mr. Ahmed Kolsawala SEBI Registration No.: INM000011625
HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited	**Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited**	**SBI Capital Markets Limited***
52/60, Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai 400 001 Maharashtra, India Telephone: +91 22 2268 5555 E-mail: sbicardpo@hsbc.co.in Investor Grievance E-mail: investorgrievance@hsbc.co.in Website: https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/in/generic/ipo-open-offer-and-buyback Contact Person: Ms. Sanjana Manjar SEBI Registration No.: INM000010353	Ceejay House, Level 11, Plot F Shivsagar Estate Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4037 4037 Email: sbicardpo@nomura.com Investor grievance e-mail: investorgrievances-in@nomura.com Website: www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html Contact person: Mr. Vishal Kanjani/Mr. Sandeep Baid SEBI Registration No.: INM000011419	202, Mariott Tower 'E' Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Maharashtra, India Telephone: +91 22 2217 8300 E-mail: sbicard.ipo@sbicaps.com Investor Grievance E-mail: investor.relations@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Contact Person: Mr. Samit Rathi Mr. Karan Savardekar SEBI Registration No.: INM000003531

REGISTRAR TO THE OFFER

LINK Intime

Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India
Telephone: +91 22 4918 6200, Email: sbicard.ipo@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Gopalakrishnan; SEBI Registration No: INR000004058

**SBI is proposing to participate as a Selling Shareholder in the Offer for Sale. SBI Capital Markets Limited ("SBICAP") has signed the due diligence certificate and has been disclosed as a BRLM for the Offer. SBI and SBICAP are associates in terms of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, as amended (the "SEBI Merchant Bankers Regulations"). Accordingly, in compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Bankers Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, SBICAP would be involved only in the marketing of the Offer.*

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **SBI Cards and Payment Services Limited**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Date: November 27, 2019
Place: New Delhi

SBI Cards and Payment Services Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated November 28, 2019 with SEBI on November 27, 2019. The DRHP shall be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the websites of the BRLMs at www.investmentbank.kotak.com, www.axiscapital.co.in, www.mi-india.com, https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/in/generic/ipo-open-offer-and-buyback, www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html and www.sbicaps.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "***Risk Factors***" on page 28 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 ("**U.S. Securities Act**") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable United States state securities laws.

Adfactors/689

NxtGen Infinite Datacenter presents

INDIAN EXPRESS GROUP

The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA

CALL FOR ENTRIES

The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.

AWARD CATEGORIES

- Agriculture
- Border Districts
- Child Development
- Community Involvement
- Education
- Energy
- Entrepreneurship
- Health
- Implementation of Central Schemes
- Inclusive Innovation
- Jammu & Kashmir District
- Left Wing Extremism Districts
- North East Districts
- Skill Development
- Social Welfare
- Technology Implementation
- Water Management
- Women Development

To apply visit **eigawards.indianexpress.com**

LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019

The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE —

IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 11, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com